SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

छत्तीसगढ़ शासन
वर्ष 2026 का प्रतिवेदन संख्या-02
(निष्पादन लेखापरीक्षा-सिविल)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का
छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन
मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

छत्तीसगढ़ शासन

वर्ष 2026 का प्रतिवेदन संख्या-02

विषय सूची

विषय	कंडिका क्रमांक	पृष्ठ संख्या
प्राक्कथन		*v*
कार्यकारी सारांश		*vii*
अध्याय-I: परिचय		
परिचय	1.1	1
छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन हेतु संस्थागत ढांचा	1.2	1
जल जीवन मिशन के अंतर्गत योजनाओं के प्रकार	1.3	2
भौतिक प्रगति	1.4	3
वित्तीय प्रगति	1.5	4
लेखापरीक्षा उद्देश्य	1.6	5
लेखापरीक्षा मानदंड	1.7	6
लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं पद्धति	1.8	6
अध्याय-II: योजना		
कार्ययोजना तैयार करना	2.1	7
प्राथमिकता का आबंटन न किया जाना	2.2	11
अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण के लिए योजना का अभाव	2.3	13
वार्षिक कार्य योजना के अंतर्गत लक्ष्य निर्धारण में अंतराल	2.4	14
आंकड़ो में विसंगतियाँ	2.5	15
अध्याय-III: निधि प्रबंधन		
निधि प्रबंधन	3	17
जल जीवन मिशन निधियों के जारी होने तथा व्यय की स्थिति	3.1	17
केन्द्रांश का प्राप्त न होना	3.2	19
राज्यांश जारी करने में विलंब	3.3	20

विषय	कंडिका क्रमांक	पृष्ठ संख्या
राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम निधि का जल जीवन मिशन में कम अंतरण	3.4	21
सामुदायिक अंशदान संग्रह न किया जाना	3.5	22
बाजार सर्वेक्षण के बिना दर अनुसूची का संशोधन	3.6	22
एकीकृत दर अनुसूची में कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन की इकाई मूल्य का गलत आकलन एवं अधिक भुगतान	3.7	23
राज्य सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय भार	3.8	25
सहायक गतिविधियों के अंतर्गत निधियों का कम उपयोग	3.9	26
अध्याय-IV: योजना कार्यान्वयन		
योजनाबद्ध एवं कार्यान्वित योजनाओं की स्थिति	4.1	29
एकल ग्राम योजनाओं का कार्यान्वयन	4.2	31
बहु ग्राम योजनाओं का कार्यान्वयन	4.3	36
कार्यान्वयन सहायता एजेन्सियाँ	4.4	39
तृतीय-पक्ष निरीक्षण एजेन्सियाँ	4.5	41
निगरानी	4.6	42
अध्याय-V: जल गुणवत्ता निगरानी एवं चौकसी		
जल गुणवत्ता निगरानी एवं चौकसी	5	49
निधियों का आबंटन एवं जल गुणवत्ता निगरानी एवं चौकसी के लिए उनका उपयोग	5.1	49
जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना एवं 13 मूलभूत जल गुणवत्ता मापदंडो का परीक्षण	5.2	51
प्रयोगशालाओं की राष्ट्रीय परीक्षण एवं अंशांकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड से मान्यता	5.3	54
जल स्रोतों की गुणवत्ता परीक्षण करने में कमी	5.4	55
फील्ड टेस्ट किट एवं बैक्टीरियोलॉजिकल डिटेक्शन किट के माध्यम से किए गए परीक्षण	5.5	59
फील्ड टेस्ट किट/H_2S शीशियों के उपयोग की निगरानी	5.6	61

विषय	कंडिका क्रमांक	पृष्ठ संख्या
जल गुणवत्ता 'हॉट स्पॉट्स'	5.7	62
जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं में जनशक्ति की कमी	5.8	63
अध्याय-VI: कार्यक्रम उपलब्धियाँ एवं परिणाम की प्राप्ति		
कार्यक्रम उपलब्धियाँ एवं परिणाम की प्राप्ति	6	65
प्राथमिक उपलब्धि की प्राप्ति नहीं होना	6.1	65
परिणाम की प्राप्ति नहीं होना	6.2	66
अध्याय-VII: निष्कर्ष एवं अनुसंशाएं		
निष्कर्ष	7.1	69
अनुशंसाएं	7.2	70

परिशिष्ट

परिशिष्ट क्रमांक	विषय	कंडिका क्रमांक	पृष्ठ क्रमांक
1.1	नमूना जांच किये गये जिलों एवं ग्रामों को दर्शाने वाला विवरण	1.8	73
3.1	कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन के प्राक्कलन में त्रुटियां दर्शाने वाला विवरण	3.7	74
4.1	बहु ग्राम योजना के लिए जल के कम आबंटन को दर्शाने वाला विवरण	4.3.2	76
4.2	बहु ग्राम योजना के स्रोत जल निकायों में जल की अनुपलब्धता दर्शाने वाला विवरण	4.3.2	78
4.3	अपूर्ण ओवरहेड टैंक से संबन्धित अकार्यशील घरेलू नल कनेक्शन को कार्यशील घोषित करने वाला विवरण	4.6.2	79

प्राक्कथन

भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अधीन राज्य विधानमंडल के समक्ष रखे जाने हेतु छत्तीसगढ़ के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए यह प्रतिवेदन तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन पर वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक की अवधि के निष्पादन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों को सम्मिलित किया गया हैं।

वर्ष 2019-20 से 2023-24 की अवधि में नमूना लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आये मामलों को उल्लिखित किया गया है, साथ ही वर्ष 2023-24 के बाद के मामलों को भी सम्मिलित किया गया है, जहाँ आवश्यक रहा हो।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किये गये लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप लेखापरीक्षा संचालित की गई है।

कार्यकारी सारांश

हमने यह लेखापरीक्षा क्यों किया ?

जल जीवन की आवश्यक आवश्यकताओं में से एक है। पेयजल की सुनिश्चित उपलब्धता मानव विकास के लिए महत्वपूर्ण है । जल आपूर्ति योजनाओं का ध्यान गांवों (आबादी) के भीतर सामान्य क्षेत्रों या समूहों को पानी प्रदान करने से हटकर जीवन को आसान बनाने के लिए प्रत्येक ग्रामीण घर (परिवार) को सीधे पानी की आपूर्ति करने पर केंद्रित हो गया है।

ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति योजनाओं एवं कार्यक्रमों की श्रृंखला में, भारत सरकार द्वारा अगस्त 2019 में महत्वपूर्ण योजना के तौर पर, जल जीवन मिशन की घोषणा गई, जिसका उद्देश्य 2024 तक प्रत्येक घरों में कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करना था। जल जीवन मिशन प्रारम्भ किये जाने के समय, राज्य में 3.20 लाख (छह प्रतिशत) ग्रामीण घरों में कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन था। मार्च 2024 तक, राज्य ने 1.48 लाख निजी कनेक्शन सहित 38.97 लाख (78 प्रतिशत) ग्रामीण घरों में कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन प्रतिवेदित की थी, जिसमें ₹ 11,034.26 करोड़ का व्यय करके राष्ट्रीय स्तर पर कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन प्रगति के मामले में राज्य 23वें स्थान पर था।

छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन पर निष्पादन लेखापरीक्षा यह आकलन करने के लिए की गई थी कि क्या कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आवश्यक योजना एवं संस्थागत तंत्र उपलब्ध थे, वित्तीय संसाधनों का उपयोग मितव्ययी एवं दक्ष तरीके से किया गया था, योजना का कार्यान्वयन प्रभावी एवं दक्ष था, तथा योजना के उद्देश्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त किया गया था।

हमने क्या पाया ?

हमने पाया कि राज्य में दीर्घकालिक पेयजल सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु ग्राम कार्य योजना से जिला कार्य योजना तथा राज्य कार्य योजना तक जलापूर्ति योजनाओं के लिए बॉटम-अप योजना प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था। राज्य कार्य योजना तैयार नहीं की गई थी एवं जिला कार्य योजना संबंधित ग्राम कार्य योजना बनाये बिना तैयार की गई थी। ग्राम कार्य योजनाओं की तैयारी के दौरान कार्यान्वयन सहायता एजेंसियों द्वारा योजना स्तर पर ग्राम पंचायत एवं सामुदायिक भागीदारी की अपेक्षित सहायता सुनिश्चित नहीं की गई, क्योंकि कार्यान्वयन सहायता एजेंसियों को ग्राम कार्य योजनाओं की तैयारी के बाद लगाया गया था। राज्य स्तर पर कोई जल सुरक्षा योजना नहीं थी, अतः मिशन अवधि के दौरान स्रोत स्थिरता एवं अनुरक्षण के लिए दीर्घकालिक रणनीति एवं निगरानी सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि मार्च 2025 तक नल कनेक्शन प्रदान करने के लिए 50 लाख घरों के लक्ष्य के विरुद्ध 40.10 लाख घरों में कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन स्थापित किए गए थे। स्थापित 40.10 लाख कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन में से, 13.31 लाख (33 प्रतिशत) कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन जनवरी 2025 तक सूखे स्रोत, अपूर्ण ओवरहेड टैंक, बिजली कनेक्शन की कमी, सौर पंप की स्थापना नहीं होने आदि के कारण अकार्यशील थे।

जल जीवन मिशन के दिशानिर्देशों के अनुसार, छत्तीसगढ़ के सभी 19,656 गांवों को मार्च 2024 तक 'हर घर जल' के रूप में प्रमाणित किया जाना था। 'हर घर जल' के रूप में 19,656 गांवों के 100 प्रतिशत प्रमाणन के लक्ष्य की तुलना में, छत्तीसगढ़ में मार्च 2024 तक केवल 716 गांवों (3.64 प्रतिशत) को 'हर घर जल' के रूप में प्रमाणित किया गया था। अधूरे कार्य/योजनाओं के बावजूद 'हर घर जल' के रूप में गांवों के प्रमाणन के मामले भी पाये गये।

मार्च 2024 तक, छत्तीसगढ़ के 33 जिलों एवं 146 जनपदों में से किसी ने भी सभी घरों में कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन की सुविधा प्रदान करने में 100 प्रतिशत परिपूर्णता हासिल नहीं की है। 18 जिलों में कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन कवरेज 76 से 98 प्रतिशत के बीच रहा, जिसमें धमतरी जिला 98 प्रतिशत एवं बलौदाबाजार जिला 76 प्रतिशत के साथ सबसे आगे रहा। इसके अतिरिक्त, शेष 15 जिलों में कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन कवरेज 56 से 74 प्रतिशत के बीच रहा।

छत्तीसगढ़ में, जल जीवन मिशन के अंतर्गत स्वीकृत कुल 29,153 एकल ग्राम योजनाओं एवं 70 बहु ग्राम योजनाओं में से मार्च 2024 तक केवल 172 एकल ग्राम योजनाएं पूरी की गई थीं, जिनमें से 32 योजनाएं समुदाय/ग्राम पंचायत को सौंप दी गई थीं।

बहु ग्राम योजना की शुरुआत में विलंब के कारण सतही जल स्रोतों के माध्यम से 9.85 लाख कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन को आच्छादित करने का उद्देश्य बाधित हुआ, क्योंकि मार्च 2025 तक कोई भी बहु ग्राम योजना पूरी नहीं हुई थी। लेखापरीक्षा में योजनाओं के क्रियान्वयन में कमियां भी पाई गईं; जैसे परियोजना की लागत को स्वीकृत लागत के भीतर रखने के लिए सुपरवाइजरी कंट्रोल और डेटा एक्सेस जैसे अनिवार्य घटकों को समाप्त करने, तथा स्रोत में जल की कम उपलब्धता के कारण मांग के सापेक्ष स्रोत से जल का अपर्याप्त आबंटन, जिससे बहु ग्राम योजनाओं के अंतर्गत निगरानी दक्षता एवं घरों में पेयजल की दीर्घकालिक आपूर्ति के लिए जल स्रोत की स्थिरता से समझौता हुआ।

सौर फोटो वोल्टेइक (सौर) आधारित जल योजनाएं, स्थापित सौर प्रणाली की क्षमता से अधिक कार्यशील घरेलू नल कनेक्शनों के ओवरलोडिंग के कारण 28,984 घरों के लिए पेयजल हेतु निर्धारित न्यूनतम सेवा स्तर को पूरा करने में विफल रहीं।

प्रथम दो वर्षों में मिशन की धीमी प्रगति के कारण, राज्य मिशन केद्रांश (₹ 3,285.38 करोड़) एवं राज्यांश (₹ 3,194.66 करोड़) कुल ₹ 6,480.04 करोड़ की धनराशि नहीं जुटा सका। लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य वार्षिक योजना तैयार नहीं होने के कारण, दीर्घकालिक जल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जल संरक्षण गतिविधियों के अभिसरण की योजना नहीं बनाई जा सकी। निधियों के अभिसरण हेतु, जिला जल एवं स्वच्छता मिशन को 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत को ग्रामीण पेयजल आपूर्ति के लिए उपलब्ध सभी संसाधनों एवं अन्य कार्यक्रमों के अंतर्गत केंद्रीय एवं राज्य निधि अर्थात महात्मा गाँधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), सांसद स्थानीय विकास निधि, जिला खनिज निधि, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व निधि आदि एकीकृत कर वित्तीय योजना तैयार करनी थी परंतु नमूना जांच किये गये जिलों में ऐसी कोई वित्तीय योजना नहीं बनायी गई थी। मिशन अपने वित्तीय संसाधन को बढ़ाने के लिए सामुदायिक अंशदान के रूप में ₹ 2,220.18 करोड़ एवं 15वें वित्त आयोग के बद्ध अनुदान ₹ 1,358 करोड़ नहीं जुटा सका। जल गुणवत्ता निगरानी एवं चौकसी पर व्यय (₹ 40.88 करोड़) दो प्रतिशत की प्रावधानित राशि (₹ 199.79 करोड़) से कम था।

जल जीवन मिशन अवधि के दौरान जल गुणवत्ता परीक्षण बुनियादी ढांचे के विस्तार में महत्वपूर्ण कमी थी। राज्य की 75 प्रयोगशालाओं में से केवल चार प्रयोगशालाएं (यथा राज्य स्तरीय प्रयोगशाला रायपुर, जिला प्रयोगशालाएं-राजनंदगांव, कबीरधाम एवं दुर्ग) ही जल परीक्षण के लिए निर्धारित सभी 13 मापदंडों के परीक्षण के लिए सुसज्जित थे। मौजूद जल परीक्षण प्रयोगशालाओं में से 37 प्रतिशत के पास राष्ट्रीय परीक्षण एवं अंशांकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड से मान्यता का अभाव था। स्कूलों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में निर्धारित आवृत्ति के अनुसार जल

परीक्षण नहीं किया जा रहा था।

जल जीवन मिशन के अंतर्गत जलापूर्ति योजनाओं के कार्यान्वयन में अपर्याप्त योजना, सौर ऊर्जा आधारित प्रणालियों की खराब रूप-रेखा, सतत जल स्रोतों की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना योजनाओं का क्रियान्वयन, जल गुणवत्ता परीक्षण सुविधाओं का कमी, अपर्याप्त परीक्षण, वित्तीय संसाधनों एवं सामुदायिक सहभागिता में कमी, तथा कमजोर संस्थागत निगरानी के कारण स्थिरता संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। योजना को पूरा किये बिना एवं उसकी कार्यक्षमता सुनिश्चित किये बिना कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन को अधिक प्रतिवेदित करने तथा गलत 'हर घर जल' प्रमाणीकरण ने योजना को अधिक नुकसान पहुंचाया। अतः ग्रामीण आबादी को दीर्घकालिक स्थायी पेयजल आपूर्ति प्रदान करने में विफलता का जोखिम अभी भी उच्च बना हुआ है।

हम क्या अनुशंसा करते हैं ?

राज्य सरकार को चाहिए कि:

- ***निधियों की वास्तविक स्थिति एवं अपूर्ण कार्यों का आकलन करना एवं जलापूर्ति योजनाओं को यथासमय पूर्ण किया जाए विशेषकर प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में।***
- ***शीर्ष स्तर पर निधियों के अभिसरण के लिए अंतर-विभागीय समन्वय हेतु सुव्यवस्थित प्रक्रियाएं अपनाई जाए।***
- ***लेखापरीक्षा द्वारा इंगित गलत प्रमाणीकरण के मुद्दों को सुलझाने हेतु 'हर घर जल' को प्रतिवेदित करने एवं प्रमाणीकरण की प्रक्रिया की समीक्षा कराई जाए।***
- ***पर्याप्त जनशक्ति एवं उपकरणों के साथ राष्ट्रीय परीक्षण एवं अंशांकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड से मान्यता प्राप्त क्रियाशील जल परीक्षण प्रयोगशालाएं सुनिश्चित किया जाए।***
- ***योजनाओं की स्थिरता हेतु समीक्षा की जाए जिसमें सामुदायिक स्वामित्व, जल स्रोत पहचान पर विशेष ध्यान दिया जावे जिससे भविष्य की पीढ़ियों के लिए जल सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।***

अध्याय - I

परिचय

अध्याय-I

परिचय

1 कार्यक्रम का अवलोकन एवं लेखापरीक्षा दृष्टिकोण

1.1 परिचय

जल जीवन मिशन भारत सरकार द्वारा अगस्त 2019 में घोषित एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य 2024[1] तक भारत के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को पर्याप्त मात्रा में एवं निर्धारित गुणवत्ता का सुरक्षित पेयजल कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से नियमित एवं दीर्घकालिक आपूर्ति सुनिश्चित करना है। उपरोक्त के अनुरूप, छत्तीसगढ़ शासन ने 44.39 लाख परिवारों को कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करने के उद्देश्य के साथ मिशन की शुरुआत की, जिसे संशोधित कर वर्ष 2024 तक 50 लाख परिवारों तक कर दिया गया था। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग छत्तीसगढ़ शासन का नोडल विभाग है, जिसे राज्य की ग्रामीण आबादी को पेयजल उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

1.2 छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन हेतु संस्थागत ढांचा

छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन हेतु, राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन छत्तीसगढ़ के अंतर्गत दो समितियों, अर्थात् एपेक्स समिति एवं कार्यकारिणी समिति, का गठन (मार्च तथा जून 2020) किया गया था। एपेक्स समिति की अध्यक्षता शासन के मुख्य सचिव द्वारा की जाती है तथा यह समग्र नीति निर्धारण, रणनीतिक योजना निर्माण एवं निगरानी के लिए उत्तरदायी है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सचिव एपेक्स समिति के सदस्य सचिव के रूप में कार्य करते हैं। कार्यकारिणी समिति की अध्यक्षता मिशन निदेशक, जल जीवन मिशन, एक सचिव स्तर के अधिकारी द्वारा की जाती है, जो परियोजना के नियोजन, निधि प्रबंधन तथा जिला एवं ग्राम स्तरीय निकायों के साथ समन्वय सहित दैनिक क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होते हैं।

चार्ट 1.1 जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन हेतु संस्थागत ढांचे को दर्शाता है।

[1] भारत सरकार ने जल जीवन मिशन को 2028 तक बढ़ाने की घोषणा की।

चार्ट 1.1: छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन हेतु संस्थागत ढांचा

एस.डब्ल्यू.एस.एम — राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन

- **एपेक्स समिति:** एपेक्स समिति की अध्यक्षता छत्तीसगढ़ शासन के मुख्य सचिव द्वारा की जाती है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के प्रमुख सचिव एपेक्स समिति के सदस्य सचिव होते हैं।
- **कार्यकारिणी समिति:** कार्यकारी समिति की अध्यक्षता मिशन निदेशक जो सचिव स्तर के अधिकारी होते हैं, द्वारा की जाती है, जो जलापूर्ति योजनाओं के भौतिक एवं वित्तीय प्रदर्शन की निगरानी तथा उनके प्रबंधन के लिए उत्तरदायी हैं।

डी.डब्ल्यू.एस.एम — जिला जल एवं स्वच्छता मिशन

- **अध्यक्ष, जिला जल एवं स्वच्छता मिशन:** जिला कलेक्टर, जिला जल एवं स्वच्छता मिशन के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं तथा जिला स्तर पर जल जीवन मिशन के समग्र क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी हैं।
- **सदस्य सचिव, जिला जल एवं स्वच्छता मिशन:** कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग सदस्य सचिव के रूप में कार्य करते हैं, ग्राम समुदाय को ग्राम कार्य योजना तैयार करने, डिजाइन एवं प्राक्कलन बनाने तथा जलापूर्ति अवसंरचना की तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने हेतु तकनीकी सहायता देने के लिए उत्तरदायी हैं।

वी.डब्ल्यू.एस.सी. — ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति

- ग्राम समुदाय, ग्राम सर्वेक्षण के माध्यम से या इसकी उप-समितियों के माध्यम से ग्राम कार्य योजना तैयार करने, योजना बनाने, डिजाइन करने, क्रियान्वयन, पर्यवेक्षण, संचालन एवं जलापूर्ति योजनाओं के अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है।

₹ पाँच करोड़ तक की लागत वाली योजनाओं की स्वीकृति तथा उनके लिए निविदा आमंत्रित करने के वित्तीय अधिकार जिला जल एवं स्वच्छता मिशन को सौंपे गए थे। इसके अतिरिक्त, बहु ग्राम जलापूर्ति योजनाओं की स्वीकृति के अधिकार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन में निहित थे।

1.3 जल जीवन मिशन के अंतर्गत योजनाओं के प्रकार

जल जीवन मिशन के दिशानिर्देश (2019) में कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करने हेतु दो प्रकार की योजनाओं, अर्थात् एकल ग्राम योजना एवं बहु ग्राम योजना का प्रावधान किया गया था। एकल ग्राम योजना भूजल, झरनों अथवा सतही जल योजना है, जिसमें पेयजल स्रोत का विकास/संवर्धन, जल शोधन संयंत्र, पम्पिंग व्यवस्था, ओवरहेड टैंक तथा कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन तक जल वितरण नेटवर्क सम्मिलित होता है। छत्तीसगढ़ में अधिकांश (90 प्रतिशत) एकल ग्राम योजनायें भूजल स्रोत पर आधारित हैं। बहु ग्राम योजना सतही जल पर आधारित योजना है, जो कई गाँवों की आवश्यकताओं को पूरा करती है। यह दो भागों में होती है, अर्थात् ग्राम-अंतर्गत अवसंरचना एवं ग्राम-बाह्य अवसंरचना। ग्राम-अंतर्गत अवसंरचना में पम्पिंग व्यवस्था, ओवरहेड टैंक तथा कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन तक जल वितरण नेटवर्क सम्मिलित होता है, जो एकल ग्राम योजना के समान है तथा ग्राम-बाह्य अवसंरचना के प्रमुख घटकों में कच्चे जल का स्रोत, कच्चे जल का भंडारण, संचरण प्रणाली, शोधन प्रणाली, पम्पिंग मशीनरी, संतुलन जलाशय तथा ग्राम सीमा तक वितरण प्रणाली सम्मिलित हैं। छत्तीसगढ़ में, ग्राम-बाह्य अवसंरचना घटक को बहु ग्राम योजना के अंतर्गत क्रियान्वयन किया गया था, जबकि ग्राम-अंतर्गत अवसंरचना का क्रियान्वयन पृथक रूप से एकल ग्राम योजना के रूप में किया गया था।

छत्तीसगढ़ में, जल जीवन मिशन के अंतर्गत लेखापरीक्षा अवधि के दौरान 50 लाख परिवारों को कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करने हेतु 29,153 एकल ग्राम योजनायें तथा 70 बहु ग्राम योजनायें स्वीकृत की गई थी। मार्च 2024 तक केवल 172 एकल ग्राम योजनायें पूर्ण की गई थीं,

जिनमें से 32 योजनायें समुदाय/ग्राम पंचायत को हस्तांतरित की जा चुकी थीं। सतही जल स्रोतों के माध्यम से 9.85 लाख कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन को आच्छादित करने हेतु स्वीकृत सभी 70 बहु ग्राम योजनाओं (ग्राम-बाह्य) का कार्य मार्च 2024 तक प्रगतिरत था।

1.4 भौतिक प्रगति

जल जीवन मिशन के शुरुआत के समय छत्तीसगढ़ में 3.20 लाख ग्रामीण परिवारों के घरों में कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध थे। मार्च 2024 तक भारत में कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन प्रगति के संदर्भ में छत्तीसगढ़ 23वें स्थान पर था, जो मार्च 2025 तक फिसलकर 26वें स्थान पर पहुँच गया था।

चार्ट 1.2: जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रदान किए गए कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन की वर्षवार प्रगति

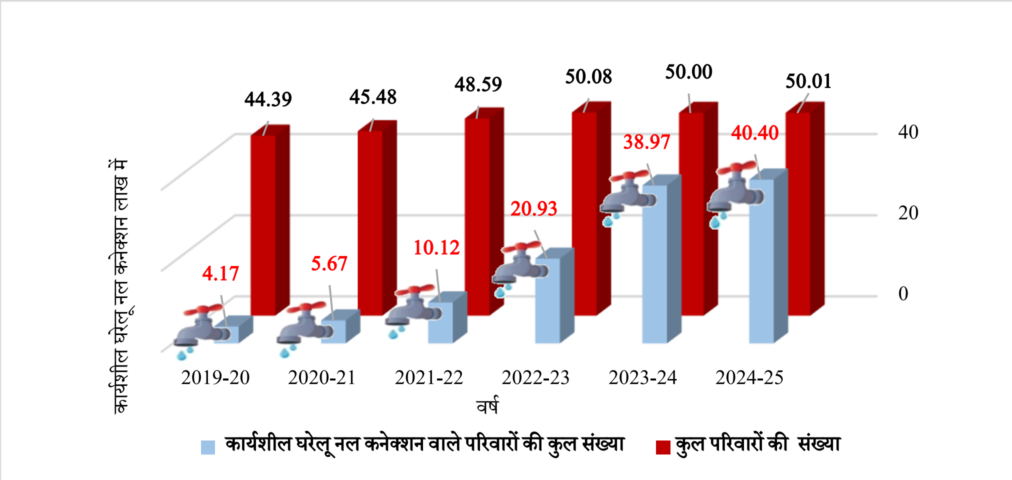

वर्षवार प्रदान किए गए कार्यशील घरेलू नल कनेक्शनों का विवरण **तालिका 1.1** में दिया गया है।

तालिका 1.1: जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रदान किए गए कार्यशील घरेलू नल कनेक्शनों की वर्षवार प्रगति

वर्ष	1 अप्रैल को कुल ग्रामीण परिवार[2]	31 मार्च तक कार्यशील घरेलू नल कनेक्शनों प्राप्त परिवार	उपलब्धि (प्रतिशत में)
2019-20	44,38,941	4,16,568	9
2020-21	45,48,080	5,66,614	12
2021-22	48,59,443	10,11,583	21
2022-23	50,08,481	20,92,828	42
2023-24	50,00,155	38,97,049	78
2024-25	50,01,291	40,40,180	81

(स्रोतः जल जीवन मिशन एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली का प्रतिवेदन जे-36)

(टिप्पणी: 40.40 लाख को आंकड़े में अप्रैल 2019 तक उपलब्ध 3.20 लाख उपलब्ध कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन तथा निजी/स्वयं के स्रोत के माध्यम से प्रदान किए गए 1.48 लाख कनेक्शन को शामिल है।)

[2] राज्य में कुल परिवारों की संख्या को वार्षिक आकडों अद्यतन के दौरान अपडेट किया गया।

कुल 40.40 लाख स्थापित कार्यशील घरेलू नल कनेक्शनों में से जनवरी 2025 तक 13.31 लाख कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन (33 प्रतिशत) जल स्रोत का सूख जाने, ओवरहेड टैंक का अधूरा होने, बिजली कनेक्शन की कमी, सोलर पंप की स्थापना न होने आदि के कारण कार्यशील नहीं थे।

जल जीवन मिशन के दिशानिर्देशों के अनुसार, छत्तीसगढ़ के सभी 19,656 गांवों को मार्च 2024 तक 'हर घर जल' के रूप में प्रमाणित किया जाना था। 19,656 गांवों को 100 प्रतिशत 'हर घर जल' प्रमाणन के लक्ष्य के विरुद्ध, मार्च 2024 तक केवल 716 गाँव (3.64 प्रतिशत) ही 'हर घर जल' के रूप में प्रमाणित हुए, जो मार्च 2025 तक बढ़कर 3,266 ग्राम (17 प्रतिशत) हो गई।

मार्च 2024 तक छत्तीसगढ़ के 33 जिलों एवं 146 जनपदों में से कोई भी जिला या जनपद सभी परिवारों को कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध कराने में 100 प्रतिशत परिपूर्णता प्राप्त नहीं कर सका था। 18 जिलों में कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन कवरेज 76 से 98 प्रतिशत के बीच रहा, जिसमें धमतरी जिला 98 प्रतिशत तथा बलौदाबाजार में 76 प्रतिशत कवरेज के साथ अग्रणी रहा, इसके अतिरिक्त, शेष 15 जिलों में कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन कवरेज 56 से 74 प्रतिशत के बीच रहा। मार्च 2024 तक राज्य में कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन कवरेज की जिला-वार स्थिति नीचे **चार्ट 1.3** में दर्शाई गई है।

चार्ट 1.3: कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन कवरेज की जिला-वार स्थिति

1.5 वित्तीय प्रगति

वर्ष 2019-20 से 2023-24 की अवधि के दौरान, जल जीवन मिशन के अंतर्गत भारत सरकार एवं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कुल ₹ 11,855.72 करोड़ की धनराशि जारी की गई, जिसके विरुद्ध राज्य में जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन पर ₹ 11,034.26 करोड़ का व्यय किया गया। वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान जल जीवन मिशन के अंतर्गत जारी की गई धनराशि तथा किए गए व्यय का विवरण **तालिका 1.2** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.2: जल जीवन मिशन के अंतर्गत जारी निधि एवं व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष	जारी निधि			अन्य प्राप्तियां*	कुल उपलब्ध निधि	व्यय	अंतिम शेष
		केन्द्र	राज्य	कुल				
1	2	3	4	5(3+4)	6	7(2+5+6)	8	9
2019-20	0	24.27	24.27	48.54	0.59	49.13	23.36	25.77
2020-21	25.77	290.15	283.95	574.10	3.14	603.01	444.30	158.71
2021-22	158.71	556.82	543.64	1,100.46	13.35	1,272.52	988.98	283.54
2022-23	283.54	2,236.86	2,184.97	4,421.83	6.11	4,711.48	4,203.40	508.08
2023-24	508.08	2,885.56	2,825.23	5,710.79	15.28	6,234.15	5,374.22	859.93
कुल		**5,993.66**	**5,862.06**	**11,855.72**	**38.47**		**11,034.26**	

(स्रोत : राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के लेखापरीक्षित लेखों के उपयोगिता प्रमाणपत्रों के अनुसार)

*(*इसमें ब्याज भुगतान एवं रिफंड सम्मिलित हैं)*

(**टिप्पणी**: वर्ष 2019-20 के दौरान भारत सरकार द्वारा ₹ 65.82 करोड़ जारी किए गए थे, जिनमें से राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन ने ₹ 41.55 करोड़ केंद्रांश तथा ₹ 40.58 करोड़ समतुल्य राज्यांश को अगले वित्तीय वर्ष 2020-21 में जमा किया। इसी प्रकार, वर्ष 2020-21 से संबंधित ₹ 92.47 करोड़ की केंद्रांश राशि तथा ₹ 89.87 करोड़ की समतुल्य राज्यांश राशि को वित्तीय वर्ष 2021-22 में नोडल खाते में जमा किया गया तथा वर्ष 2021-22 से संबंधित केंद्रीय एवं राज्य प्रत्येक का ₹ 12.88 करोड़ अंशदान वित्तीय वर्ष 2022-23 में जमा किया गया।)

उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि मार्च 2024 तक भारत सरकार एवं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी कुल ₹ 11,855.72 करोड़ की निधि के विरुद्ध ₹ 11,034.26 करोड़ का व्यय किया गया था जिसमे ₹ 859.93 करोड़ की राशि शेष थी। राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन की कार्यकारिणी समिति ने वर्ष 2023-24 के दौरान आयोजित बैठक में जल जीवन मिशन के अंतर्गत एकल ग्राम योजना/बहु ग्राम योजना को प्रदान की गई प्रशासनिक स्वीकृति के आधार पर ₹ 26,137 करोड़ की निधि की आवश्यकता का अनुमान लगाया था। वर्ष 2024-25 के दौरान भारत सरकार एवं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा ₹ 3,823 करोड़ की निधि जारी की गई। मौजूदा योजनाओं के पूर्ण होने हेतु अतिरिक्त निधि की आवश्यकता होगी, तथापि वर्ष 2025-26 के दौरान केंद्र सरकार द्वारा कोई निधि जारी नहीं की गई तथा राज्य शासन द्वारा भी सितंबर 2025 तक केवल ₹ 983 करोड़ ही जारी किए गए थे। इसका प्रभाव योजनाओं के समयबद्ध पूर्ण होने पर भी पड़ेगा।

1.6 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा निम्नलिखित का आकलन करने हेतु की गई थी कि क्या:-

- कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आवश्यक योजना एवं संस्थागत व्यवस्थाएँ उपलब्ध थीं;
- वित्तीय संसाधनों का उपयोग मितव्ययता एवं दक्षतापूर्वक किया गया था;
- कार्यक्रम का कार्यान्वयन प्रभावी एवं दक्ष था तथा कार्यक्रम के उद्देश्यों की सफलतापूर्वक प्राप्ति हुई थी।

1.7 लेखापरीक्षा मानदंड

निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षा के मानदंड निम्नलिखित स्रोतों से लिए गए थे:-

i. जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन हेतु परिचालन दिशानिर्देश (दिसंबर 2019)

ii. केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण अभियांत्रिकी संगठन द्वारा जल आपूर्ति एवं उपचार की नियमावली (मई 1999) तथा संचालन एवं अनुरक्षण की नियमावली

iii. भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी जल गुणवत्ता निरीक्षण एवं चौकसी फ्रेमवर्क (अक्टूबर 2021)

iv. भारतीय मानक ब्यूरो आई.एस:10500 (2015)

v. समय-समय पर भारत सरकार एवं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी आदेश/अधिसूचनाएँ/परिपत्र

vi. छत्तीसगढ़ लोक निर्माण विभाग का नियमावली।

1.8 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं पद्धति

जल जीवन मिशन पर की गई निष्पादन लेखापरीक्षा में वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन की अवधि को सम्मिलित किया गया है जिसमे प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यालय में अभिलेखों की नमूना जाँच तथा राज्य में जल जीवन मिशन के समग्र क्रियान्वयन का आकलन करने हेतु मिशन संचालक, जल जीवन मिशन एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण के कार्यालयों से सूचनाएँ एकत्रित की गईं। लेखापरीक्षा के अंतर्गत अगस्त 2024 से सितंबर 2024 के दौरान चयनित 33 जिलों में से स्तरीकृत यादृच्छिक नमूना विधि के माध्यम से जिला स्तर की छह[3] कार्यान्वयन इकाइयों अर्थात् जिला जल एवं स्वच्छता मिशन तथा जिला एवं विकासखंड प्रयोगशालाओं के अभिलेखों की भी जाँच की गई। प्रत्येक चयनित जिलों से दो जनपद तथा प्रत्येक चयनित जनपद से दो गाँवों का चयन योजनाओं की नमूना जाँच हेतु किया गया। राज्य में परियोजना के क्रियान्वयन का आकलन करने के लिए 24 चयनित गाँवों में प्रत्येक में 20 परिवारों का लाभार्थी सर्वेक्षण भी किया गया। चयनित इकाइयों की सूची **परिशिष्ट 1.1** में दी गई है।

निष्पादन लेखापरीक्षा के उद्देश्यों, कार्यक्षेत्र एवं पद्धति पर चर्चा हेतु सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के साथ एक आगम बैठक (जून 2023) आयोजित की गयी थी। मसौदा प्रतिवेदन जनवरी 2025 में राज्य सरकार को प्रेषित किया गया। लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा हेतु मई 2025 में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सचिव के साथ एक निर्गम बैठक आयोजित की गई। शासन के विचारों/उत्तर को यथोचित रूप से प्रतिवेदन में सम्मिलित किया गया। लेखापरीक्षा, निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान विभाग तथा परीक्षण जाँच की गई इकाइयों द्वारा प्रदान किए गए सहयोग एवं सहायता के लिए आभार व्यक्त करता है।

[3] 1. धमतरी, 2. गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, 3. कोंडागांव, 4. कोरबा, 5. महासमुंद, 6. सरगुजा

अध्याय - II

योजना

अध्याय-II

योजना

2.1 कार्ययोजना तैयार करना

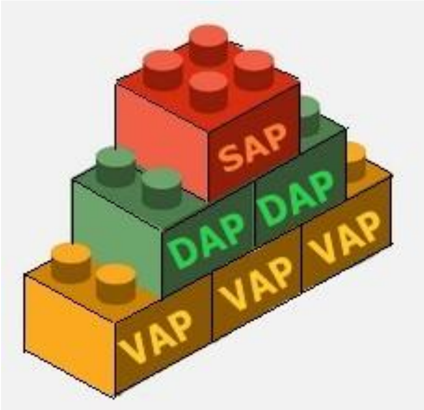

किसी भी कार्यक्रम के लिए निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु योजना बनाना अत्यंत आवश्यक है। जल जीवन मिशन दिशानिर्देशों के अनुच्छेद 3.5 एवं 3.6 में वर्णित रणनीति के अनुसार, प्रत्येक जिले की सभी ग्राम पंचायतों द्वारा आवश्यकता-आधारित ग्राम कार्य योजनायें तैयार की जानी थीं। जिले के सभी गाँवों की ग्राम कार्य योजना को जिला जल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा समेकित कर जिला कार्य योजना तैयार की जानी थी तथा जिला कार्य योजना के आधार पर राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा राज्य कार्य योजना तैयार कर योजना को अंतिम रूप दिया जाना था। ग्राम, जिला एवं राज्य स्तर पर योजना निर्माण की रणनीति **चार्ट 2.1** में दर्शाई गई है।

चार्ट 2.1: योजना के लिए रणनीति

ग्राम, जिला एवं राज्य स्तर पर योजना निर्माण में पाई गई कमियों की चर्चा निम्नलिखित कंडिकाओं में की गई है।

2.1.1 ग्राम कार्य योजना

जल जीवन मिशन दिशानिर्देशों में प्रावधान है कि ग्राम कार्य योजना को ग्रामीण समुदाय की महसूस की गई जरूरतों पर आधारित होना चाहिए। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग गाँवो के लिए सर्वोतम उपयुक्त योजना के चयन के लिए ग्राम पंचायतो को कम से कम लागत वाली जल आपूर्ति प्रणालियों के साथ परियोजनाओं के तकनीकी-आर्थिक एवं सामाजिक-आर्थिक विश्लेषण के आधार पर तैयार किए गए तीन विकल्प प्रदान करेगा। प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध कराने हेतु ग्राम की सभी जलापूर्ति एवं उससे संबंधित कार्य, ग्राम पंचायत द्वारा अनुमोदित ग्राम कार्य योजना से लिए जायेंगे। ग्राम कार्य योजना के विभिन्न घटकों के कार्यान्वयन हेतु संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग एवं लक्षित परिणाम सुनिश्चित करने के लिए जल जीवन मिशन सहित विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सभी निधियों का समन्वय किया जाना था।

24 ग्राम कार्य योजनाओं के नमूना जांच के दौरान लेखापरीक्षा में निम्नलिखित तथ्य पाये गये:

- **समुदाय की भागीदारी का अभाव:** जल जीवन मिशन दिशानिर्देश (2019) के अनुसार, ग्राम कार्य योजना को ग्राम सभा में 80 प्रतिशत गाँववासियों की उपस्थिति एवं सहमति से अनुमोदित किया जाना था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि 24 में से 22 ग्राम कार्य योजनायें ग्राम सभा द्वारा केवल 1 से 28 प्रतिशत आबादी/ग्रामीण समुदाय की उपस्थिति में ही अनुमोदित किए गए थे, जबकि दो मामलों में उपस्थिति 50 प्रतिशत से अधिक थी।
- **तकनीकी-आर्थिक विश्लेषण पर आधारित न्यूनतम लागत विकल्प का प्रदान न किया जाना:** ग्राम के भीतर जलापूर्ति प्रणाली का निर्णय लेते समय, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा समुदाय की भागीदारी शामिल करते हुए पूर्ण तकनीकी -आर्थिक विश्लेषण के साथ न्यूनतम लागत वाली संभावित जलापूर्ति प्रणालियों के तीन विकल्प ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति के समक्ष प्रस्तुत किए जाने चाहिए थे एवं प्रणाली का चयन करते समय ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति को शामिल किया जाना था, संचालन एवं अनुरक्षण की कम लागत पर जोर दिया जाना था तथा योजना को संचालित करने एवं बनाए रखने के लिए स्थानीय समुदाय की क्षमता पर विशेष बल दिया जाना था। लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि 24 ग्राम कार्य योजनाओं में से 12 ग्राम कार्य योजनाओं में ग्राम के लिए केवल एक ही योजना का उल्लेख किया गया था, जबकि पूर्ण तकनीकी-आर्थिक विश्लेषण सहित न्यूनतम लागत वाली संभावित जलापूर्ति योजनाओं के तीन विकल्प प्रस्तुत नहीं किए गए थे। इससे ग्राम पंचायतों की ग्राम के लिए सबसे उपयुक्त योजना के चयन हेतु उचित निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित हुई।
- **अपूर्ण विवरण/आंकड़ाः** ग्राम में मौजूदा जलापूर्ति प्रणालियों, स्रोत सुदृढ़ीकरण, जल उपलब्धता की सामान्य प्रवृति, प्रमुख जलजनित रोग आदि से संबंधित जानकारी के ऐतिहासिक आंकड़े 24 ग्राम कार्य योजनाओं में से 10 ग्राम कार्य योजनाओं में सम्मिलित नहीं पाये गये।
- **जल बजट का न तैयार होनाः** ग्राम कार्य योजना के अंतर्गत तैयार किए गए जल बजट को स्थानीय समुदाय के बीच प्रसारित किया जाना था, ताकि उन्हें सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली

अपनाकर कृषि जल-उपयोग दक्षता में सुधार करने तथा/अथवा कृषि-जलवायु क्षेत्र के अनुरूप फसल चक्र अपनाने के लिए संवेदनशील किया जा सके।

- **निधि के स्रोतः** गाँव के लिए जलापूर्ति योजना को स्वीकृत करते समय 24 ग्राम कार्य योजनाओ में से 13 में, निधि के स्रोत जैसे कि भारत सरकार, राज्य सरकार का हिस्सा एवं समुदायिक अंशदान, साथ ही अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण पर चर्चा नहीं की गई थी। इस प्रकार, पूंजी एवं संचालन एवं अनुरक्षण लागत में अंशदान करने के लिए लोगों की इच्छा एवं उनकी वहन क्षमता सुनिश्चित नहीं की जा सकी।
- **कार्यान्वयन सहायता एजेंसियाँ की गैर-भागीदारी:** नमूना जांच की गई 24 गावों में सभी 24 ग्राम कार्य योजनाओं को अक्टूबर से दिसंबर 2020 के दौरान ग्राम पंचायत/ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा स्वीकृत किया गया था। जबकि ग्राम पंचायतों द्वारा ग्राम कार्य योजना की स्वीकृति के बाद कार्यान्वयन सहायक एजेंसियाँ को जिला जल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा सितंबर 2021 से मार्च 2023 के मध्य नियुक्त किया गया था। कार्यान्वयन सहायता एजेंसियाँ को ग्राम कार्य योजना तैयार करने मे ग्राम पंचायतों की सहायता करने एवं ग्रामीण परिवारों से पूंजीगत लागत तथा पाइपलाइन जलापूर्ति योजना के संचालन एवं अनुरक्षण में नियमित अंशदान हेतु सहमति प्राप्त करने के लिए नियुक्त किया जाना था। कार्यान्वयन सहायता एजेंसियाँ की देरी से नियुक्ति यह दर्शाता है कि कार्यान्वयन सहायता एजेंसियाँ द्वारा योजना स्तर पर ग्राम पंचायतो की अपेक्षित सहायता एवं समुदायिक भागीदारी सुनिश्चित नहीं की जा सकी।
- **ग्राम कार्य योजना आकड़ों में विसंगतियाँ:** लेखापरीक्षा में पाया गया कि ग्राम कार्य योजना में एकत्रित आंकड़े योजनाओं की स्वीकृति के लिए उपयोग किए गए आकड़ों से मेल नहीं खा रहे थे। जांच की गई योजनाओं में, ग्राम कार्य योजना एवं विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार, जनसंख्या एवं प्रदान किए जाने वाले कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन की संख्या में अंतर पाया गया, जो यह दर्शाता है कि ग्राम कार्य योजना बिना आधारभूत सर्वेक्षण के तैयार किए गए थे, जो ग्राम स्तर की योजना की पूरी प्रक्रिया को कमज़ोर करते है।

इस प्रकार, ग्राम कार्य योजना तैयार करने में उपरोक्त विसंगतियों के कारण जलापूर्ति प्रणाली के साथ-साथ पेयजल स्रोतों का प्रबंधन, संचालन एवं अनुरक्षण करने तथा जलापूर्ति प्रणाली से संबंधित सभी निर्णयों में 'स्वामित्व की भावना' के साथ समुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करने का उद्देश्य पूरा नहीं हो सका।

2.1.2 जिला कार्य योजना

जल जीवन मिशन दिशानिर्देशों के अनुसार, जिले के सभी गाँवों में पेयजल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिला जल और स्वच्छता मिशन द्वारा सभी ग्राम कार्य योजनाओं एवं अतिरिक्त कार्यों जैसे कि थोक जल हस्तांतरण, वितरण नेटवर्क, प्रयोगशालाएँ आदि को समेकित कर जिसमें रणनीतिक वार्षिक एवं त्रैमासिक योजनायें भी शामिल है, जिला कार्ययोजना तैयार की जानी चाहिए एवं इसे राज्य कार्ययोजना में समेकित करने के लिए राज्य जल और स्वच्छता मिशन को

भेजा जाना चाहिए था। जिला कार्ययोजना में कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन कवरेज के लिए चिन्हित गतिविधियों के वित्तीय विवरण एवं समयसीमा भी सम्मिलित की जानी चाहिए।

- **बॉटम-अप योजना बनाये जाने का अभाव:** लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना जांच किए गए छह जिलों की जिला कार्य योजनायें अप्रैल 2020 से फरवरी 2021 के मध्य तैयार एवं अनुमोदित की गईं। नमूना जांच किए गए छह जिलों में से दो जिलों (कोंडागांव एवं कोरबा) में ग्राम कार्य योजनायें तैयार होने से पहले ही जिला कार्य योजनायें तैयार कर ली गयी थीं, जो बॉटम-अप योजना बनाये जाने की कमी को दर्शाता है।
- **सहायक गतिविधियों के लिए योजना का अभावः** दिशानिर्देशों में कहा गया है कि सहायक गतिविधियाँ जैसे सूचना, शिक्षा एवं संचार, प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण आवश्यकता-आधारित होनी चाहिए तथा जिला कार्य योजना में इसका विस्तार से चर्चा की जानी चाहिए। लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना जांच किए गए जिलों के जिला कार्य योजना में सहायक गतिविधियों जैसे सूचना, शिक्षा एवं संचार गतिविधियाँ, प्रशिक्षण, तृतीय पक्ष निरीक्षण एवं कार्यान्वयन सहायता एजेंसियों की आवश्यकता एवं नियुक्ति की योजनाओं पर चर्चा नहीं की गई थी।
- **जल गुणवत्ता परीक्षण सुविधाओं के लिए योजना का अभावः** नमूना जांच किए गए किसी भी जिले के जिला कार्य योजना में जिला एवं उप-संभाग स्तर की जल गुणवत्ता परीक्षण हेतु राष्ट्रीय परीक्षण एवं अंशांकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल) से प्रयोगशालाओं की मान्यता प्राप्त किये जाने की योजना को भी सम्मिलित नहीं किया गया था।
- **स्रोत स्थिरता एवं अभिसरण:** दिशानिर्देशों के अनुसार, ग्राम कार्य योजना से उत्पन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जिला जल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा अभिसरण के स्रोतों की पहचान की जानी चाहिए एवं जिला कार्य योजना में सम्मिलित किया जाना था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि जिला कार्य योजना तैयार करते समय अन्य योजनाओं के साथ निधियों के अभिसरण, ग्रेवाटर प्रबंधन, जल उपचार एवं पुनः उपयोग के उपायों तथा स्रोत स्थिरता उपाय आदि की पहचान नहीं की गई थी।

इस प्रकार, नमूना जांच किए गए जिलों की जिला कार्य योजना को बॉटम-अप दृष्टिकोण, सहायक गतिविधियों की योजना, जल गुणवत्ता परीक्षण सुविधाओं, अभिसरण एवं स्रोत स्थिरता उपायों का पालन किए बिना तैयार किया गया था।

शासन ने उत्तर दिया (मई 2025) कि ग्रेवाटर प्रबंधन का कार्य स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के माध्यम से पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किया जा रहा था एवं इसके लिए वार्षिक कार्य योजना में प्रावधान किए गए हैं।

शासन द्वारा दिया गया उत्तर अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना के अनुरूप नहीं था, क्योंकि वार्षिक कार्य योजना में अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण की कोई योजना सम्मिलित नहीं थी।

2.1.3 राज्य कार्य योजना

जल जीवन मिशन दिशानिर्देशों (2019) के अनुच्छेद 3.6.1 के अनुसार, राज्य जल और स्वच्छता मिशन को जिला कार्य योजना को समेकित करके राज्य कार्य योजना (राष्ट्रीय जल जीवन मिशन अनुमोदन हेतु) तैयार करनी थी। राज्य कार्य योजना में 2024 तक घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध कराने तथा दीर्घकालिक राज्य जल सुरक्षा सुनिश्चित करने की रूपरेखा तैयार करने की आवश्यकता है। राज्य की वार्षिक कार्य योजना राज्य कार्य योजना से उत्पन्न होनी थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य जल और स्वच्छता मिशन द्वारा योजना अवधि (2019-2024) के लिए जल जीवन मिशन परिचालन दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य कार्य योजना तैयार नहीं की गई थी। यद्यपि, राज्य जल और स्वच्छता मिशन ने वर्ष 2020-21 से 2023-24 तक के लिए वार्षिक कार्य योजनायें तैयार की थीं। वार्षिक कार्य योजनाओ में सतही एवं भूजल उपलब्धता के आकलन एवं क्षेत्रीय जल स्थानांतरण योजना के आधार पर जल सुरक्षा योजना तैयार नहीं किए जाने के कारण जल सुरक्षा के व्यापक पहलुओं को संबोधित नहीं किया गया था जैसा कि जल जीवन मिशन परिचालन दिशानिर्देशों में उल्लेखित था।

इस चूक के परिणामस्वरूप सतही एवं भूमिगत जल की उपलब्धता, क्षेत्रीय जल हस्तांतरण, जल के घरेलू, कृषि एवं औद्योगिक आदि उपयोगों का व्यापक मूल्यांकन नहीं हुआ। इस प्रकार, जल जीवन मिशन के अंतर्गत विभिन्न जल आपूर्ति योजनाओं को दीर्घकालिक, जल सुरक्षा का आकलन किए बिना शुरू की गई।

निर्गम बैठक (मई 2025) में सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने बताया कि जल सुरक्षा योजना के लिए आवश्यक आंकड़े उपलब्ध न होने के कारण राज्य कार्य योजना को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका।

2.2 प्राथमिकता का आबंटन न किया जाना

2.2.1 रेट्रोफ़िटिंग कार्य को प्राथमिकता न देना

जल जीवन मिशन परिचालन दिशानिर्देशों के अनुच्छेद 3.6.1 में कहा गया है कि मौजूदा अधोसंरचना को जल जीवन मिशन की आवश्यकतानुसार बनाये जाने के कार्य को प्राथमिकता दी जानी चाहिए एवं इसे पहले दो वित्तीय वर्षों में मार्च 2021 तक पूरा किया जाना चाहिए था, जिसे बाद में बढ़ाकर मार्च 2022 कर दिया गया था।

वार्षिक कार्य योजना 2020-21 को स्वीकृति देते हुए, भारत सरकार ने सुझाव दिया था कि राज्य की 25,681 उपलब्ध योजनायें जिसमें जलापूर्ति 40-55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन के स्तर पर थीं, उन्हें रेट्रोफ़िटिंग के लिए लिया जा सकता है जिससे लगभग 18.71 लाख परिवारों को कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य न्यूनतम प्रयासों से शीघ्र प्राप्त किया जा सकेगा।

एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली के प्रतिवेदन के अनुसार, जल जीवन मिशन के अंतर्गत वर्ष 2019-20 से 2022-23 के दौरान 12.25 लाख कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन के साथ 4,492 रेट्रोफिटिंग योजनाओं की स्वीकति प्रदान की गई थी। इनमें से बढ़ी हुई लक्ष्य तिथि

मार्च 2022 तक 8,875 कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन के साथ केवल 48 रेट्रोफिटिंग योजनायें पूर्ण की जा सकी थी एवं मार्च 2024 तक 15,532 कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन के साथ केवल 75 रेट्रोफिटिंग योजनायें पूरी हुई थी। छह जिलों में नमूना जांच के दौरान लेखापरीक्षा में पाया गया कि रेट्रोफिटिंग के अंतर्गत प्रारम्भ की गई 781 योजनाओं मे से मार्च 2024 तक 758 (97 प्रतिशत) योजनायें अधूरी रही।

लेखापरीक्षा द्वारा इस संबंध में इंगित करने पर शासन ने जवाब दिया (मई 2025) कि योजना के अनुसार, प्रगतिरत कार्यों को यथाशीघ्र पूरा करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

2.2.2 आकांक्षी जिलों में कवरेज को प्राथमिकता न देना

जल जीवन मिशन परिचालन दिशानिर्देशों के कंडिका 3.6 में प्रावधान है कि आकांक्षी जिलों में कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन देने को प्राथमिकता दिया जाकर मार्च 2021 तक पूर्ण कर लिया जाना था जिसे भारत सरकार द्वारा मार्च 2022 तक बढ़ा दिया था। छत्तीसगढ़ में, 10 जिलों की पहचान आकांक्षी जिलों के तौर पर की गई थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना 2020-21 के अनुसार, 10 आकांक्षी ज़िलों में 11.60 लाख परिवारों को कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन प्रदान किया जाना था। लेकिन, वर्ष 2020-21 के दौरान केवल 4.01 लाख परिवारों को सम्मिलित करने की योजना थी एवं 2020-21 के दौरान केवल 8,427 परिवारों (2.1 प्रतिशत) को कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन प्रदान किया गया था। इस तरह, राज्य मिशन द्वारा आकांक्षी ज़िलों के कवरेज को प्राथमिकता नहीं दी गयी थी। मार्च 2024 तक आकांक्षी ज़िलों में कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन की प्रगति की स्थिति **तालिका 2.1** में दर्शाई गई है।

तालिका 2.1: मार्च 2024 तक आकांक्षी जिलों में कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन की प्रगति की स्थिति

क्रम संख्या	जिला	कुल परिवारों की संख्या	एकल ग्राम योजना की संख्या	बहु ग्राम योजना की संख्या	मार्च 2024 तक उपलब्धि	
					कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन	प्रतिशत
1	बस्तर	1,71,717	627	0	1,38,639	81
2	बीजापुर	56,298	573	0	31,558	56
3	दंतेवाड़ा	50,756	291	0	36,653	72
4	कोंडागांव	1,27,110	606	0	99,545	78
5	कोरबा	2,06,953	1,094	1	1,39,307	67
6	महासमुंद	2,40,467	1,359	1	1,95,031	81
7	नारायणपुर	30,909	385	0	21,256	69
8	राजनांदगाँव	1,56,789	757	2	1,38,639	88
9	सुकमा	66,264	537	0	45,533	69
10	कांकेर	1,51,157	1302	0	1,07,530	71
कुल		**12,58,420**	**7,531**	**4**	**9,53,691**	**76**

(स्रोतः एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली पोर्टल)

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि मार्च 2024 तक भी कोई भी आकांक्षी जिला पूरी तरह परिपूर्ण नहीं था।

इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा में पाया गया कि बस्तर ज़िले में प्रारम्भ में 255 गांवों के लिए सात बहु ग्राम योजना प्रस्तावित किए गए थे। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार, ज़िले के इन गांवों के लिए सतही जल स्रोत वाले बहु ग्राम योजना अत्यंत आवश्यक थे, क्योंकि क्षेत्र में भू-जल कम होने, सूखा इलाका होने तथा सभी स्थानीय स्रोत सतत नहीं थे। तथापि, बस्तर ज़िले में प्रस्तावित किए गए सात बहु ग्राम योजनाओ में से किसी को भी अंतिम रूप से निष्पादन के लिए नहीं लिया गया, जिससे पता चलता है कि राज्य सरकार ने सबसे अधिक आवश्यकता वाले इलाकों में बहु ग्राम योजना को प्राथमिकता नहीं दी थी। इसके विपरीत, बस्तर ज़िले में कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन का कवरेज बढ़ाने के लिए भू-जल के उपचार के लिए इलेक्ट्रो-क्लोरीनेटर के प्रावधान के बिना ही भू-जल स्रोत वाले 74 गांवों में सोलर अधारित पाइप द्वारा जल आपूर्ति योजना प्रारम्भ किए गए थे।

निर्गम बैठक (मई 2025) के दौरान, सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने उत्तर दिया कि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन जमा करने में विलंब के कारण, राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन से विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन को मंज़ूरी नहीं मिल सकी थी। उन्होंने बताया कि विभाग दक्षिणी क्षेत्र में राज्य बजट से बहु ग्राम योजना को पूरा करने की योजना बना रहा है।

2.3 अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण के लिए योजना का अभाव

जल जीवन मिशन परिचालन दिशानिर्देशों के अनुच्छेद 6.3 में दीर्घकालिक पेयजल सुरक्षा के लिए, अन्य केन्द्रीय एवं राज्य योजनाओं के साथ निधि एवं जल संरक्षण की गतिविधियाँ जैसे वर्षा जल संचयन, ग्रेवाटर का प्रबंधन एवं भूजल पुनर्भरण के अभिसरण का प्रावधान है। इसमें आगे यह भी प्रावधान है कि संसाधनों के अभिसरण के माध्यम से वर्षा जल संचयन एवं कृत्रिम पुनर्भरण द्वारा जल की उपलब्धता का आकलन करने हेतु राज्य कार्य योजना तैयार किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य कार्य योजना तैयार न होने के कारण, दीर्घकालिक जल सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु जल संरक्षण गतिविधियों के अभिसरण की योजना नहीं बनाई जा सकी थी। निधि के अभिसरण हेतु, जिला जल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा अन्य कार्यक्रमों जैसे महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), सांसद निधि, जिला खनिज निधि, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व निधि, 15 वें वित्त आयोग आदि से केंद्र एवं राज्य निधि जैसे ग्रामीण पेयजल आपूर्ति के लिए उपलब्ध संसाधनों को मिलाकर वित्तीय योजना बनानी थी, लेकिन नमूना जांच किये गए किए गए जिलों में ऐसी कोई वित्तीय योजना नहीं पाई गई थी।

इस प्रकार, राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन/जिला जल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा अन्य स्रोतों से मिलने वाली निधि एवं गतिविधियों को उचित रूप से अभिसरण नहीं किया गया। लेखापरीक्षा ने पाया कि 15वें वित्त आयोग के बद्ध अनुदान के मद के अंतर्गत पेयजल, वर्षा जल संचयन तथा जल पुनचक्रण के लिए भारत सरकार द्वारा वर्ष 2020-21 से 2023-24 के दौरान निर्धारित ₹ 1,358 करोड़ की अनुदान को भी जल जीवन मिशन के उद्देश्यों हेतु संसाधनों को समेकित करने के लिए अभिसरण नहीं किया जा सका।

निर्गम बैठक (मई 2025) के दौरान, सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने बताया कि चूंकि ये निधियाँ पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पास उपलब्ध हैं, अतः निधि के अभिसरण हेतु

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के साथ समन्वय करने की कोशिश की जा रही है। सचिव के जवाब से यह पुष्टि होता है कि जल जीवन मिशन के साथ दूसरे केन्द्रीय निधियों का अभिसरण अभी तक नहीं हुआ था।

2.4 वार्षिक कार्य योजना के अंतर्गत लक्ष्य निर्धारण में अंतराल

जल जीवन मिशन में एक परियोजना आधारित दृष्टिकोण की परिकल्पना की गई थी जिसके अंतर्गत वर्ष 2024 तक की अवधि के लिए राज्य कार्य योजना तैयार की जानी थी, जिसमें रणनीतिक योजना, कार्यान्वयन की रूपरेखा, गतिविधियाँ, परिणाम, समय-सीमा, वार्षिक वित्तीय प्रावधान तथा ग्राम कार्य योजना से राज्य कार्य योजना तक बॉटम-अप दृष्टिकोण को सम्मिलित किया जाना था। राज्य ने राज्य कार्य योजना तैयार नहीं किया था अपितु वर्ष 2020-21 से 2023-24 की अवधि के लिए कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन के वार्षिक लक्ष्य के साथ वार्षिक कार्ययोजना तैयार किए गए थे। राज्य में वार्षिक कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन के लक्ष्य तथा उपलब्धि की स्थिति **तालिका 2.2** में दिखाया गया है।

तालिका 2.2: वार्षिक कार्ययोजना के अनुसार वर्षवार कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन लक्ष्य एवं उपलब्धि

(आंकड़े लाख में)

योजना वर्ष	वार्षिक कार्य योजना का विवरण						योजना वर्ष में उपलब्धि[1]	
	कुल परिवार	वार्षिक कार्य योजना के अनुसार लक्षित कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन					एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली के अनुसार	
		2019-20*	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	संख्या में	प्रतिशत में
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2019-20	43.17	7.86					0.96	12
2020-21	45.48		16.71				0.41	2
2021-22	45.48			22.15			4.44	20
2022-23	48.59				23.58		10.80	46
2023-24	50.08					29.08	17.68	61
वार्षिक कार्य योजनाओं में कुल लक्ष्य							46.23	
मिशन अवधि के दौरान उपलब्धि (31.03.2024)							34.29	
मिशन के प्रारम्भ में उपलब्ध कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन							3.20	
निजी/स्वयं के स्रोत से नल कनेक्शन							1.48	
एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली प्रगति प्रतिवेदन के अनुसार कुल कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन							38.97	

(स्रोतः विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े एवं लेखापरीक्षा द्वारा संकलित)

*2019-20 के लिए वार्षिक कार्ययोजना तैयार नहीं थी, लेकिन भारत सरकार ने लक्ष्य दिए थे।

छत्तीसगढ़ शासन ने मार्च 2024 तक 50 लाख परिवारों के लक्ष्य के विरुद्ध 38.97 लाख कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन (78 प्रतिशत) स्थापित करने का लक्ष्य प्राप्त किया था। वार्षिक कार्य योजना में उल्लेखित वार्षिक लक्ष्यों को पूरे मिशन अवधि (2019-20 से 2023-24) के दौरान प्राप्त नहीं किया जा सका था, जो यह दर्शाता है कि प्रत्येक वर्ष की वास्तविक उपलब्धि की

[1] लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के माध्यम से प्रदान की जाने वाली कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन (निजी कनेक्शनो को छोड़कर)

अनदेखी कर लक्ष्य निर्धारित किये गये थे, जिसके परिणामस्वरूप बाद के वर्षों में लक्ष्यों का संचय होता गया।

इस तरह, योजना में कमी, कार्यान्वयन सहायता एजेंसियाँ की भागीदारी में देरी, स्वीकृत योजनाओं के निष्पादन में विलंब एवं सामुदायिक भागीदारी की कमी की वजह से मार्च 2024 तक पूरा लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया।

इसे इंगित करने पर जाने पर शासन ने कहा (मई 2025) कि बहु ग्राम योजना के लिए जल की उपलब्धता में विलंब, आर.सी.सी. ओवरहेड टैंक के निर्माण के लिए कुशल मानव संसाधन की अनुपलब्धता आदि के कारण कार्य की प्रगति प्रभावित हुई। तथापि, परियोजनाओं को शीघ्र पूरा किये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

2.5 आंकड़ो में विसंगतियाँ

लेखापरीक्षा में पाया गया कि जल जीवन मिशन डैशबोर्ड में दिखाई गई योजनाओं एवं कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन की संख्या तथा इससे संबंधित लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा संधारित आंकडो़ में विसंगतियाँ थी। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा की दी गई जानकारी के अनुसार, वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान कुल 29,262 परियोजनाओं (5,153-रेट्रोफिटिंग, 7,490-सोलर, 16,542-एकल ग्राम योजना एवं 77- बहु ग्राम योजना) की योजना बनाई गई थी, जिनमें से मई 2024 तक 27,580 परियोजनाओं (4,892-रेट्रो, 6,572-सोलर, 16,046- एकल ग्राम योजना एवं 70- बहु ग्राम योजना) को निष्पादन के लिए लिया गया था।

तथापि, एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली पोर्टल पर पीएम-7 प्रतिवेदन में कुल परियोजनाओं की संख्या 29,223 दिखाई गई है एवं बी-15 प्रतिवेदन के अनुसार कुल 32,215 परियोजनाएं (27,653-एकल ग्राम योजना, 4,492-रेट्रो एवं 70 बहु ग्राम योजना) प्रारम्भ की गईं थी। इस अंतर का एक कारण यह था कि कुछ एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली प्रतिवेदनों में स्कूलों एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए 2,860 जारी जल आपूर्ति योजनाओं को भिन्न योजनाओ के तौर पर वर्गीकृत किया गया था।

इसप्रकार, विभाग द्वारा संधारित किए गए आंकड़ो एवं एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली पोर्टल पर अपलोड किए गए आकड़ों में अंतर था तथा यह समस्या पोर्टल के अंदर अलग-अलग प्रारूप तक फैली हुई है जिसे योजना के आंकड़ों को सही किये जाने के लिए ठीक करने की आवश्यकता है।

अध्याय - III

निधि प्रबंधन

अध्याय-III

निधि प्रबंधन

3 निधि प्रबंधन

जल जीवन मिशन दिशानिर्देशों की अनुच्छेद 7.8 के अनुसार, जल जीवन मिशन के अंतर्गत निधि पूर्ववर्ती किस्त के उपयोग के आधार पर प्रति वर्ष चार किश्तों में जारी किया जाना था। दिशानिर्देशों में यह भी प्रावधान है कि पूर्ववर्ती राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम में उपलब्ध निधि को जल जीवन मिशन निधि में अंतरण किया जाना चाहिए। जल जीवन मिशन के लिए निधि की व्यवस्था सामुदायिक अंशदान से भी किया जाना चाहिए। निधि के उपयोग न होने, प्रगति न होने, केन्द्रांश का कम जारी होना आदि पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर चर्चा नीचे दिए गए कंडिकाओं में की गई हैं।

3.1 जल जीवन मिशन निधियों के जारी होने तथा व्यय की स्थिति

जल जीवन मिशन एक समयबद्ध मिशन-मोड कार्यक्रम है एवं इसे सफलतापूर्वक लागू करने के लिए, सुढ़ृढ़ वित्तीय योजना, समय पर वित्तपोषण, पर्याप्त संसाधन जुटाना एवं निधि का सही उपयोग आवश्यक है। जल जीवन मिशन के लिए निधि तीन हिस्सों में उपलब्ध थी, अर्थात कवरेज[1] पर परियोजना व्यय का 93 प्रतिशत तक (केंद्र-50: राज्य-50), सहायक गतिविधियाँ[2] पर परियोजना व्यय का पांच प्रतिशत तक (केंद्र-60: राज्य-40) एवं जल गुणवत्ता निगरानी एवं चौकसी[3] पर परियोजना व्यय का दो प्रतिशत तक (केंद्र-60: राज्य-40)।

जल जीवन मिशन के लिए घटक वार जारी की गयी निधि एवं व्यय **तालिका 3.1** में दिखाए गए हैं।

---

[1] ग्रामीण घरों को कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन के हिसाब से पाइप से जलापूर्ति के लिए अधोसंरचना प्रदान किया गया है।

[2] जल के विवेकपूर्ण उपयोग, सामुदायिक अंशदान एवं स्वामित्व के बारे में जागरूकता फ़ैलाने एवं समुदायों को संवेदनशील बनाने, गाँव में मूलभूत ढाँचे की योजना बनाने, उसे लागू करने, प्रबंधित करने, संचालित करने एवं अनुरक्षण करने के लिए ग्राम पंचायतों या उसकी उप-समिति की क्षमता का निर्माण करने के लिए गतिविधियाँ आयोजित की गई।

[3] जल गुणवत्ता की निगरानी एवं चौकसी के अंतर्गत जल गुणवत्ता परिक्षण प्रयोगशालाओं में जल के स्त्रोतों से लिए गए जल के नमूनों की जाँच सम्मिलित है। निगरानी समिति द्वारा फील्ड परीक्षण किट एवं स्वच्छता निरिक्षण का उपयोग करके किया जाता है।

तालिका 3.1: वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान जल जीवन मिशन के अंतर्गत जारी की गयी निधियां

(₹ करोड़ में)

वर्ष	भारत सरकार द्वारा कुल आबंटन	केंद्रीय निधि जारी				कुल जारी राज्य निधि	वर्ष के दौरान जारी कुल निधि
		कवरेज	सहायक गतिविधि	जल गुणवत्ता निगरानी एवं पर्यवेक्षण	कुल जारी केंद्रीय निधि		
1	2	3	4	5	6 (3+4+5)	7	8 (6+7)
2019-20	208.04	22.57	1.21	0.49	24.27	24.27	48.54
2020-21*	445.52	269.84	14.51	5.80	290.15	283.95	574.10
2021-22	1,908.96	517.84	27.84	11.14	556.82	543.64	1100.46
2022-23	2,223.98	2080.28	111.84	44.74	2,236.86	2,184.97	4,421.83
2023-24	4,485.60	2683.57	144.28	57.71	2,885.56	2,825.23	5,710.79
कुल	**9,272.10**	**5,574.10**	**299.68**	**119.88**	**5,993.66**	**5,862.06**	**11,855.72**

(स्रोतः कार्यालय, मिशन संचालक, जल जीवन मिशन से प्राप्त जानकारी एवं लेखापरीक्षा द्वारा संकलित)

(* जल जीवन मिशन खाते में जमा की गई राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम की शेष राशि ₹13.83 करोड़ (केन्द्रांश ₹ 6.93 करोड़ + राज्यांश 6.90 करोड़ तथा उसमे भारत सरकार द्वारा अतिरिक्त निधि के रूप में जारी एवं छत्तीसगढ़ शासन का समतुल्य अंशदान ₹ 900 करोड़ सम्मिलित है।)

उपरोक्त तालिका वर्ष 2019-24 के दौरान केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा जारी की गई राशि को दर्शाती है तथा **तालिका 3.2**, जल जीवन मिशन के विभिन्न अवयवों के अंतर्गत हुए व्यय का विवरण प्रदर्शित करती है।

तालिका 3.2: जल जीवन मिशन के अंतर्गत 2019-20 से 2023-24 तक किया गया व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कवरेज		सहायक गतिविधि		जल गुणवत्ता निगरानी एवं चौकसी		केंद्राश से व्यय	राज्यांश से व्यय	कुल व्यय
	केंद्राश (50%)	राज्यांश (50%)	केंद्राश (60%)	राज्यांश (40%)	केंद्राश (60%)	राज्यांश (40%)			
1	2	3	4	5	6	7	8 (2+4+6)	9 (3+5+7)	10 (8+9)
2019-20	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00	11.68	11.68	23.36
2020-21	217.18	217.18	3.37	2.24	2.57	1.72	223.12	221.14	444.26
2021-22	470.66	470.66	20.83	13.88	7.71	5.14	499.20	489.68	988.88
2022-23	2,051.47	2,051.47	50.54	33.69	9.74	6.49	2,111.75	2,091.65	4,203.40
2023-24	2,654.51	2,654.51	34.67	23.12	4.51	3.00	2,693.69	2,680.63	5,374.32
कुल	**5,405.50**	**5,405.50**	**109.41**	**72.93**	**24.53**	**16.35**	**5,539.44**	**5,494.78**	**11,034.22** [4]

(स्रोतः लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े एवं लेखापरीक्षा द्वारा संकलित)

[4] उपयोगिता प्रमाणपत्र के अनुसार वर्ष 2019-24 के दौरान कुल व्यय ₹ 11,034.26 करोड़ था तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के e-Works पोर्टल के अनुसार वर्ष 2019-24 के दौरान कुल व्यय ₹ 11,034.22 करोड़ था।

ऊपर दिए गए तालिका से देखा जा सकता है कि ₹ 9,272.10 करोड़ के कुल आबंटन में से भारत सरकार द्वारा ₹ 5,993.66 करोड़ जारी किए एवं राज्य सरकार ने अपना अंश ₹ 5,862.06 करोड़ दिया, जो ₹ 71.60 करोड़ कम था।

भारत सरकार तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी किए गए कुल ₹ 11,855.72 करोड़ की धनराशि में से ₹ 11,034.22 करोड़ (93 प्रतिशत) व्यय किए गए थे। लेखापरीक्षा में यह भी देखा गया कि चार्टेड अकाउंटेंट द्वारा जमा किए गए खाते के लेखापरीक्षित विवरण एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के व्यय पोर्टल यानी 'e-Works' में व्यय के आंकड़ों के अनुसार, 2019 से 2024 तक उपयोग की गई राशि में ₹ 0.04 करोड़[5] का अंतर था।

3.2 केंद्राश का प्राप्त न होना

केंद्र एवं राज्य के बीच निधि साझा करने का अनुपात 50:50 है। जल जीवन मिशन दिशानिर्देश की अनुच्छेद 7.8 में कहा गया है कि राज्यों को दो समान किश्तों में वार्षिक आबंटन जारी किया जाएगा एवं प्रत्येक किशत राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों द्वारा निधि के उपयोग का आकलन करने के बाद दो भागों में जारी किया जाएगा।

निधि आबंटन एवं केंद्राश के जारी किये जाने का किश्तवार विवरण नीचे **तालिका 3.3** में दिखाया गया है।

तालिका 3.3: केंद्राश का आबंटन एवं स्वीकृति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	भारत सरकार का आबंटन	किश्त 1		किश्त 2		अतिरिक्त निधि	कुल मंजूरी	आबंटन के विरुद्ध केंद्राश की कम मंजूरी
		भाग 1	भाग 2	भाग 1	भाग 2			
1	2	3	4	5	6	7	8(3+4+5+6+7)	9 (2-8)
2019-20	208.04	65.82	0.00	0.00	0.00	0.00	65.82	142.22
2020-21	445.52	111.38	111.38	111.38	0.00	0.00	334.14	111.38
2021-22	1,908.96	477.24	0.00	0.00	0.00	0.00	477.24	1,431.72
2022-23	2,223.98	555.99	555.99	555.99	555.99	0.00	2,223.96	0.02
2023-24	4,485.60	496.39	496.39	496.39	496.39	900.00	2,885.56	1,600.04
कुल	**9,272.10**	**1,706.82**	**1,163.76**	**1,163.76**	**1,052.38**	**900.00**	**5,986.72**	**3,285.38**

(स्रोतः भारत सरकार के सालाना आबंटन पत्र एवं जिला जल एवं स्वच्छता समिति के मंजूरी आदेश पत्र के अनुसार)

वर्ष 2019-20 के दौरान भारत सरकार द्वारा ₹ 65.82 करोड़ की पहली किश्त स्वीकृत एवं जारी की गई, जिसमें से राज्य केवल ₹ 24.27 करोड़ का केंद्राश आहरित कर सका, जिसमें राज्य का ₹ 24.27 करोड़ का बराबर का अंश मिलाकर नोडल बैंक खाते में जमा किया गया था। वित्तीय वर्ष 2019-20 की शेष तीन किश्तें राज्यांश की प्रतिबद्धता सहित उपयुक्त व्यय योजना के अभाव

[5] वर्ष 2020-21, 2021-22 एवं 2023-24 के दौरान अंतर की राशि क्रमश ₹: 0.04 करोड़, ₹ 0.10 करोड़ एवं (-) ₹ 0.10 करोड़ थी।

में भारत सरकार द्वारा जारी नहीं की गई थी। इसी प्रकार धीमी भौतिक एवं वित्तीय प्रगति तथा राज्य सरकार के पास बजट के अभाव में राज्य वर्ष 2020-21 तथा 2021-22 में क्रमशः चार में से केवल तीन (₹ 334.14 करोड़) तथा चार में से केवल एक (₹ 477.24 करोड़) किश्त ही प्राप्त कर सका। इसके अतिरिक्त 2023-24 में, भारत सरकार ने ₹ 4,485.60 करोड़ के आवंटित निधि में से 1,600.04 करोड़ जारी नहीं किए।

इस प्रकार, छत्तीसगढ़ शासन के पास आवश्यक निधि के अभाव में वांछित वित्तीय प्रगति हासिल न होने के कारण राज्य, केंद्र सरकार से 16 किस्तों में से सात क़िस्त प्राप्त नहीं कर सका था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 9,272.10 करोड़ के कुल आबंटन में से ₹ 3,285.38 करोड़ का केन्द्रीय अनुदान नहीं मिल सका, जिसके कारण राज्य को जल जीवन मिशन निधि के ₹ 6,480.04 करोड़ से वंचित होना पड़ा था, जिसमें राज्य का ₹ 3,194.66[6] करोड़ अंश भी शामिल था।

निर्गम बैठक (मई 2025) में, सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने जवाब दिया कि राज्य वित्त विभाग से निधि न मिलना, टेंडर की प्रक्रिया में विलंब आदि राज्यांश जारी न होने के कारण थे।

3.3 राज्यांश जारी करने में बिलंब

भारत सरकार के अनुदान जारी करने के स्वीकृत आदेश में वर्णित था कि राज्य, स्वीकृत राशि की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर जल जीवन मिशन की कार्यान्वयन एजेसी के एकल नोडल खाते में समतुल्य राज्यांश सहित उक्त राशि का निर्गम/हस्तांतरण सुनिश्चित करेगा।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य नोडल खाते में समतुल्य राज्यांश जारी करने में कई बार 15 दिनों से अधिक का विलंब हुआ था, जैसा कि नीचे **तालिका 3.4** में दिखाया गया है।

तालिका 3.4: जल जीवन मिशन में समतुल्य राज्यांश जारी करने में विलंब को दिखाने वाला पत्रक

(₹ करोड़ में)

वर्ष	केन्द्रांश जारी करने की तिथि	सम्बंधित केन्द्रांश	राज्यांश जारी होने की तिथि	संबन्धित राज्यांश	15 दिनों से अधिक की देरी
2019-20	04-10-2019	65.82	19-02-2020	24.27	123
			06-05-2020	40.58	200
2020-21	27-07-2020	111.38	19-09-2020	57.26	39
	29-10-2020	111.38	15-12-2020	105.53	32
	15-03-2021	111.38	04-05-2021	89.87	35
2021-22	13-05-2021	453.71	15-06-2021	321.95	18
			06-12-2021	91.62	192
			07-03-2022	16.67	283
			03-06-2022	12.88	371

[6] ₹ 3,285.38 * राज्यांश (49.30 प्रतिशत)/ केन्द्रांश (50.70 प्रतिशत)

2022-23	21-06-2022	491.03	29-09-2022	21.93	85
	02-09-2022	64.96	20-10-2022	64.96	33
	30-10-2022	555.99	28-12-2022	119.16	44
	02-02-2023	555.99	20-03-2023	354.83	31

(स्रोतः लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी उपलब्ध कराए गए आंकड़े एवं लेखापरीक्षा द्वारा संकलित)

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि वर्ष राज्यांश जारी करने में विलंब हुआ था विशेषकर वर्ष 2019-20 एवं 2021-22 में। वर्ष 2019-20 भारत सरकार अंशदान की राशि ₹ 40.58 करोड़ तथा समतुल्य राज्यांश देय तिथि से 200 दिन के विलंब से अगले वित्तीय वर्ष में जारी की गयी थी। इसी प्रकार, वर्ष 2021-22 में राज्यांश जारी करने में 192 से 371 दिन का विलंब हुआ था। वर्ष 2022-23 में भी केन्द्रांश के विरुद्ध समतुल्य राज्यांश जारी करने में 31 से 85 दिन का विलंब हुआ था।

निर्गम बैठक (मई 2025) में, सचिव लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने जवाब दिया कि राज्य के बजट में आबंटन न होने के कारण राज्यांश जमा करने में विलंब हुआ था।

3.4 राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम निधि का जल जीवन मिशन में कम अंतरण

जल जीवन मिशन दिशानिर्देशों के अध्याय 4 में कहा गया है कि जल जीवन मिशन के प्रारंभ के साथ ही, पूर्ववर्ती राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत सभी परियोजनाएं जल जीवन मिशन में सम्मिलित मानी जाएगी। दिनांक 31 मार्च 2021 के बाद राज्यों के पास राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम की शेष राशि को जल जीवन मिशन के लिए जारी निधियों के साथ समायोजित किया जाना था।

अभिलेखों की जांच से ज्ञात हुआ कि वर्ष 2019-20 के उपयोगिता प्रमाणपत्र के अनुसार राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत अंतिम शेष ₹ 19.70 करोड़ था, जिसमें केंद्र का अंश ₹ 10.07 करोड़ एवं राज्य का अंश ₹ 9.63 करोड़ था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य जल और स्वच्छता मिशन ने जून 2020 में केंद्राश के रूप में केवल ₹ 6.93 करोड़ एवं राज्यांश के रूप में ₹ 6.90 करोड़ का अंतरण किया था एवं शेष ₹ 5.87 करोड़ जल जीवन मिशन नोडल खाते में अंतरित नहीं किए गए थे, जैसा कि **तालिका 3.5** में वर्णित किया गया है।

तालिका 3.5: राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम निधि का विवरण जिसका जल जीवन मिशन निधि में अंतरण नहीं किया गया

(₹ करोड़ में)

निधि	केंद्रांश				राज्यांश			
अवयव	कवरेज	सहायता	जल गुणवत्ता निगरानी एवं चौकसी	कुल	कवरेज	सहायता	जल गुणवत्ता निगरानी एवं चौकसी	कुल
2019-20 के लेखापरीक्षित विवरण के अनुसार राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत शेष निधि	9.04	0.69	0.34	**10.07**	9.04	0.36	0.23	**9.63**
जल जीवन मिशन नोडल खाते में निधि अंतरण किया गया	6.83	0.03	0.07	**6.93**	6.83	0.02	0.05	**6.90**
निधि का कम अंतरण	2.21	0.66	0.27	**3.14**	2.21	0.34	0.18	**2.73**

(स्रोतः लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े एवं लेखापरीक्षा द्वारा संकलित)

इसे इंगित किये जाने पर, मिशन निदेशक, जल जीवन मिशन, रायपुर ने जवाब दिया कि (मई 2025) राज्य सरकार से राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम की शेष राशि जारी न होने के कारण से इसका अंतरण नहीं किया जा सका।

निर्गम बैठक (मई 2025) के दौरान, सचिव ने बताया कि लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग इस निधि के लिए राज्य वित्त विभाग से अनुपूरक बजट की मांग करेगा।

3.5 सामुदायिक अंशदान संग्रह न किया जाना

जल जीवन मिशन दिशानिर्देश के अनुच्छेद 6.1.2 में वर्णित है कि ग्राम में पाइप से जल आपूर्ति की अधोसंरचना एवं उससे जुड़े स्रोत के विकास के लिए, जिसे ग्राम पंचायत और/या उसकी उप-समिति लागू करेगी, समुदाय पूंजीगत लागत का पांच प्रतिशत हिस्सा देंगी। इसके अतिरिक्त, जल आपूर्ति प्रारम्भ करने के लिए समुदाय की सहमति एवं गाँव के कम से कम 80 प्रतिशत घरों का अंशदान जरूरी है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य मिशन द्वारा वार्षिक कार्य योजना के अनुसार वर्ष 2019-20 से 2022-23 के दौरान वार्षिक कार्य योजना में अनुमानित ₹ 2,220.18 करोड़ की पूंजीगत लागत के विरुद्ध कोई भी सामुदायिक अंशदान संग्रहित नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप स्थानीय समुदाय में स्वैच्छिक स्वामित्व को बढ़ावा देने एवं सुनिश्चित करने में विफल रहा था।

शासन ने जवाब दिया (मई 2025) कि जल जीवन मिशन दिशानिर्देश के अनुसार, यह राशि नकद के स्थान पर मज़दूरी के रूप में संग्रह की गई थी। यह जवाब तर्क संगत नहीं था क्योंकि छह चयनित ज़िलों के लेखापरीक्षा के दौरान ऐसे अभिलेख नहीं पाये गये।

3.6 बाजार सर्वेक्षण के बिना दर अनुसूची का संशोधन

केन्द्रीय लोक निर्माण नियमावली के अनुच्छेद 4.3 में वर्णित है कि विभाग में दर अनुसूची अद्यतन किया जाना एवं संधारित किया जाना चाहिए। एकीकृत दर अनुसूची हर क्षेत्र में प्रचलित दरों पर

आधारित होना चाहिए एवं कार्य के प्रत्येक विवरण एवं उसकी अलग अलग स्थितियों के लिए दरों का आवश्यक विश्लेषण दर्ज किया जाना चाहिए।

फरवरी 2013 से लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, छत्तीसगढ़ में लागू एकीकृत दर अनुसूची के संशोधन के लिए प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के द्वारा जुलाई 2018 में एक समिति का गठन किया गया था। अगस्त 2019 में जल जीवन मिशन के शुभारंभ के पश्चात, मदवार विस्तृत दर विश्लेषण किये बिना जून 2020 में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मध्यप्रदेश सरकार द्वारा जुलाई 2018 में जारी एकीकृत दर की अनुसूचीं में दरों में थोक मूल्य सूचकांक में वृद्धि के आधार पर सभी मौजूदा मदों में 1.679 प्रतिशत की वृद्धि कर एकीकृत दर अनुसूची को संशोधित किया गया था।

इसके अतिरिक्त एकीकृत दर अनुसूची में पेयजल आपूर्ति हेतु ओरिएंटेड-अनप्लास्टिसाईज्ड पॉलीविनाइल क्लोराइड पाईपों की आपूर्ति एवं बिछाने से संबन्धित नए मद को सम्मिलित करते समय दरों के निर्धारण में चूक हुई थी। इन दरों की गणना पाईपों की न्यूनतम कंपनी कीमत के आधार पर की गई थी जिसमें परिवहन, वस्तु एवं सेवाकर तथा तृतीय-पक्ष निगरानी प्रभार जोड़े गये थे किन्तु फिटिंग्स की लागत, बिछाने एवं जोड़ने हेतु मजदूरी, मशीनरी तथा अन्य आवश्यक व्ययों जैसे महत्वपूर्ण कारकों को ध्यान में नहीं रखा गया था।

अतः वस्तुओं, सेवाओं, मजदूरी एवं मशीनरी के प्रचलित बाजार मूल्य के आधार पर विस्तृत, मदवार दर विश्लेषण किये बिना एकीकृत दर अनुसूची के पुनरीक्षण से स्पष्ट होता हैं कि एकीकृत दर अनुसूची में संशोधन में अपेक्षित सतर्कता का अभाव रहा, जिससे अविश्वासनीय लागत अनुमान तैयार होने की संभावना उत्पन्न होती हैं।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर, प्रमुख अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने जवाब दिया (अक्टूबर 2024) कि जल जीवन मिशन को लागू करने में समय की कमी थी, अतः एकीकृत दर अनुसूची को मध्य प्रदेश में लागू एकीकृत दर अनुसूची के आधार पर थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर कुछ प्रतिशत जोड़कर अद्यतन किया गया था। नई मदें जो मध्यप्रदेश की दर अनुसूची में उपलब्ध नहीं थीं, उन्हें बाज़ार दर विश्लेषण के आधार पर जोड़ा गया था। यह इंगित किये जाने पर, शासन ने जवाब दिया (मई 2025) कि उपलब्ध एकीकृत दर अनुसूची थोक मूल्य सूचकांक पर विचार करने के बाद मध्यप्रदेश की दर अनुसूची 2018 पर आधारित था।

जवाब से यह पुष्टि होता है कि एकीकृत दर अनुसूची को बिना विस्तृत दर विश्लेषण एवं बाज़ार सर्वेक्षण के पुनरीक्षित किया गया था।

3.7 एकीकृत दर अनुसूची में कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन की इकाई मूल्य का गलत आकलन एवं अधिक भुगतान

हर घर को पेयजल की नियमित एवं दीर्घकालिक आपूर्ति प्रदाय करने के मिशन के लक्ष्य को देखते हुए एकीकृत दर अनुसूची जून 2020 में एक नया मद "कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन" सम्मिलित किया गया था, जिसकी इकाई दर ₹ 6,969 थी। कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन का विस्तृत आकलन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने एकीकृत दर अनुसूची (जून 2021) में संशोधन क्रमांक-5 के द्वारा प्रकाशित किया था। विस्तृत दर विश्लेषण में दो हिस्से थे, अर्थात

अनुलग्नक-VI(अ) पीई-एएल-पीई कम्पोजिट पाइप, फ्लो कंट्रोल वाल्व (एफ.सी.वी.) के साथ इंटीग्रेटेड सैडल पीस, आदि का उपयोग करके वितरण पाइपलाइन से स्टैंड पोस्ट के कनेक्शन के लिए, जिसकी कीमत ₹ 4,225 थी एवं अनुलग्नक-VI(ब) प्लेटफॉर्म बनाने के लिए, जिसकी कीमत ₹ 2,744 थी।

दर के विश्लेषण की जांच के दौरान, लेखापरीक्षा ने विस्तृत विश्लेषण में 12 त्रुटियां पाई, जैसे कि यूपीवीसी पाइप में कंक्रीट भरने के लिए शटरिंग की अनावश्यक लागत, बड़े आकार के जल के नल की दर, ओवरलैपिंग सीमेंट कंक्रीट कार्य की कटौती न करना, एक ही कार्य के लिए दोहरा प्रावधान, सीमेंट कंक्रीट सतह को ध्वस्त करने का अनावश्यक प्रावधान, वितरण पाईप के साथ कनेक्शन के लिए खुदाई एवं मिट्टी को फिर से भरने का अनुचित प्रावधान आदि, जो कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन दर को ₹ 1,556.31 प्रति इकाई बढ़ा रहा था जैसा कि **परिशिष्ट 3.1** में बताया गया हैं।

कुछ कार्य जिनके परिणामस्वरूप दोहरे प्रावधान हुए, का विवरण नीचे दिया गया हैं:

- इकाई दर में सीमेंट कंक्रीट की सतह को ध्वस्त करने, मिट्टी की खुदाई करने, खुदाई की गई मिट्टी को फिर से भरने तथा अंत में इंटीग्रेटेड सैडल पीस की स्थापना के बाद एम-15 कंक्रीट के साथ सीमेंट कंक्रीट सतह को पहले जैसी करना एवं समग्र पाइप को वितरण लाइन से जोड़ने का काम सम्मिलित है। इन मदों का भुगतान वितरण पाइपलाइन कार्य प्रदान करने एवं बिछाने के कार्य क्षेत्र के भीतर सम्मिलित था। इससे कार्यों का दोहरा प्रावधान हुआ।

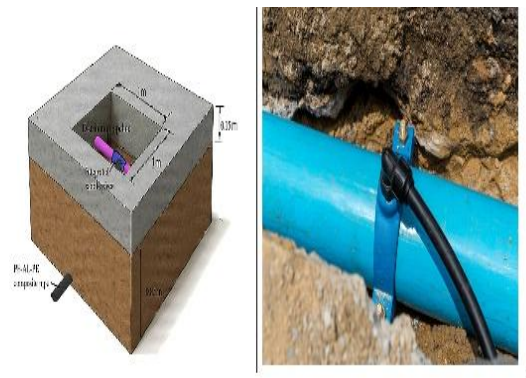

चित्र- 3.1: इंटीग्रेटेड सैडल पीस की स्थापना के लिए सीमेंट कंक्रीट सतह को ध्वस्त करने को दर्शाने वाली तस्वीर

- बड़े आकार के नल की दर का प्रावधान अर्थात कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन की इकाई दर में 15 मिमी जीआई पाइप के लिए 20 मिमी टैप का प्रावधान किया गया था जबकि वास्तव में 15 मिमी वाले टैप का उपयोग किया गया था जिसके परिणामस्वरूप स्थापित प्रत्येक कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन में ₹ 56 की अधिक लागत का दावा किया गया था।

चित्र 3.2: कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन में उपयोग हो रहे 15 मिमी नल को दर्शाती तस्वीर

बेड ब्लॉक का ओवरलैपिंग

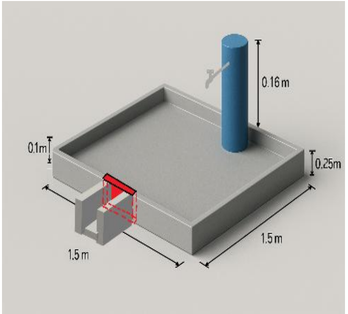

ड्रेन गैप की कटौती न करना

चित्र 3.1: स्टैंडपोस्ट, बेड ब्लॉक एवं ड्रेन गैप में सीमेंट कंक्रीट कार्य के ओवरलैप को दर्शाती तस्वीर

➢ प्लेटफार्म स्टैंडपोस्ट , बेड ब्लॉक एवं ड्रेन गैप में ओवरलैपिंग सीमेंट कंक्रीट कार्य की कटौती न करने के कारण प्रति कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन पर ₹ 43.32[7] अधिक लागत का दावा किया गया था।

एकल ग्राम योजना के अंतर्गत निष्पादित कार्यों के लिए, 22 नमूना जांच की गई योजनाओं में लेखापरीक्षा ने पाया कि मदवार विस्तृत माप दर्ज किए बिना ही ठेकेदार को ₹ 6,969 प्रति कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन की इकाई दर पर भुगतान किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ठेकेदारों को ₹ 54.46 लाख का अधिक भुगतान किया गया। चूंकि जल जीवन मिशन के अंतर्गत राज्य में 34.29 लाख कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन स्थापित किए गए थे (मार्च 2024), अतः कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन के गलत दर विश्लेषण के कारण ₹ 533.66 करोड[8] तक अतिरिक्त भुगतान की संभावना है।

सरकार ने कहा (मई 2025) कि लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सम्बंधित संभागों को अतिरिक्त भुगतान की वसूली के लिए निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने सूचित किया (मई 2025) कि विभिन्न जिलों में 1,915 अनुबंधों से ₹ 53.25 करोड़ रुपये की कटौती की गई है।

3.8 राज्य सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय भार

जल जीवन मिशन के परिचालन दिशानिर्देशों के अनुच्छेद 7.5 के साथ पठित अनुच्छेद 7.10 में कहा गया है कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत स्वीकृत सभी योजनाओं को लागत एवं समय की वृद्धि के बिना लागू किया जाएगा। निविदा प्रीमियम के कारण किसी भी लागत में वृद्धि के मामले में, इसे राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा एवं केन्द्रांश से व्यय की अनुमति नहीं होगी। यद्यपि, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी संशोधन (जून 2022) के अनुसार केन्द्रांश से निविदा प्रीमियम के भुगतान की अनुमति दे दी गई थी, लेकिन यह प्रावधान उन योजनाओं पर लागू नहीं था जिनके लिए 21 जून 2022 से पहले कार्यादेश प्रदान किया गया था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि जून 2022 से पहले दिए गए कार्यों के संबंध में 11,055 योजनाओं की स्वीकृत लागत को निविदा प्रीमियम के कारण ₹ 7,840.94 करोड़ से संशोधित कर

---

7 बेड ब्लॉक में अन्तर्निहित सीमेंट कंक्रीट की मात्रा : $0.785*0.16^2*0.15m = 0.003$, ₹4774 प्रति घन मीटर की दर से = ₹14.32, प्लेटफार्म में सीमेंट कंक्रीट के काम की ओवरलैपिंग: $0.785*0.16^2*0.17m = 0.003$, ₹4774 प्रति घन मीटर की दर से = ₹15 एवं प्लेटफार्म की दीवार से प्लेटफार्म में ड्रेन गैप को न काटना 0.3*0.1*0.1m = 0.003, ₹4774 प्रति घन मीटर की दर से = ₹14.32

8 ₹ 1,556.31*34,28,980 कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन = ₹533.66 करोड़

₹ 8,366.58 करोड़ किया गया था। ₹ 525.64 करोड़ रुपये के इस लागत अंतर को केंद्र सरकार द्वारा साझा नहीं किया जाएगा। अतः राज्य सरकार को **तालिका 3.6** में दिए गए विवरण के अनुसार अतिरिक्त वित्तीय बोझ वहन करना होगा।

तालिका 3.6: जल जीवन मिशन के अंतर्गत योजनाओं की संख्या एवं पुनरीक्षित लागत का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	योजना का प्रकार	योजनाओं की संख्या	मूल प्रशासकीय स्वीकृति	संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति	अंतर
1	एकल ग्राम योजना	7,629	6,622.91	7,056.28	433.37
2	सौर	3,426	1,218.03	1,310.30	92.27
कुल		**11,055**	**7,840.94**	**8,366.58**	**525.64**

(स्रोतः लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े एवं लेखापरीक्षा द्वारा संकलित)

शासन ने उत्तर दिया (मई 2025) कि निविदाएं थोक मूल्य सूचकांक एवं स्थल की परिस्थितियों के आधार पर जिला जल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा अनुमोदित की गई थी। जल जीवन मिशन केन्द्रांश से निविदा प्रीमियम का भुगतान 21 जून 2022 से पहले अस्वीकार्य था, अतः इसे राज्य शासन द्वारा वहन किया जाएगा। अतः निविदा प्रीमियम राशि के लिए नए बजट मद के निर्माण का प्रस्ताव राज्य वित्त विभाग को भेजा गया है। यद्यपि इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया है।

3.9 सहायक गतिविधियों के अंतर्गत निधियों का कम उपयोग

जल जीवन मिशन के अंतर्गत सहायक गतिविधियों में जागरूकता अभियानों के माध्यम से समुदायों को संगठित करना, स्थानीय हितधारकों को प्रशिक्षित करना एवं जल संसाधनों का स्वामित्व लेने के लिए ग्राम जल और स्वच्छता समिति को सुदृढ़ करना सम्मिलित है। दिशानिर्देशों के अंतर्गत दीर्घकालिक स्थायी संस्थागत तंत्र स्थापित करने हेतु जल के विवेकपूर्ण उपयोग, सामुदायिक अंशदान,आवश्यक विभिन्न मानव संसाधनों जैसे राजमिस्त्री, प्लंबर, इलेक्ट्रीशियन, मोटर मेकेनिक, पम्प ऑपरेटर आदि के कौशल विकास के बारे में जागरूकता फ़ैलाने एवं समुदायों को संवेदनशील बनाने के लिए कार्यान्वयन सहायक एजेन्सियों की तैनाती की गई थी।

मिशन ने स्थानीय समुदायों के बीच सूचना, शिक्षा एवं संचार, मानव संसाधन विकास, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास एवं तृतीय पक्ष निरीक्षण करने के लिए सहायक गतिविधियों के रूप में राज्यों को वार्षिक आबंटन के पांच प्रतिशत तक का प्रावधान किया है। जल जीवन मिशन के राज्य नोडल खाते में वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान कुल धनराशि ₹ 11,855.73 करोड़ उपलब्ध थी एवं सहायक गतिविधियों के लिए राज्य के पास ₹ 592.79 करोड़ की राशि उपलब्ध थी। निधियों का वर्षवार आबंटन, सहायक गतिविधियों के लिए राज्य जल और स्वच्छता मिशन द्वारा जारी की गई सीमा एवं इसके वर्षवार उपयोग को **तालिका 3.7** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.7: जल जीवन मिशन के अंतर्गत वर्षवार निधि आबंटन एवं सहायक गतिविधियों के लिए निधि का उपयोग

(₹ करोड़ में)

वर्ष	भारत सरकार द्वारा जारी जल जीवन मिशन केन्द्रांश	जल जीवन मिशन केन्द्रांश (60 प्रतिशत) एवं समतुल्य राज्यांश (40 प्रतिशत) का अनिवार्य 5 प्रतिशत	सहायक गतिविधियों के लिए जिला जल एवं स्वच्छता मिशन को आवंटित निधि		उपयोग किया गया	आबंटित निधि के विरुद्ध उपयोग में कमी	
			राशि	अधिदेशित के विरुद्ध आबंटन का प्रतिशत		राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7 (4-6)	8
2019-20	24.27	2.02	0	0	0	0.00	0
2020-21	290.15	24.18	7.82	32	5.61	2.21	28
2021-22	556.82	46.40	49.28	106	34.71	14.57	30
2022-23	2,236.86	186.41	92.81	50	84.23	8.58	9
2023-24	2,885.56	240.46	66.16	28	57.79	8.37	13
कुल	**5,993.66**	**499.47**	**216.07**		**182.34**	**33.73**	**16**

(स्रोतः मिशन संचालक, जल जीवन मिशन के द्वारा प्रदान की गई जानकारी एवं लेखापरीक्षा द्वारा संकलित)

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2021-22 को छोड़कर, वर्ष 2019-20 से 2023-24 की अवधि के दौरान सहायक गतिविधियों के लिए अनिवार्य ₹ 499.47 करोड़ की राशि के विरुद्ध केवल ₹ 216.07 करोड़, सहायक घटक के लिए राशि जल जीवन मिशन दिशानिर्देशों द्वारा अधिदेश के रूप में आवंटित की गई थी।

अतः, सहायक गतिविधियों हेतु जिला जल एवं स्वच्छता मिशन को कम धनराशि आबंटन के कारण, कार्यान्वयन सहायक एजेंसियाँ द्वारा सूचना, शिक्षा एवं संचार आदि के लिए आवश्यक गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

अध्याय - IV

योजना कार्यान्वयन

अध्याय- IV

योजना कार्यान्वयन

4.1 योजनाबद्ध एवं कार्यान्वित योजनाओं की स्थिति

कार्यक्रम का प्रभावी क्रियान्वयन, विश्वसनीय जल स्रोतों की पहचान, कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण एवं क्षमता निर्माण के माध्यम से स्थिरता सुनिश्चित करने जैसी प्रमुख रणनीतियों के इर्द-गिर्द केन्द्रित है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने परियोजनाओं को दो भागों में कार्यान्वित किया था अर्थात बहु ग्राम योजनाएं एवं एकल ग्राम योजनाएं। एकल ग्राम योजना की सौर ऊर्जा संचालित प्रणालियों को कार्यान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा) को सौंप दिया गया था, जबकि लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग उस प्रणाली की पाइपलाइन एवं कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन के भाग का कार्यान्वयन कर रहा था।

- एकल ग्राम योजना एक भूजल, झरना या सतही जल योजना है जिसमें पेयजल स्रोत का विकास/संवर्धन, एक जल शोधन संयंत्र, पंपिंग व्यवस्था, ओवरहेड टैंक एवं कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन तक वितरण नेटवर्क सम्मिलित है जिसका ग्राम पंचायत द्वारा नियोजन एवं प्रबंधन किया जाता है।

एक एकल ग्राम योजना का उसके घटकों सहित उदाहरण चित्र **चार्ट 4.1** में दिखाया गया है।

चार्टः 4.1: एकल ग्राम योजना के घटक

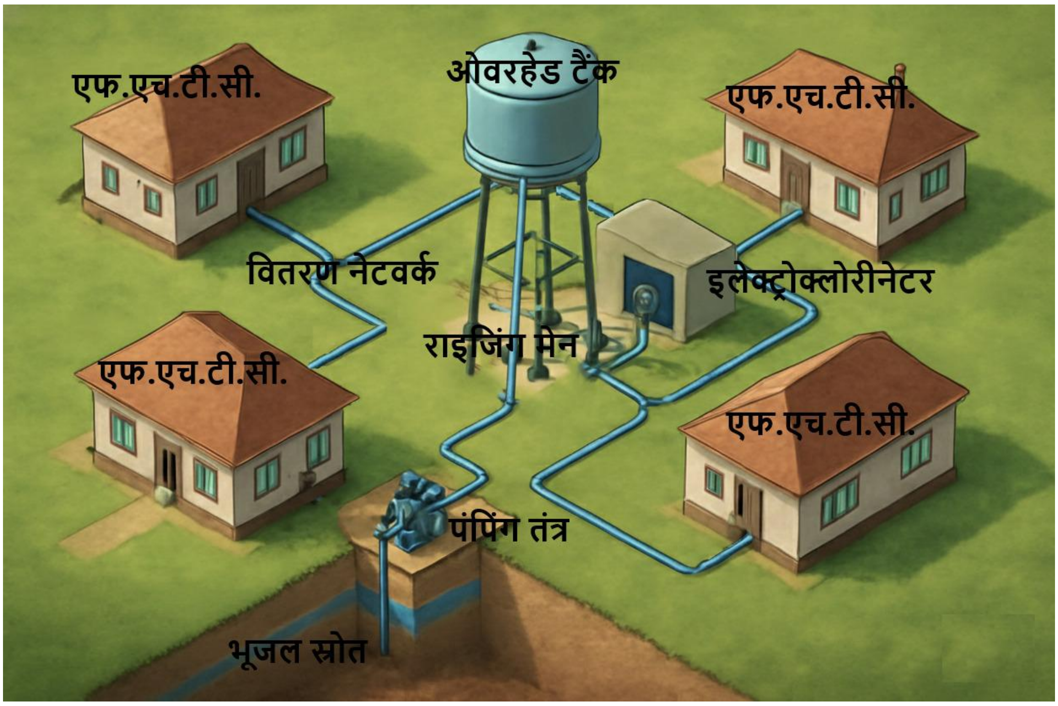

बहु ग्राम योजना एक भूजल अथवा सतही जल आधारित योजना है जो अनेक गांवों को सेवाएँ प्रदान करती है। इसमें दो भाग होते हैं, अर्थात ग्राम-अंतर्गत अवसंरचना[1] एवं ग्राम-बाह्य अवसंरचना[2]। ग्राम-अंतर्गत अवसंरचना में पंपिंग व्यवस्था, ओवरहेड टैंक एवं वितरण नेटवर्क जो एकल ग्राम योजना के समान कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन तक ले जाते हैं, शामिल है एवं ग्राम-बाह्य अवसंरचना के प्रमुख घटकों में कच्चे जल का स्त्रोत, कच्चे जल का भंडारण, प्रेषण प्रणाली, अवसंरचना प्रणाली, पंपिंग मशीनरी, संतुलन जलाशय एवं गाँव की सीमा तक वितरण प्रणाली शामिल है।

बहु ग्राम योजना के ग्राम-अंतर्गत एवं ग्राम-बाह्य अवसंरचना को लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई थी। तथापि, बहु ग्राम योजना की ग्राम-बाह्य प्रणाली के मूलभूत ढांचे एवं मशीनरी का प्रबंधन, संचालन एवं अनुरक्षण लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा किया जाता है एवं बहु ग्राम योजना के ग्राम-अंतर्गत भाग प्रबंधन, संचालन एवं अनुसरण ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता है। बहु ग्राम योजना जलापूर्ति प्रणाली को दर्शाने वाला एक प्रवाह चित्र **चार्ट 4.2** में दर्शाया गया है।

चार्ट 4.2: बहु ग्राम योजना के घटक

ग्राम-बाह्य अवसंरचना	**ग्राम-अंतर्गत अवसंरचना**

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक योजनाबद्ध एवं कार्यान्वित योजनाओं (रेट्रोफिटिंग, एकल ग्राम, बहु ग्राम, सौर) की स्थिति **तालिका 4.1** में विस्तृत है।

[1] ओवरहेड टैंक से व्यक्तिगत कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन को जल का वितरण।

[2] ग्राम सीमा तक जल एवं वितरण प्रणालियों का थोक हस्तांतरण।

तालिका 4.1: योजनाबद्ध एवं कार्यान्वित योजनाओं की स्थिति

वर्ष	योजनाबद्ध योजनाओं की संख्या					कार्यान्वयन के लिए ली गई योजनाओं की संख्या				
	रेट्रो	सोलर	एकल ग्राम योजना	बहु ग्राम योजना	कुल	रेट्रो	सोलर	एकल ग्राम योजना	बहु ग्राम योजना	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2019-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020-21	1,212	3,705	301	0	5,218	977	2,903	286	0	4,166
2021-22	3,823	2,082	9,423	46	15,374	3,798	2,025	9,233	39	15,095
2022-23	116	1,701	6,551	31	8,399	115	1,643	6,489	31	8,278
2023-24	2	2	267	0	271	2	1	38	0	41
कुल	**5,153**	**7,490**	**16,542**	**77**	**29,262**	**4,892**	**6,572**	**16,046**	**70**	**27,580**

(स्रोतः विभाग द्वारा मई 2024 को उपलब्ध कराए गए आंकड़े)

जल जीवन मिशन के तहत नियोजित 29,262 योजनाओं में से केवल 27,580 योजनायें कार्यान्वयन के लिए लिया गया था, जिनमें से 172 योजनायें मार्च 2024 तक पूरी हो चुकी थीं।

योजनाओं के कार्यान्वयन पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर आगामी कंडिकाओं में चर्चा की गयी है।

4.2 एकल ग्राम योजनाओं का कार्यान्वयन

4.2.1 क्रेडा द्वारा सौर फोटोवोल्टिक पंप-आधारित जलापूर्ति योजनाओं का कार्यान्वयन

जल जीवन मिशन परिचालन दिशानिर्देशों की अनुच्छेद 3.5 में छत्तीसगढ़ के जनजातीय/पहाड़ी/वन क्षेत्रों में कम संचालन एवं अनुरक्षण व्यय वाली सौर ऊर्जा-आधारित जलापूर्ति योजनाओं के विकल्पों की पता लगाने का सुझाव दिया गया है। सौर फोटोवोल्टिक जल पंपिंग प्रणाली के कार्य का कार्यान्वयन क्रेडा के माध्यम से किया जा रहा था जो ऊर्जा के गैर-पारंपरिक एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के विकास एवं संवर्धन के लिए, राज्य सरकार की नोडल एजेंसी है।

सौर ऊर्जा-आधारित पाइप जलापूर्ति योजना के घटकों को दो भागों में विभाजित किया गया था अर्थात इस्पात संरचना पर जल टंकी की स्थापना तथा सोलर पैनलों सहित सौर डुअल पम्प प्रणाली की स्थापना। इन संरचनाओं एवं पंपों के पांच वर्षों तक निशुल्क संचालन एवं अनुरक्षण क्रेडा को सौंपा गया था। जबकि लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग जल स्रोतों के विकास, वितरण नेटवर्क बिछाने एवं कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन के निर्माण के लिए जिम्मेदार था।

सौर ऊर्जा-आधारित जलापूर्ति प्रणाली के अभिलेखों की नमूना जांच से निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आयें:

4.2.1.1 स्थापित प्रक्रियाओं एवं नियमों का पालन किए बिना कार्य कार्यान्वियन हेतु क्रेडा को अग्रिम दिया जाना

जल जीवन मिशन दिशानिर्देशों के अनुच्छेद 7.10 में कहा गया है कि भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई सहायता अनुदान से पर्यवेक्षण शुल्क प्रदान करने की अनुमति नहीं है। अनुच्छेद में आगे बताया गया है कि यदि भुगतान करना आवश्यक है, तो यह राज्य शासन का दायित्व होगा अर्थात् राज्य शासन द्वारा निधियों की अलग से व्यवस्था की जायेगी। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार, जल शक्ति मंत्रालय, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के पत्र (जून 2020) के अनुसार, जल जीवन मिशन के तहत किसी भी प्राधिकरण/कार्यालयों को कोई अग्रिम जारी नहीं किया जाना था। जल जीवन मिशन परिचालन दिशानिर्देशों के अध्याय 6 में एजेंसी को भुगतान से पूर्व कार्य के निरीक्षण हेतु तृतीय-पक्ष एजेंसी को संलग्न करना अनिवार्य किया गया था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि सौर आधारित पाइप द्वारा जल आपूर्ति योजना हेतु सौर पंपिंग प्रणाली की स्थापना के लिए जिला जल और स्वच्छता मिशन, ग्राम पंचायत एवं क्रेडा के बीच त्रिपक्षीय अनुबंध कार्यान्वित किया गया था, जिसके अनुसार लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा क्रेडा को लागत का 90 प्रतिशत अग्रिम भुगतान जारी किया जाना था। अनुबंध के अनुसार, कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की देखरेख में क्रेडा द्वारा कार्य कार्यान्वित किया जाना था। क्रेडा द्वारा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को कार्य पूरा होने के 15 दिनों के भीतर पूर्णता प्रमाण पत्र एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि क्रेडा को 19,684 सौर पंप-आधारित प्रणालियों को कार्यान्वित करने के लिए वर्ष 2020 से 2023 (जून 2023 तक) के दौरान ₹ 1,816.83 करोड़ का अग्रिम प्रदान किया गया था। जून 2023 के पश्चात जल जीवन मिशन के अन्तर्गत स्थापित सौर पंपों की जानकारी क्रेडा द्वारा लेखापरीक्षा को प्रदान नहीं की गई थी। स्वीकृत अग्रिम के विरूद्ध, 4,112 योजनाओं हेतु राशि ₹ 557.52 करोड़ का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया था। क्रेडा को जारी किए गए अग्रिमों एवं निधियों के उपयोग का वर्षवार विवरण **तालिका 4.2** में उल्लिखित है।

तालिका 4.2: स्वीकृत सोलर फोटोवोल्टिक पंप सिस्टम का विवरण एवं क्रेडा को जारी निधि

(₹ करोड़ में)

वर्ष	स्वीकृत प्रणालियों की संख्या	जारी की गई धनराशि	स्थापित प्रणाली	उपयोग की गई धनराशि	शेष कार्य	जिन निधियों के लिए उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है	उपयोगिता प्रमाण पत्र	
							प्रस्तुत करने की तारीख	आच्छादित की गई अवधि
2020-21	3,288	365.00	2,882	398.33	2,016	155.81	12-05-2022	2020-22
2021-22	1,610	189.14						
2022-23	12,300	988.38	1230	159.19	13,086	985.00	21-09-2022	3/22 से 9/22
2023-24	2,486	274.31	लागू नहीं	लागू नहीं	15,572	1,259.31	प्रस्तुत नहीं किया गया	--
कुल	**19,684**	**1,816.83**	**4,112**	**557.52**	**15,572**	**1,259.31**	**--**	**--**

(स्रोतः मिशन संचालक, जल जीवन मिशन, छत्तीसगढ़, रायपुर से जून 2023 तक एकत्र की गई जानकारी)

लेखापरीक्षा के दौरान पाया कि क्रेडा द्वारा उपयोग की गयी निधि की निगरानी लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा नहीं की जा रही थी। क्रेडा ने वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान 4,898 परियोजनाओं हेतु आवंटित, राशि ₹ 554.14 करोड़ के विरूद्ध अनुबंध दस्तावेज़ में निर्धारित प्रत्येक परियोजना को पूर्ण करने से पूर्व ही 2,882 परियोजनाओं के लिए राशि ₹ 398.33 का अपना पहला उपयोगिता प्रमाण पत्र मई 2022 में प्रस्तुत कर दिया था। यह पाया गया कि पिछली निधियों का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना क्रेडा को आगामी राशियाँ हस्तांतरण कर दी गयी थी। क्रेडा ने सितंबर 2022 के पश्चात उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया था तथापि इसके बाद वर्ष 2023-24 में ₹ 274.31 करोड़ रुपये क्रेडा को जारी किए गए थे। न तो 15,572 अधूरी परियोजनाओं की स्थिति एवं न ही ₹ 1,259.31 करोड़ के अग्रिम के उपयोगिता प्रमाण पत्र क्रेडा से प्राप्त किये गये थे।

निर्गम बैठक (मई 2025) के दौरान, सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने कहा कि क्रेडा राज्य सरकार की एक एजेंसी है एवं सहमत नियमों एवं शर्तों के आधार पर उन्हें काम सौंपा गया था। उपयोगिता प्रमाण पत्र को संभाग कार्यालयों में क्रेडा द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। यद्यपि, क्रेडा से अनुरोध किया गया है कि वह समेकित उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रबंध निदेशक, जल जीवन मिशन को प्रस्तुत करे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि सौंपे गए कार्य के कार्यान्वयन में समयबद्धता सुनिश्चित करने के लिए कार्य की प्रगति एवं क्रेडा को जारी की गई निधियों के उपयोग की निगरानी नहीं की जा रही थी। तथापि, क्रेडा को अग्रिम जारी करने एवं क्रेडा के माध्यम से कार्यान्वित कार्यों पर तीसरे पक्ष के निरीक्षण का अनुपालन न करने पर कोई उत्तर नहीं दिया गया है।

4.2.1.2 क्रेडा को पर्यवेक्षण शुल्क

जल जीवन मिशन दिशानिर्देशों के अनुच्छेद 7.10 में उल्लेखित है कि पर्यवेक्षण शुल्क का भुगतान भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई सहायता अनुदान से अनुमत्य नहीं है। यदि भुगतान करना आवश्यक है, तो राज्य सरकार द्वारा धन की व्यवस्था अलग से की जानी चाहिए।

डुअल सौर पंपों के साथ सौर संरचना के लिए क्रेडा द्वारा दावा की गई इकाई दरों के विवरण की जांच के दौरान, यह पाया गया कि क्रेडा द्वारा सौर पंपों की इकाई लागत में ₹ 15,000 से ₹ 89,500 प्रति यूनिट की राशि दर से पर्यवेक्षण शुल्क जोड़े गए थे एवं सभी छह नमूना जांच किए गए जिले में 2,386 सौर आधारित डुअल पंप सिस्टम की स्थापना के लिए पर्यवेक्षण शुल्क के रूप में क्रेडा को ₹ 12.09 करोड़ का भुगतान 50:50 के अनुपात में जल जीवन मिशन निधि से किया गया था, जैसा कि **तालिका 4.3** में विस्तृत है।

तालिका 4.3: नमूना जांच किए गए जिलों में क्रेडा द्वारा लगाए गए पर्यवेक्षण शुल्क का विवरण

(₹ लाख में)

क्र. सं.	जिला	1 एचपी/ 1200 वाट/ 9 मीटर/ 10 किलोलीटर टैंक				1 एचपी/ 1200 वाट/ 12 मीटर/ 10 किलोलीटर टैंक				प्रणाली की कुल संख्या	पर्यवेक्षण शुल्क की कुल राशि
		पुरानी दर पर प्रणाली की संख्या	₹ 15000 की दर से पर्यवेक्षण शुल्क	नई दर पर प्रणाली की संख्या	₹ 62500 की दर से पर्यवेक्षण शुल्क	पुरानी दर पर प्रणाली की संख्या	₹ 17000 की दर से पर्यवेक्षण शुल्क	नई दर पर प्रणाली की संख्या	₹ 89500 की दर से पर्यवेक्षण शुल्क		
1	धमतरी	11	1.65	16	10.00	125	21.25	103	92.19	255	125.09
2	गोरेला-पेंड्रा-मरवाही	4	0.60	98	61.25	78	13.26	0	0.00	180	75.11
3	कोंडागांव	17	2.55	260	162.50	137	23.29	40	35.80	454	224.14
4	कोरबा	115	17.25	260	162.50	47	7.99	312	279.24	734	466.98
5	महासमुंद	0	0.00	15	9.38	25	4.25	3	2.69	43	16.31
6	सरगुजा	320	48.00	332	207.50	20	3.40	48	42.96	720	301.86
कुल		**467**	**70.05**	**981**	**613.13**	**432**	**73.44**	**506**	**452.88**	**2,386**	**1,209.50**

(स्रोतः विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े एवं लेखापरीक्षा द्वारा संकलित)

शासन ने कहा (मई 2025) कि पर्यवेक्षण शुल्क के बारे में जानकारी क्रेडा से मांगी जा रही है। निर्गम बैठक (मई 2025) के दौरान, सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने कहा कि प्रकरण को क्रेडा के साथ उठाया जाएगा।

4.2.1.3 रेसीडूअल प्रेशर हेड को ध्यान में रखे बिना सौर फोटोवोल्टिक पंप से जलापूर्ति प्रणालियों का कार्यान्वयन

केंद्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण अभियांत्रिकी संगठन नियमावली (अनुच्छेद 10.3.3 एवं 10.3.6) में कहा गया है कि सेवा जलाशय की ऊंचाई ऐसी होनी चाहिए जो वितरण प्रणाली में न्यूनतम 7 मीटर का रेसीडूअल प्रेशर उसकी लागत प्रभावशीलता के अनुरूप बनाए रखे। ओवरहेड सर्विस जलाशयों का स्टेजिंग वहन प्रणाली में कुल घर्षण हानियों के साथ सकारात्मक/नकारात्मक स्थिर स्तर के अंतर[3] के प्रभाव के साथ आवश्यक रेसीडूअल हेड आधार पर तय किया जाना चाहिए। वितरण प्रणाली में न्यूनतम एवं अधिकतम रेसीडूअल प्रेशर हेड की गणना की जानी चाहिए एवं उच्च सेवा जलाशयों की किफायती स्टेजिंग ऊंचाई निर्धारित करने के लिए नेटवर्क में प्रत्येक नोड पर रेसिडुअल प्रेशर हेड दिखाने वाले दबाव चार्ट के रूप में दिखाया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने पाया कि सौर प्रणाली वाले एकल ग्राम योजना को आवश्यक रेसिडुअल हेड को बनाए रखने के लिए सौर पंप प्रणालियों की स्टेजिंग ऊंचाई को ज्ञात करने हेतु दबाव-चार्ट तैयार किए बिना कार्यान्वित किये जा रहे थे। क्रेडा द्वारा केवल दो विकल्प प्रदान किए गए थे यानी

[3] सर्विस जलाशय का भूतल स्तर (-)वितरण मुख्य लाइन का अधिकतम भूतल स्तर

9 मीटर स्टेजिंग एवं 12 मीटर स्टेजिंग, जिसमें से एक को लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा रेसीडूअल प्रेशर की आवश्यकताओं पर विचार किए बिना चुना गया था।

इस प्रकार, वितरण प्रणाली में रेसीडूअल प्रेशर एवं जल के दबाव के आधार पर प्रणाली की स्टेजिंग ऊंचाई के अनुकूलन के बिना सौर आधारित ओवरहेड टैंक संरचनाएं स्थापित की गई थी।

इसे इंगित किए जाने पर, मिशन संचालक, जल जीवन मिशन ने कहा (मई 2024) कि 9 मीटर स्टेजिंग या 12 मीटर स्टेजिंग के सौर दोहरे पंप की स्थापना के लिए ड्राइंग डिजाइन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग संभाग/क्रेडा द्वारा तैयार किया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि नमूना जांच किए गए जिलों में से किसी में भी, पर्याप्त एवं उचित जलापूर्ति के लिए आर्थिक स्टेजिंग निर्धारित करने के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में उपरोक्त तकनीकी पहलुओं को ध्यान में नहीं रखा गया था।

शासन ने उत्तर में बताया (मई 2025) कि प्रतिवेदन संबंधित जिलों से एकत्र की जा रही थी।

4.2.1.4 सौर फोटोवोल्टिक पंप जलापूर्ति प्रणालियों से जुड़े परिवारों को निर्धारित पेयजल की न्यूनतम सेवा स्तर नहीं मिलना

लेखापरीक्षा में पाया गया कि एकल ग्राम योजना के तहत, वितरण नेटवर्क के घटक एवं कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन की स्थापना जिला जल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा अनुबंधित किये गए ठेकेदारों द्वारा कार्यान्वित की गई थी, जबकि सौर आधारित प्रणाली के साथ ओवरहेड टैंक के घटक को क्रेडा द्वारा निर्मित किया गया था।

जल जीवन मिशन के अंतर्गत जलापूर्ति योजनाओं को 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की न्यूनतम निर्धारित जल मांग को पूरा करने हेतु जलहानि एवं अन्य घटकों सहित 65.19[4] लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन लेकर डिजाइन किया गया था, जिसमें प्रति परिवार पांच सदस्य औसत थीं, जबकि क्रेडा द्वारा उपयोग की जाने वाली सौर प्रणाली बाह्य परिस्थितियों में 17,052 लीटर प्रतिदिन के क्षमता[5] की थी।

चूंकि सौर पंप प्रणाली की जल पंपिंग क्षमता 17,052 लीटर प्रतिदिन थी, अतः यह 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की निर्धारित मात्रा में एक दिन में 53 परिवार[6] को जल की आपूर्ति कर सकती थी। यद्यपि, लेखापरीक्षा ने छह नमूना-जांच किए गए जिलों में पाया कि 310 जलापूर्ति योजनाओं में 429 सौर पंप प्रणाली 53 से अधिक परिवारों से जुड़े थे। प्रति सौर पंप सिस्टम प्रणाली से जुड़े कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन की संख्या 54 से 169 तक थी जैसा कि **तालिका 4.4** में विस्तृत है।

[4] 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन प्रदान करने क लिए छत्तीसगढ़ शासन जनवरी 2020 द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार, घरेलू उद्देश्य के लिए योजना की रुपरेखा के लिए प्रति व्यक्ति जलापूर्ति स्तर 65.19 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन (आग की मांग, संस्थागत मांग एवं अपव्यय सहित) के रूप में अपनाया गया है

[5] परीक्षण प्रतिवेदन सं. MRTCTP 151820221395 दिनांक 13.06.2022

[6] 17,052 लीटर/65.19 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन/5 व्यक्ति प्रति परिवार = 52.31~ 53 परिवार

तालिका 4.4: नमूना जांच किए गए जिलों में अतिरिक्त कनेक्शन के साथ सौर फोटोवोल्टिक पंप का विवरण

जिला	योजनाओं की संख्या	53 परिवारों से अधिक कनेक्शन वाले सोलर फोटोवोल्टिक प्रणाली की संख्या	प्रति सोलर फोटोवोल्टिक प्रणाली से जुड़े कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन की सीमा	कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन की संख्या	प्रभावित आबादी
धमतरी	37	38	54 से 125	2,519	12,595
गोरेला-पेंड्रा-मरवाही	78	79	54 से 107	5,694	28,470
कोरबा	127	214	54 से 169	13,701	68,505
कोंडागांव	35	59	56 से 147	4,327	21,635
महासमुंद	10	10	55 से 84	635	3,175
सरगुजा	23	29	54 से 145	2,108	10,540
कुल	**310**	**429**		**28,984**	**1,44,920**

(स्रोतः विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े एवं लेखापरीक्षा द्वारा संकलित)

एक सौर प्रणाली की अधिकतम क्षमता से अधिक कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन की ओवरलोडिंग के कारण, 1.44 लाख आबादी को आच्छादित करने वाले परिवारों में स्थापित 28,984 कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन में प्रत्येक परिवार को 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की आपूर्ति के निर्धारित मानक सुनिश्चित नहीं किए जा सकते।

शासन (मई 2025) ने बताया कि प्रतिवेदन संबंधित जिलों से एकत्र की जा रही है।

4.2.1.5 सौर ऊर्जा आधारित योजनाओं में इलेक्ट्रो क्लोरिनेटर का प्रावधान न होना

जल जीवन मिशन परिचालन दिशानिर्देश (2019) के अनुच्छेद 6.1 में कहा गया है कि ग्राम अंतर्गत पाइप जलापूर्ति अवसंरचना में जल गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए जल उपचार संयंत्र सम्मिलित होंगे।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि सभी छह जांच किए गए जिलों में एकल ग्राम योजनाओं एवं रेट्रोफिटिंग योजनाओं में इलेक्ट्रो-क्लोरिनेटर का प्रावधान था जबकि सौर उर्जा आधारित योजनाओं में इसका प्रावधान नहीं रखा गया था जिससे ग्रामीण आबादी को सुरक्षित पेयजल से वंचित किया गया था। यह उल्लेख करना उचित है कि छत्तीसगढ के नमूना जांच किए गए छह जिलों में से पाँच[7] आंशिक रूप से फ्लोराइड, आयरन और/या नाइट्रेट संदूषण से प्रभावित हैं

4.3 बहु ग्राम योजनाओं का कार्यान्वयन

4.3.1 बहु ग्राम योजना की विलम्बित शुरुआत एवं प्रमुख घटकों का उन्मूलन

जल जीवन मिशन परिचालन दिशानिर्देश (2019) के अंतर्गत, बहु ग्राम योजना को पूरा करने के लिए अनुमत अधिकतम समय 36 महीने था एवं अनुबंध मार्च 2021 के बाद नहीं दिए जाने

[7] धमतरी, कोंडागांव, कोरबा, महासमुंद एवं सरगुजा

चाहिए थे जिसे भारत सरकार द्वारा दिसंबर 2021 तक बढ़ाया गया था। राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा 77 बहु ग्राम योजनाओं की योजना बनाई एवं वर्ष 2021-22 से 2022-23 के दौरान 70 योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। बहु ग्राम योजना कार्यों को अंततः जून 2023 से फरवरी 2024 के मध्य प्रदान किया गया।

इसी बीच, एकीकृत दर अनुसूची (जून 2022) में संशोधन के कारण, मदों की दरें (जैसे पॉलीविनाइल क्लोराइड, डक्टाइल आयरन एवं हाई-डेंसिटी पॉलीइथिलीन पाइप एवं सहायक उपकरणों) 12 से 62 प्रतिशत तक बढ़ गईं। परिणामस्वरूप, परियोजनाओं की लागत में वृद्धि हुई, लेकिन संशोधित प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त करने के बजाय राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन ने परियोजना की लागत को अनुमोदित लागत के भीतर नियंत्रित करने हेतु 70 बहु ग्राम योजनाओं के प्रशासनिक अनुमोदन में स्वीकृत प्रमुख घटकों को हटाने का निर्णय लिया। हटाये गए घटकों में प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल- सुपेरवाइजारी कंट्रोल एवं डाटा एक्सेस(पीएलसी-एससीएडीए) एवं बल्क मीटर, वाटर रेग्युलेटर आदि सम्मिलित थे। कुछ मामलों में लंबाई, व्यास एवं पाइप की सामग्री आदि जैसे विशिष्टियों में भी बदलाव किया गया था।

जल जीवन मिशन परिचालन दिशानिर्देश के अंतर्गत दबाव, जल की गुणवत्ता, प्रवाह दर आदि जैसे उपचार संयंत्रों के मापदंडों की निगरानी के लिए सुपेरवाइजारी कंट्रोल एवं डाटा एक्सेस को अनिवार्यतः अपनाया जाना अनिवार्य था, चूंकि जल को बहुत अधिक लागत पर लंबी दूरी से स्थानांतरित किया जाता है, अतः संचरण के दौरान जल के नुकसान की निगरानी करना आवश्यक था।

इस तरह महत्वपूर्ण घटक को हटाकर बहु ग्राम योजना में निगरानी दक्षता की दक्षता से समझौता किया।

निर्गम बैठक (मई 2025) के दौरान, सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने कहा कि वर्तमान में, मिशन अवधि को 2028 तक बढ़ा दिया गया है। राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन नई समय-सीमा के अनुसार बहु ग्राम योजना को पूरा करेगा।

4.3.2 अपेक्षित मात्रा में जल का आबंटन सुनिश्चित किये बिना बहु ग्राम योजना का क्रियान्वयन

पाइप जलापूर्ति योजनाओं की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए एक बहु ग्राम योजना के डिजाइन किए गए जीवन की अधिकतम अवधि तक के लिए सतही जल की उपलब्धता का आश्वासन आवश्यक है। लेखापरीक्षा ने आबंटन एवं उपलब्धता में महत्वपूर्ण कमियों को पाया जिसकी चर्चा नीचे की गई है :

i) **जल आबंटन में कमी:** लेखापरीक्षा ने छह बहु ग्राम योजनाओं में जल की मांग एवं आबंटन में कमी पायी। जल का आबंटन योजनाओं की आवश्यकता से कम था, जो लक्षित ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जल की उपलब्धता को सीधे प्रभावित करता है। जल संसाधन विभाग इन योजनाओं में 16.363 मिलियन क्यूबिक मीटर की मांग के विरुद्ध 9.185 मिलियन क्यूबिक मीटर जल प्रदान करने में सक्षम था जैसा कि **परिशिष्ट 4.1** में

विस्तृत है। अलग-अलग बहु ग्राम योजनाओं में जल आबंटन में कमी 18 किलो लीटर प्रतिदिन से लेकर 17537 किलो लीटर प्रतिदिन तक थी।

ii) **जलाशयों में जल की अनुपलब्धता:** योजना चरण में, बहु ग्राम योजना को जलापूर्ति करने वाले जलनिकायों की भंडारण क्षमता का आकलन, योजना के लिए जल की स्थायी आपूर्ति हेतु महत्वपूर्ण था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि इन बहु ग्राम योजना से सम्बंधित टैंकों एवं जलाशयों में योजना से जुड़े सभी गांवों की जल आवश्यकता को पूरा करने हेतु आवश्यक क्षमता का अभाव था। पांच प्रकरणों में देखा गया कि टैंकों एवं जलाशयों में बहु ग्राम योजना की पूर्ति हेतु आवश्यक जल की मात्रा की कमी थी एवं यह कमी 37,000 किलो लीटर से 39,49,000 किलो लीटर के मध्य थी जैसा कि **परिशिष्ट 4.2** में वर्णित है।

इस प्रकार, जल के कम आवंटन एवं जल निकायों में जल की अनुपलब्धता के परिणामस्वरूप पेयजल के 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के न्यूनतम सेवा स्तर के मानदंड की पूर्ति नहीं हो सकती है, जिससे बहु ग्राम योजना की स्थिरता कम हो सकती है।

इसे इंगित किए जाने पर, सरकार ने सूचित किया (मई 2025) कि संबंधित जिलों से जानकारी एकत्र की जा रही थी।

4.3.3 बहु ग्राम योजना के ग्राम-अंतर्गत भाग के लिए अनावश्यक घटकों को सम्मिलित किया जाना

जल जीवन मिशन परिचालन दिशानिर्देश (2019) की अनुच्छेद 6.1 में बताया गया है कि ग्राम-अंतर्गत पाइप जलापूर्ति अवसंरचना में पंपिंग व्यवस्था, ओवरहेड टैंक/भूमिगत संप, जलापूर्ति के लिए पाइपलाइन, कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन तक वितरण नेटवर्क एवं आपूर्ति किए गए जल को मापने के लिए बल्क मीटर/सेंसर आधारित जल मीटर सम्मिलित होंगे।

धमतरी एवं महासमुंद जिलों में 124 गांवों को आच्छादित करने वाले तीन[8] बहु ग्राम योजनाओं के अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि इन योजनाओं को सतही जल के माध्यम से गुरुत्वाकर्षण आधारित वितरण के लिए डिजाइन किया गया था। इस प्रकार, इन बहु ग्राम योजना के ग्राम अंतर्गत बुनियादी ढांचे को ग्राम-अंतर्गत अवसंरचना के घटकों के रूप में ट्यूबवेल ड्रिलिंग, सबमर्सिबल पंप, राइजिंग मेन, इलेक्ट्रो-क्लोरिनेटर एवं विद्युत कनेक्शन की आवश्यकता नहीं थी। यद्यपि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि ₹ 13.51 करोड़ की लागत से इन अनावश्यक घटकों को कार्यान्वित किया गया था जैसा कि **तालिका 4.5** में वर्णित है।

[8] धमतरी में घाटुला एवं संकरा तथा महासमुंद में समोदा अछोला।

तालिका 4.5: अनावश्यक घटकों को सम्मिलित करना

(₹ लाख में)

क्र. स.	जिला	बहु ग्राम योजना का नाम	अंतः ग्राम घटकों की राशि						
			ट्यूबवेल	सबमर्सिबल पंप	राइजिंग मेन	इलेक्ट्रो-क्लोरिनेटर	इलेक्ट्रो-क्लोरिनेटर रूम	विद्युत कनेक्शन	योग
1	धमतरी	घाटुला बहु ग्राम योजना	44.00	47.30	245.38	132.30	46.56	47.50	563.04
2		संकरा बहु ग्राम योजना	46.20	49.50	235.22	132.30	46.56	50.90	560.68
3	महासमुंद	समोदा अछोला बहु ग्राम योजना	0.00	0.00	0.00	184.32	42.72	0.00	227.04
योग			**90.20**	**96.80**	**480.60**	**448.92**	**135.84**	**98.40**	**1350.76**

(स्रोतः लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े एवं लेखापरीक्षा द्वारा संकलित)

इन अनावश्यक घटकों के साथ बहु ग्राम योजना का क्रियान्वयन, बहु ग्राम योजना के चालू होने के बाद निष्क्रिय हो जाएगा।

इसे इंगित किए जाने पर, कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, धमतरी संभाग ने कहा (सितंबर 2024) कि बहु ग्राम योजना की निविदा में विलंब राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन स्तर पर हुई थी। बहु ग्राम योजना के ग्राम-बाह्य अवसंरचना में विलंब जिला जल एवं स्वच्छता मिशन/संभाग कार्यालय के नियंत्रण से बाहर था। इस बीच बहु ग्राम योजनाओं में सम्मिलित गांवों के ग्राम-अंतर्गत कार्य पूरे हो गए थे एवं ग्राम में पेयजल की आपूर्ति की मांग थी। ग्राम के बाहर के कार्यों में विलंब के बावजूद ग्राम-अंतर्गत कार्यों के माध्यम से ग्रामीणों को जल मिल रहा है। कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, महासमुंद संभाग (सितंबर 2024) ने कहा कि प्रणाली को 2024 तक चालू करने के लिए ग्राम-अंतर्गत में अवसंरचना बुनियादी ढांचे को मंजूरी दी गई थी।

उत्तर इस बात की पुष्टि करता है कि बहु ग्राम योजना से संबंधित गांवों में ग्राम-अंतर्गत अवसंरचना को बनाने के लिए ट्यूब वेल, पंप एवं इलेक्ट्रो-क्लोरिनेटर जैसे अनुचित घटकों के लिए अतिरिक्त धन की आवश्यकता थी, जो बहु ग्राम योजना के क्रियान्वयन के बाद किसी काम का नहीं होगा।

4.4 कार्यान्वयन सहायता एजेन्सियाँ

जल जीवन मिशन परिचालन दिशानिर्देश ने अपने उद्देश्यों के सफल कार्यान्वयन एवं स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिए कार्यान्वयन सहायता एजेंसियों के महत्व पर जोर दिया। कार्यान्वयन सहायता एजेंसी जल संसाधनों के प्रबंधन के लिए अपनी भागीदारी एवं क्षमता को सुदृढ़ करने के लिए समुदायों के साथ मिलकर काम करते हैं, बेसलाइन सर्वेक्षण, जल संसाधन मानचित्रण, बुनियादी ढांचे की जरूरतों की पहचान करके ग्राम कार्य योजना के निर्माण में ग्राम पंचायत का सहयोग करते हैं, ग्राम पंचायत को गांवों में जल जीवन मिशन के अंगीकरण हेतु संकल्प पारित

करने में मदद करते हैं एवं सामुदायिक अंशदान के निर्धारण तथा बैंक खाते में इसके जमा किये जाने के निर्धारण हेतु सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन गतिविधियां करते हैं।

कार्यान्वयन सहायता एजेंसी का विलम्ब से नियुक्ति: नमूना जांच किए गए जिलों में, यह पाया गया कि कार्यान्वयन सहायता एजेंसी की नियुक्त ग्राम कार्य योजना बनने (अक्टूबर 2020 से दिसम्बर 2020 के मध्य) के एक वर्ष से दो वर्ष पश्चात (सितम्बर 2021 से मार्च 2023 के मध्य) की गई थी। कार्यान्वयन सहायता एजेंसी की विलम्ब से नियुक्ति के परिणामस्वरूप कार्यान्वयन सहायता एजेंसी का ग्राम कार्ययोजना तैयार किये जाने में कोई भागीदारी नहीं हुई एवं इसके परिणामस्वरूप जल जीवन मिशन के तहत अपेक्षित ग्राम पंचायत संकल्प के समय 80 प्रतिशत समुदाय की उपस्थिति के आश्वासन के साथ-साथ पूंजीगत-व्यय एवं संचालन-व्यय अंशदान पर ग्रामीणों से सहमति प्राप्त नहीं हुई। परिणामस्वरूप, पूंजीगत व्यय के लिए सामुदायिक अंशदान एकत्र नहीं किया जा सका था।

इसे इंगित किये जाने पर, शासन ने उत्तर दिया (मई 2025) कि संबंधित जिलों से जानकारी एकत्र की जा रही थी।

सहायक गतिविधियों में कमी: जल जीवन मिशन का उद्देश्य विभिन्न हितधारकों विशेष रूप से स्थानीय समुदायों की क्षमता का निर्माण करना है, जो ग्राम में जलापूर्ति प्रणालियों के स्वामित्व, प्रबंधन, संचालन एवं अनुरक्षण के लिए जिम्मेदार है। अतः सूचना शिक्षा एवं संचार गतिविधियाँ जैसे सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन, पारस्परिक संचार, व्यवहार परिवर्तन संचार से संबंधित गतिविधियाँ जल जीवन मिशन की सफलता की कुंजी है।

चयनित जिलों में अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान, यह देखा गया कि सूचना शिक्षा एवं संचार/ व्यवहार परिवर्तन संचार/पारस्परिक संचार गतिविधियों, कौशल गतिविधियों एवं क्षमता निर्माण गतिविधियों में **तालिका 4.6** में दर्शाए गए अनुसार महत्वपूर्ण कमियाँ थी।

तालिका 4.6: विभिन्न सहायक गतिविधियों का लक्ष्य एवं उपलब्धि

क्र. सं.	जिला	सूचना, शिक्षा और संचार/ व्यवहार परिवर्तन संचार/ पारस्परिक संचार			कौशल गतिविधि			क्षमता निर्माण		
		लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत
1	धमतरी	9,207	3,194	35	1,674	664	40	2,180	1,671	77
2	गौरेला-पेंड्रा-मरवाही	8,014	55	0.69	1,257	110	9	1,033	59	6
3	कोंडागांव	10,712	4,746	44	1,238	157	13	647	280	43
4	कोरबा	21,154	6,425	30	1,412	300	21	0	0	0
5	महासमुंद	24,161	0	0	7,946	3,525	44	3,201	236	7
6	सरगुजा	2,166	1,142	53	753	213	28	742	257	35
कुल		**75,414**	**15,562**	**21**	**14,280**	**4,969**	**34**	**7,803**	**2,503**	**32**

(स्रोतः संबंधित जिला लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग सभागों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े एवं लेखापरीक्षा द्वारा संकलित)

- सूचना शिक्षा एवं संचार/व्यवहार परिवर्तन संचार/पारस्परिक संचार गतिविधियों के लक्ष्यों के विरुद्ध सम्बंधित उपलब्धि क्रमशः केवल 21 प्रतिशत, 34 प्रतिशत एवं 32 प्रतिशत थी एवं महासमुंद जिले में कोई सूचना शिक्षा एवं संचार गतिविधियां नहीं की गई थीं।
- महासमुंद जिला समुदाय के चिन्हित लोगों को निर्माण, पलम्बिंग, बिजली आदि के क्षेत्र प्रशिक्षित करने के लिए 44 प्रतिशत की प्रगति के साथ शीर्ष पर था जबकि गौरेला-पेंड्रा-मरवाही में प्रगति केवल 9 प्रतिशत थी।
- संस्थागत क्षमता में सुधार के लिए धमतरी जिले में विभिन्न स्तर के अधिकारियों का प्रशिक्षण 77 प्रतिशत की उपलब्धि के साथ संतोषजनक था, इसके विपरीत, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिला इस गतिविधि में भी पिछड़ रहा था एवं कोरबा में कोई क्षमता निर्माण गतिविधियां आयोजित नहीं की गई थीं।

इस बारे में इंगित किये जाने पर, शासन ने उत्तर दिया (मई 2025) कि संबंधित जिलों से जानकारी एकत्र की जा रही थी।

4.5 तृतीय-पक्ष निरीक्षण एजेन्सियाँ

जल जीवन मिशन के अंतर्गत तृतीय-पक्ष निरीक्षण एजेंसियों की भूमिका कार्य एवं सामग्री की गुणवत्ता, विनिर्देशों एवं समयसीमा का पालन एवं स्वतंत्र मूल्यांकन के माध्यम से बुनियादी ढांचे की स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। जल जीवन मिशन परिचालन दिशानिर्देश के अनुसार, तृतीय-पक्ष निरीक्षण एजेंसियों के कर्तव्य क्षेत्र में उपयोग की जाने वाली सामग्रियों की गुणवत्ता की नमूना जांच करना, दावा किए गए भुगतान के लिए बिल के अनुसार कार्यान्वित कार्यों की मात्रा एवं गुणवत्ता को सत्यापित करना, कार्यान्वित कार्य के लिए भुगतान पर सिफारिशें करना, परीक्षण के दौरान ग्राम के मूलभूत ढांचे के कामकाज की जांच आदि सम्मिलित है।

चयनित जिलों में अभिलेखों की जांच के दौरान पाया गया कि प्रारम्भ में राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा (नवंबर 2021) 13 तृतीय-पक्ष निरीक्षण एजेंसियों को सूचीबद्ध किया गया था। तृतीय-पक्ष निरीक्षण एजेंसियों को जिला जल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा भी सूचीबद्ध किया गया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि वर्ष 2019-21 के दौरान जल जीवन मिशन कार्यों को तृतीय-पक्ष निरीक्षण की नियुक्ति के बिना ही कार्यान्वित किया गया था।

कार्यादेश एवं रूचि की अभिव्यक्ति के अनुसार, तृतीय-पक्ष निरीक्षण एजेंसियों को ग्रामीण जलापूर्ति योजना के तहत कार्य का निरीक्षण करना था। तृतीय-पक्ष निरीक्षण के अनुबंध एवं कार्य योजना के तहत, प्रस्तावित गतिविधियों सहित तृतीय-पक्ष निरीक्षण एजेंसियों के काम की निगरानी जिला जल एवं स्वच्छता मिशन के मार्गदर्शन में कार्यपालन अभियंता द्वारा की जानी थी। नमूना जांच किये गए चार जिलों में, लेखापरीक्षा ने पाया कि तृतीय-पक्ष निरीक्षण हेतु आवंटित किये गए ग्राम हेतु संपूर्ण योजना चक्र के लिए चरण-वार आउटपुट कार्य योजना तैयार नहीं की गई थी, जो दर्शाता है कि जिला जल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा तृतीय-पक्ष निरीक्षण एजेंसियों के काम की निगरानी नहीं किया गया था। तृतीय-पक्ष निरीक्षण एजेंसियां केवल सिविल ठेकेदारों द्वारा चल

देयक जमा करने के समय ही परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे थे, तथापि,निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री की परीक्षण रिपोर्ट, निर्माण के लिए प्रयुक्त निर्माण सामग्री, अपनाए गए सुरक्षा उपायों के नमूना जांच के संबंध में जिला जल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा लेखापरीक्षा को अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए थे। अतः, यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि कार्य के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता एवं मात्रा की जांच तृतीय-पक्ष निरीक्षण एजेंसियों द्वारा की गई थी अथवा नहीं। लेखापरीक्षा में पाया गया कि पांच चयनित जिलों द्वारा तृतीय-पक्ष निरीक्षण एजेंसियों को भुगतान के लिए ₹ दो करोड़ का व्यय किया गया था।

इस प्रकार, विभिन्न चरणों में गुणवत्ता एवं मात्रा सुनिश्चित करने के लिए तृतीय-पक्ष निरीक्षण एजेंसियां की नियुक्ति का उदेश्य पूरा नहीं हुआ।

इस बारे में बताए जाने पर, शासन ने उत्तर दिया (मई 2025) कि संबंधित जिलों से जानकारी एकत्र की जा रही थी।

4.6 निगरानी

जल जीवन मिशन परिचालन दिशानिर्देशों के अनुसार, एक ग्राम में सभी ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन प्रावधान करने के बाद, योजना को लागू करने वाले विभाग को ग्राम पंचायत से एक पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा एवं फिर मार्च 2024 तक जल जीवन मिशन -एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली पर ग्राम को 'हर घर जल' के रूप में चिह्नित करेगा। छत्तीसगढ़ में 19,656 ग्राम थे एवं इन गांवों के सभी परिवारों को जल जीवन मिशन अंतर्गत कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन प्रदान किया जाना था। 100 प्रतिशत 'हर घर जल' के लक्ष्य के विरुद्ध, प्रमाणित 'हर घर जल' गांवों का उपलब्धि राज्य में 3.64 प्रतिशत (716 गांव) थी (मार्च 2024) तथा छह चयनित जिलों में यह उपलब्धि 4.31 प्रतिशत थी जैसा कि **तालिका 4.7** में दर्शाया गया है।

तालिका 4.7: मार्च 2024 को 'हर घर जल' प्रमाणित गावों की स्थिति

जिले का नाम	कुल गाँवों की सँख्या	जिला जल एवं स्वास्थ्य समिति द्वारा 'हर घर जल' सूचित गाँवों की सँख्या	ग्राम जल एवं स्वास्थ्य समिति द्वारा 'हर घर जल' प्रमाणित गाँवों की सँख्या	सूचित गांवों के विरुद्ध प्रमाणित गांवों का प्रतिशत	लक्षित गांवों के विरुद्ध प्रमाणित गांवों का प्रतिशत
धमतरी	622	558	91	16	14.63
गौरेला-पेंड्रा-मरवाही	222	7	2	29	0.90
कोंडागांव	571	44	14	32	2.45
कोरबा	703	28	11	39	1.56
महासमुंद	1,119	134	39	29	3.49
सरगुजा	569	10	7	70	1.23
योग	**3,806**	**781**	**164**	**21**	**4.31**
राज्य का कुल योग	**19,656**	**2239**	**716**	**31.98**	**3.64**

(स्रोतः 01.04.2024 तक जल जीवन मिशन-एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली आंकड़ो के अनुसार)

इस प्रकार, मार्च 2024 की स्थिति में 100 प्रतिशत लक्ष्य के विरुद्ध पांच प्रतिशत से कम गाँवों को ही हर घर जल प्रमाणित हो पाये।

शासन ने उत्तर दिया (मई 2025) कि भारत सरकार ने लक्ष्य तिथि को 2028 तक बढ़ा दिया है एवं सभी लक्ष्य नई समय-सीमा के अनुसार प्राप्त किए जाएंगे।

4.6.1 हर घर जल प्रमाणित गाँवों का भौतिक सत्यापन

एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली में प्रतिवेदित की गई कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन की कार्यक्षमता का पता लगाने के लिए, लेखापरीक्षा द्वारा 24 चयनित योजनाओं का संयुक्त भौतिक निरीक्षण किया गया था। इनमें से दो गांवों, महासमुंद जिले के ग्राम-भिथीडीह एवं धमतरी जिले के ग्राम-भिड़ावर को 'हर घर जल' के रूप में प्रमाणित किया गया था।

i) 'हर घर जल' प्रमाणित ग्राम -भिथीडीह: विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार, 381 परिवारों में से 15 परिवारों के पास मौजूदा कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध था एवं शेष 366 परिवारों को जल जीवन मिशन के तहत कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करने की योजना थी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि ग्राम-भिथीडीह को आवश्यक 366 में से केवल 214 कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन के निर्माण के बाद 'हर घर जल' के रूप में प्रमाणित किया गया था (अक्टूबर 2023)। एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली पोर्टल के आंकड़ों के अनुसार ग्राम में 230 परिवारों के साथ चार बस्तियां थीं, यद्यपि, ग्राम कार्य योजना में तीन बस्तियों में 249 परिवारों (334-85) के कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन के लिए योजना बनाई गई थी। संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान, यह देखा गया कि ग्राम की दो बस्तियों यानी कमारडेरा एवं विद्यानगर के 105 परिवारों को जल जीवन मिशन के दायरे में नहीं लिया गया थे। बिना कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन एवं पाइपलाइन की वितरण शाखा से बिना जुड़े कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन एवं 'हर घर जल' के रूप में प्रमाणित भिथीडीह गाँव की बस्ती की तस्वीरें नीचे दर्शायी गई है-

चित्र 4.1: वितरण लाईन के बिना निर्मित कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन एवं बिना कनेक्शन के खुला पड़ा कम्पोजिट पाइप (ग्राम भिथीडीह बस्ती कमारडेरा)

चित्र 4.2: वितरण लाईन के बिना निर्मित कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन एवं बिना कनेक्शन के खुला पड़ा कम्पोजिट पाइप (ग्राम भिथीडीह बस्ती कमारडेरा)

चित्र 4.3: वितरण लाइन नहीं पहुंची एवं कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन का निर्माण नहीं किया गया (ग्राम भिथीडीह बस्ती विद्यानगर)

चित्र 4.4: वितरण लाइन नहीं पहुंची एवं कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन का निर्माण नहीं किया गया (ग्राम भिथीडीह बस्ती विद्यानगर)

ii) 'हर घर जल' प्रमाणित ग्राम-भिड़ावर: इसी तरह, संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान 20 परिवारों का निरीक्षण किया गया था एवं यह पाया गया कि लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा जलापूर्ति प्रणाली की वितरण लाइन के साथ स्टैंडपोस्ट को जोड़े बिना ही ग्राम को 'हर घर जल' के रूप में प्रमाणित किया गया था, जैसा कि नीचे तस्वीरों में दिखाया गया है:

चित्र 4.5: ग्राम भिड़ावर में कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन को कम्पोजिट पाइप के साथ वितरण लाइन से जुड़े नहीं होने को, प्रदर्शित करता चित्र

इस प्रकार, सभी बस्तियों एवं परिवारों को जल जीवन मिशन अंतर्गत आच्छादित नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, योजना के तहत दर्शाये गए आच्छादित गांवों को कार्य पूरा बिना एवं प्रत्येक परिवारों को कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन प्रदान किए बिना ही 'हर घर जल' के रूप में प्रतिवेदित एवं प्रमाणित कर दिया गया था, परिणामस्वरूप ग्राम की आबादी मिशन के लाभों से वंचित रह गई।

निर्गम बैठक (मई 2025) में सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने कहा कि मामले की पहले ही जांच की जा चुकी है एवं जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है।

4.6.2 अकार्यशील नल कनेक्शनों को कार्यशील घोषित कर प्रगति को कृत्रिम रूप से बढ़ाना

जल जीवन मिशन परिचालन दिशानिर्देश में प्रावधान है कि मिशन की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति को प्रदर्शित करने हेतु राष्ट्रीय मिशन द्वारा एक एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली पोर्टल बनाया जायेगा एवं एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली पोर्टल पर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग आकड़ों की प्रविष्टि करने हेतु उत्तरदायी होगा। विभिन्न परियोजनाओं की भौतिक प्रगति, परिसंपत्तियों की जियो-टैगिंग, परियोजनाओं पर किए गए व्यय, परियोजनाओं की कार्यक्षमता की स्थिति के संबंध में राज्यों के आकड़ों को एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली पोर्टल पर दर्ज किया जाएगा एवं सार्वजनिक डोमेन में रखा जायेगा जिसके माध्यम से अंतिम उपयोगकर्ताओं एवं विभिन्न संस्थागत संरचनाओं द्वारा सामाजिक लेखापरीक्षा एवं निगरानी की संभावना बनेगी।

नल कनेक्शन की कार्यशीलता को ग्रामीण परिवारों को नियमित रूप से पर्याप्त मात्रा में निर्धारित गुणवत्ता में नल से जल प्रदाय करने के रूप में परिभाषित किया गया है। जिला स्तर पर जिला जल एवं स्वच्छता मिशन, ग्राम पंचायत से परिचालन प्रमाण पत्र प्राप्त होने के बाद एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली पोर्टल पर कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन अपलोड करने के लिए जिम्मेदार है। एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली पोर्टल के अनुसार, मार्च 2024 तक छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में 38.97 लाख कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन प्रदान किये गये थे। घरेलू नल कनेक्शन की कार्यशीलता की स्थिति **तालिका 4.8** में दर्शायी गई है।

तालिका 4.8: घरेलू नल कनेक्शन की कार्यशीलता की स्थिति

जनवरी 2025 तक की स्थिति	एकीकृत बंधन सूचना प्रणाली के अनुसार कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन की प्रगति	कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन की अकार्यशीलता का कारण					वास्तविक कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन
		स्रोत की कमी के कारण स्रोत सुखा	अपूर्ण ओवरहेड टैंक	बिजली कनेक्शन के अभाव में	सौर प्रणाली स्थापित नहीं होना	योग	
	40,10,825	7,86,566	2,91,471	1,56,433	96,710	13,31,180	26,79,645

(स्रोतः विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े)

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि यद्यपि एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली पोर्टल पर दिखाई गई कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन की प्रगति 40.11 लाख (जनवरी 2025) थी, तथापि अधूरे ओवरहेड टैंक, सुखे स्रोत, जल स्रोत/विद्युत कनेक्शन की कमी, सौर पंप की स्थापना न होने आदि के कारण कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन अकार्यशील थे। इस प्रकार, एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली पोर्टल पर कार्यशील घोषित 40.11 लाख कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन में से 26.80 लाख (67 प्रतिशत) कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन को गलत रूप से कार्यात्मक बताया गया था।

एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली पोर्टल पर प्रतिवेदित कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन की कार्यशीलता सुनिश्चित करने हेतु, 475 लाभार्थियों को आच्छादित करने वाली 24 चयनित योजनाओं का संयुक्त भौतिक निरीक्षण लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के संभागीय अधिकारियों

के साथ लेखापरीक्षा दल द्वारा किया गया था। संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान पाये गए अवलोकनों पर नीचे चर्चा की गई हैः

- लेखापरीक्षा ने पाया कि 475 कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन जिन्हें एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली पोर्टल पर कार्यशील दिखाया गया था, में से 303 कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन सुखे स्त्रोत, योजना के प्रगतिरत होने, अपूर्ण ओवरहेड टैंक, बिजली कनेक्शन की अनुपलब्धता एवं ग्राम पंचायतों द्वारा योजना को लेने से इनकार किये जाने जैसे कारणों से अकार्यशील (64 प्रतिशत) पाया गया था।
- लेखापरीक्षा ने पाया कि नमूना जांच की गई 35 योजनाओं में से 21 एकल ग्राम योजनाओं/रेट्रो योजनाओं में, नए ओवरहेड टैंक के निर्माण का प्रावधान था। इनमें से 15 योजनाओं में, ओवरहेड टैंक के निर्माण का कार्य पूर्ण नहीं हुआ था एवं उन ओवरहेड टैंक से जुड़े 1,648 घरेलू नल कनेक्शन को एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली पोर्टल पर **(परिशिष्ट 4.3)** कार्यशील के रूप में दिखाया गया था। कुछ निर्माणाधीन ओवरहेड टैंक एवं संबंधित अकार्यशील घरेलू नल कनेक्शन की तस्वीरें नीचे प्रदर्शित की गई हैं:

निर्माणाधीन ओवरहेड टैंक एवं अकार्यशील घरेलू नल कनेक्शन दिखाने वाली तस्वीरें:

चित्र 4.6: ग्राम बंजोड़ा में अपूर्ण ओवरहेड टैंक, जिलाः कोंडागांव

चित्र 4.7: ग्राम बंजोड़ा में अकार्यशील घरेलू नल कनेक्शन, जिलाः कोंडागांव

चित्र 4.8: ग्राम पंडरीपानी (पचरी) में अपूर्ण ओवरहेड टैंक, जिलाः महासमुंद

चित्र 4.9: अकार्यशील घरेलू नल कनेक्शन ग्राम पंडरीपानी (पचरी), जिलाः महासमुंद

चित्र 4.10: ग्राम पडरिया में अपूर्ण ओवरहेड टैंक, जिलाः गौरेला-पेंड्रा-मरवाही

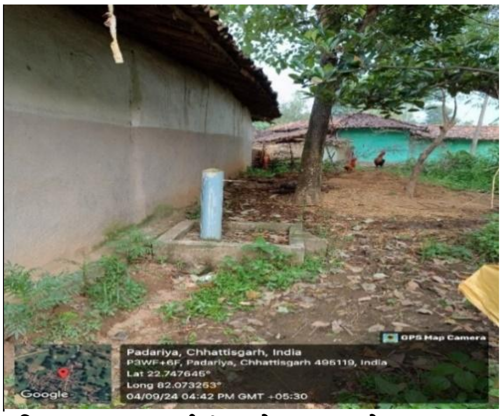

चित्र 4.11: अकार्यशील घरेलू नल कनेक्शनए ग्राम पडरिया जिलाः गौरेला-पेंड्रा-मरवाही

इस प्रकार, कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन की प्रगति को बढ़ाकर बताया गया था एवं कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन का सिविल निर्माण कार्य इसकी कार्यशीलता को सुनिश्चित किये बिना पूरा किया गया।

निर्गम बैठक (मई 2025) में, सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने कहा कि अधिकांश योजनायें भूजल स्रोतों पर आधारित थीं। विभाग नल कनेक्शन को क्रियाशील बनाने के लिए सभी विकल्पों की खोज कर रहा है। सचिव द्वारा दिया गया उत्तर लेखापरीक्षा के अवलोकन के अनुरूप है कि कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन की प्रगति वास्तविक क्रियाशीलता का पता लगाने से पहले कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन को क्रियाशील घोषित किया गया था।

अध्याय - V

जल गुणवत्ता निगरानी एवं चौकसी

अध्याय- V

जल गुणवत्ता निगरानी एवं चौकसी

5 जल गुणवत्ता निगरानी एवं चौकसी

केंद्रीय भूजल बोर्ड, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित वार्षिक भूजल गुणवत्ता प्रतिवेदन (2024) में भूजल की गुणवत्ता के लिए एक व्यापक आधार रेखा स्थापित करने के उद्देश्य से कई भूजल निगरानी स्टेशनों से एकत्र किए गए आंकड़ों से निष्कर्ष प्रस्तुत किए, ताकि उभरती चिंताओं के समाधान हेतु लक्षित हस्तक्षेपों को सक्षम बनाया जा सके। प्रतिवेदन में छत्तीसगढ़ राज्य के कई जिलों में आयरन, फ्लोराइड एवं नाइट्रेट की उच्च सांद्रता को उनकी अनुमेय सीमा से अधिक बताया गया है। यद्यपि यह चिंताजनक नहीं है अपितु ये निष्कर्ष सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में जल की गुणवत्ता की नियमित निगरानी के लिए आवश्यक है।

जलापूर्ति की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, जल गुणवत्ता निगरानी एवं चौकसी को जल जीवन मिशन के तहत सर्वोच्च प्राथमिकता दी गयी है। जलापूर्ति संचालन, पेयजल सुरक्षा का सत्यापन, रोग के प्रकोप की जांच, सत्यापन प्रक्रिया एवं निवारक उपायों की निगरानी के लिए जल परीक्षण महत्वपूर्ण है। जल गुणवत्ता की निगरानी में जल स्रोतों एवं कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन से एकत्र किए गए जल नमूनों की प्रयोगशाला एवं क्षेत्र परीक्षण सम्मिलित हैं।

जल गुणवत्ता निगरानी एवं चौकसी से संबधित मुद्दों पर लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर निम्नलिखित कंडिकाओं में चर्चा की गई है:

5.1 निधियों का आबंटन एवं जल गुणवत्ता निगरानी एवं चौकसी के लिए उनका उपयोग

जल गुणवत्ता निगरानी एवं चौकसी के महत्व को स्वीकार करते हुए, प्रत्येक राज्य को आबंटित कुल निधियों के दो प्रतिशत तक विशेष रूप से जल गुणवत्ता निगरानी एवं चौकसी गतिविधियों के लिए निर्धारित किया गया है। यह वित्तीय प्रावधान जलापूर्ति प्रणालियों के सुरक्षित संचालन, जल गुणवत्ता की निरंतर निगरानी एवं सुरक्षित पेयजल प्रदान करके सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए मिशन की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। इनमें प्रयोगशालाओं की स्थापना एवं उन्नयन, उपकरण, रसायन तथा कांच के बर्तन की खरीद, संसाधनों को किराये पर लेना तथा राष्ट्रीय परीक्षण एवं अंशांकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड से मान्यता के लिए के खर्च सम्मिलित हैं। वर्ष 2019 से 2024 के दौरान, राज्य जल और स्वच्छता मिशन ने कुल आबंटित निधियों ₹ 199.79 करोड़ के दो प्रतिशत के विरुद्ध जल गुणवत्ता निगरानी एवं चौकसी के लिए ₹ 58.91 करोड़ रुपये आबंटित किए थे। जल गुणवत्ता निगरानी एवं चौकसी घटक के लिए निधियों के वर्षवार आबंटन एवं उपयोग का सारांश **तालिका 5.1** में दिया गया है।

तालिका 5.1 छत्तीसगढ़ में जल गुणवत्ता निगरानी एवं चौकसी के लिए निधियों का वर्षवार आबंटन एवं उपयोग

(₹ करोड़ में)

वर्ष	केंद्र सरकार द्वारा जारी जल जीवन मिशन केंद्रीय निधि	जल जीवन मिशन केंद्रीय आबंटन (60%) + राज्यांश (40%) का अनिवार्य 2 प्रतिशत	जल गुणवत्ता निगरानी एवं चौकसी गतिविधियों के लिए जिला जल एवं स्वास्थ्य मिशनों को आवंटित निधि		उपयोग	आवंटित निधि के मुक़ाबले उपयोग की कमी	
			राशि	अनिवार्य राशि के विरुद्ध आबंटन प्रतिशत		राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7 (4-6)	8
2019-20	24.27	0.81	0	0	0	0	0
2020-21	290.15	9.67	6.9	71	4.29	2.61	38
2021-22	556.82	18.56	20.32	109	12.85	7.47	37
2022-23	2,236.86	74.56	19.99	27	16.23	3.76	19
2023-24	2,885.56	96.19	11.7	12	7.51	4.19	36
कुल	**5,993.66**	**199.79**	**58.91**		**40.88**	**18.03**	**31**

(स्रोतः भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन की स्वीकृति पत्र एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा प्रदान किए गए ई-वर्क्स के आंकड़े)

उपरोक्त तालिका में यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2019-20 से 2023-24 की अवधि के दौरान जल गुणवत्ता निगरानी एवं चौकसी गतिविधियों के लिए अनिवार्य ₹ 199.79 करोड़ की राशि के विरुद्ध जल गुणवत्ता निगरानी एवं चौकसी हेतु केवल ₹ 58.91 करोड़ आवंटित किए गए थे। केवल वर्ष 2021-22 में ही जल जीवन मिशन के दिशानिर्देशों के अनुसार जल गुणवत्ता निगरानी एवं चौकसी घटक के लिए निर्धारित राशि का आबंटन किया गया था। कुल आवंटित राशि में से जल गुणवत्ता निगरानी एवं चौकसी हेतु जिला जल एवं स्वास्थ्य मिशन द्वारा 69.40 प्रतिशत का उपयोग किया गया था।

यह राज्य में जल परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना एवं राष्ट्रीय परीक्षण एवं अंशांकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड से मान्यता/प्रत्यायन की कमियों तथा जल गुणवत्ता निगरानी एवं चौकसी के लिए निधियों के कम उपयोग के कारण प्रयोगशालाओं में कर्मचारियों की कमी को भी परिलक्षित करता हैं, जैसा कि आगे की कंडिकाओं में चर्चा की गई है।

इसे इंगित किए जाने पर, शासन ने कहा (मई 2025) कि लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग संभागों को वार्षिक कार्य योजना के अनुसार आबंटन प्रदाय किया गया है तथा तदनुसार प्रत्येक संभागों को निधि आहरण सीमा जारी की गई थी। तदानुसार, वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान जल गुणवत्ता निगरानी एवं चौकसी के तहत लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग संभागों द्वारा जल गुणवत्ता निगरानी एवं चौकसी कार्यों पर व्यय किया गया है।

प्रस्तुत उत्तर इंगित करता है कि प्रयोगशाला विस्तार, जल गुणवत्ता निगरानी एवं चौकसी के तहत परीक्षण उपकरणों की खरीद जैसी गतिविधियों की योजना जल जीवन मिशन दिशानिर्देशों में निर्धारित मापदंडों के अनुसार नहीं बनाई गई थी।

5.2 जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना एवं 13 मूलभूत जल गुणवत्ता मापदंडो का परीक्षण

जल जीवन मिशन के दिशानिर्देशों में कहा गया है कि राज्य को राज्य, जिला, विकासखंड स्तर के प्रयोगशालाओं के साथ-साथ मोबाइल प्रयोगशालाओं की स्थापना या उन्नयन करके अपने जल गुणवत्ता परीक्षण बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करना था। इस पहल को प्रयोगशाला आकलन एवं सुधार योजनाओं के माध्यम से नियमित निगरानी द्वारा समर्थित किया जाना है। भारतीय मानक ब्यूरोः 10500 (2015) मापदंडो के अनुसार कम से कम 13 मूलभूत जल गुणवत्ता मापदंडों के लिए जल के नमूनों का परीक्षण करने हेतु राज्य, जिला एवं उपसंभाग स्तरों पर प्रयोगशालाओं की आवश्यकता होती है। छत्तीसगढ़ में, एक राज्य प्रयोगशाला, 29 जिला प्रयोगशालाएं, 27 उपसंभाग स्तर की प्रयोगशालाएं एवं 18 मोबाइल प्रयोगशालाएं हैं। **चार्ट 5.1** राज्य भर में जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं की उपलब्धता को दर्शाता है।

चार्ट 5.1: राज्य में विभिन्न स्तरों पर जल परीक्षण प्रयोगशालाओं की संख्या को दर्शाने वाला चार्ट

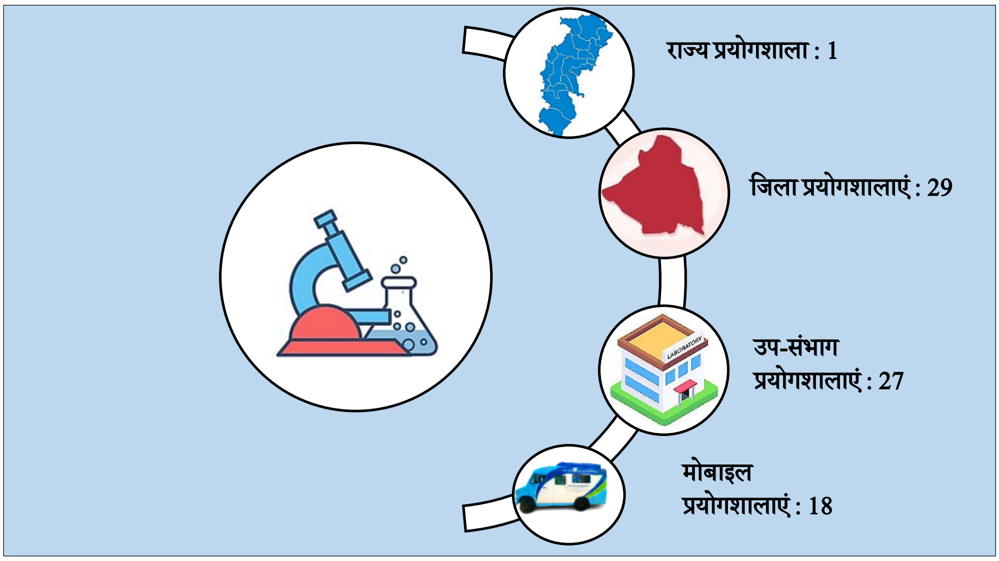

लेखापरीक्षा जांच में पता चला कि जल गुणवत्ता परीक्षण हेतु बुनियादी ढांचे के विस्तार की पर्याप्त योजना नहीं बनाई गई थी, जल जीवन मिशन के तहत परीक्षण की आवश्यकता को पूरा करने के लिए केवल दो जिला स्तर एवं तीन उपसंभाग स्तर की प्रयोगशालाओं की स्थापना की गई थी। मार्च 2024 तक, 33 जिलों में से चार[1] में कोई प्रयोगशाला नहीं थी एवं 27 उपसंभागीय प्रयोगशालाओं ने राज्य में 146 जनपदों को आच्छादित किया, जो परीक्षण के लिए बुनियादी ढांचे की सुविधा में महत्वपूर्ण कमी का संकेत देते हैं।

जल जीवन मिशन के दिशानिर्देश न केवल प्रयोगशालाओं के निर्माण पर जोर देते हैं, अपितु मूल्यांकन एवं सुधार योजनाओं के माध्यम से उनके उन्नयन एवं नियमित निगरानी की महत्वपूर्ण आवश्यकता पर भी जोर देते हैं। यह सुनिश्चित करता हैं कि ये प्रयोगशालाएं

[1] खैरागढ़-छुइखदान-गंडई, मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी, सक्ती एवं सारंगढ़-बिलाईगढ़.

भारतीय मानक ब्यूरोः 10500 (2015) मापदंडों के अनुरूप कम से कम 13 आवश्यक जल गुणवत्ता मापदंडों[2] के लिए जल के नमूनों का परीक्षण हेतु पूरी तरह से सुसज्जित भी हों। इनमें लोहा, आर्सेनिक एवं नाइट्रेट का परीक्षण विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये दूषित पदार्थ पेट एवं त्वचा रोग, कैंसर एवं ब्लू-बेबी सिंड्रोम जैसे गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा करते हैं। इन जोखिमों की गंभीरता के कारण, इन मापदंडो के लिए किसी भी अनुमेय छूट की अनुमति नहीं है जिससे यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि सभी प्रयोगशालाएं सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए उनका पता लगाने में पूरी तरह से सक्षम हों।

भारतीय मानक ब्यूरोः 10500 (2015) द्वारा निर्धारित सभी 13 मूलभूत जल गुणवत्ता मापदंडो के लिए परीक्षण की स्थिति के साथ तीन महत्वपूर्ण मापदंडों: लोहा, आर्सेनिक एवं नाइट्रेट का परीक्षण करने के लिए प्रयोगशालाओं के विभिन्न स्तरों (राज्य, जिला, विकासखंड एवं मोबाइल) पर क्षमता का सारांश **तालिका 5.2** में दिया गया है।

तालिका 5.2: राज्य में जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं की संख्या एवं मापदंड परीक्षण सुविधाओं की उपलब्धता दर्शाने वाला विवरण

प्रयोगशाला का प्रकार	प्रयोगशालाओं की कुल संख्या	आधारभूत मापदंडो की संख्या जिनका परीक्षण किया जा सकता है (13 में से)	तीन मापदंडो के परीक्षण के लिए सुविधाः लोहा, आर्सेनिक, नाइट्रेट
राज्य प्रयोगशाला	1	13 मापदंड	सभी तीन मापदंडों का परीक्षण किया जा रहा है
जिला प्रयोगशालाएं	29	5 मापदंडों से नीचे:1 प्रयोगशाला	0 मापदंड : 5 प्रयोगशालाएं
		6 से 10 मापदंड : 11 प्रयोगशालाएं	1 मापदंड : 6 प्रयोगशालाएं
		11 से 12 मापदंड : 14 प्रयोगशालाएं	2 मापदंड: 15 प्रयोगशालाएं
		13 मापदंड : 3 प्रयोगशालाएं	3 मापदंड: 3 प्रयोगशालाएं
उप-संभागीय प्रयोगशालाएं	27	5 मापदंडों से नीचें: 5 प्रयोगशालाएं	0 मापदंड: 24 प्रयोगशालाएं
		6 से 10 मापदंड: 22 प्रयोगशालाएं	1 मापदंड: 3 प्रयोगशालाएं
		11 से 12 मापदंड: 0 प्रयोगशालाएं	2 मापदंड: 0 प्रयोगशाला
		13 मापदंड: 0 प्रयोगशालाएं	3 मापदंड: 0 प्रयोगशाला
मोबाइल प्रयोगशालाएं	18	5 मानको से नीचें: 15 प्रयोगशालाएं	0 मापदंड: 0 प्रयोगशाला
		6 से 10 मापदंड :3 प्रयोगशालाएं	1 मापदंड:16 प्रयोगशालाएं
		11 से 12 मापदंड: 0 प्रयोगशाला	2 मापदंड: 2 प्रयोगशालाएं
		13 मापदंड: 0 प्रयोगशाला	3 मापदंड: 0 प्रयोगशाला
कुल	75	5 मानको से नीचे:21 प्रयोगशालाएं	0 मापदंड: 29 प्रयोगशालाएं
		6 से 10 मापदंड :36 प्रयोगशालाएं	1 मापदंड: 25 प्रयोगशालाएं
		11 से 12 मापदंड: 15 प्रयोगशालाएं	2 मापदंड: 18 प्रयोगशालाएं
		13 मापदंड: 3 प्रयोगशालाएं	3 मापदंड: 3 प्रयोगशालाएं

(स्रोत: जल गुणवत्ता प्रबंधन सूचना प्रणाली पोर्टल से प्राप्त जानकारी एवं लेखापरीक्षा द्वारा संकलित)

2 पीएच, कुल घुले हुए ठोस (टीडीएस), टर्बिडीटी, क्लोराइड, कुल क्षारीयता, कुल कठोरता, सलफेट, लोहा, आर्सेनिक, फ्लोराइड, नाइट्रेट, कुल कोलिफोर्म एवं थर्मोटोलरेंट कोलिफोर्म या ई-कोलीई

अभिलेखों की जांच के दौरान, राज्य में जल गुणवत्ता परीक्षण सुविधाओं पर निम्नलिखित अवलोकन देखे गये:

- **अपर्याप्त परीक्षण क्षमता:** राज्य में 75 जल परीक्षण प्रयोगशालाओं में से 51 प्रयोगशालाओं में केवल तीन से 10 मापदंडो का परीक्षण करने की क्षमता थी, जो कि परीक्षण सुविधाओं में महत्वपूर्ण अंतर को उजागर करता है। राज्य प्रयोगशाला के पास मार्च 2024 तक आर्सेनिक का परीक्षण करने की सुविधा नहीं थी। आर्सेनिक का परीक्षण करने के लिए उपकरण मार्च 2024 के बाद खरीदे एवं चालू किए गए थे। 29 जिला प्रयोगशालाओं में, केवल तीन प्रयोगशालाओं अर्थात दुर्ग, कबीरधाम तथा राजनांदगांव में सभी 13 मूलभूत जल गुणवत्ता मापदंडो का परीक्षण करने के लिए सुसज्जित थे। दुर्ग एवं कबीरधाम जिलों में, आर्सेनिक का परीक्षण प्रयोगशाला उपकरणों यथा-परमाणु अवशोषण स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के उपयोग के स्थान पर परीक्षण किट का उपयोग करके किया गया था,जिससे परिणामों की विश्वसनीयता के बारे में शंका उत्पन्न होती है।
- इसके अतिरिक्त, पांच जिला प्रयोगशालाएं एवं 24 उप-संभागीय प्रयोगशालाएं आर्सेनिक, आयरन एवं नाइट्रेट्स का परीक्षण नहीं कर रही थीं।
- **बैक्टीरियोलॉजिकल परीक्षण की कमी:** जिला गौरेला-पेंड्रा-मरवाही की जिला प्रयोगशाला में बैक्टीरियोलॉजिकल मापदंडों के लिए परीक्षण करने की सुविधा का अभाव था। यह विशेष रूप से चिंता का विषय था, क्योंकि यह ग्रामीण आबादी को पेयजल में जीवाणु संदूषण के जोखिम में डाल सकता है।
- **गैर-कार्यात्मक परीक्षण उपकरण:** नमूना जांच में जिला-धमतरी में यह देखा गया कि जल के नमूनों में लोहा, नाइट्रेट, फ्लोराइड एवं सल्फेट का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाने वाला स्पेक्ट्रोफोटोमीटर दिसंबर 2022 से अक्रियाशील था, जिससे जिले में जल कि गुणवत्ता का उपयुक्त आकलन की क्षमता के साथ समझौता किया गया है।
- **निष्क्रिय मोबाइल प्रयोगशालाएँ:** दो नमूना जाँचे गए जिलों कोंडागांव एवं सरगुजा में मोबाइल प्रयोगशालाएँ कर्मचारियों की कमी एवं परीक्षण सामग्री की कमी के कारण निष्क्रिय पाई गईं, जिससे जल गुणवत्ता निगरानी प्रयासों में लचीलापन एवं जवाबदेही कमज़ोर हुई। कोंडागांव में मोबाइल प्रयोगशाला सात वर्षो से निष्क्रिय थी।

राज्य में जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं के बुनियादी ढांचे एवं परिचालन क्षमताओं में गंभीर कमी थी, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर जोखिम पैदा करते हैं।

शासन ने कहा (मई 2025) कि आर्सेनिक परीक्षण सुविधा जिला प्रयोगशाला राजनांदगांव एवं राज्य स्तरीय प्रयोगशाला में उपलब्ध है। अन्य जिलों में आर्सेनिक परीक्षण किट का उपयोग आर्सेनिक के परीक्षण के लिए किया जा रहा है। 13 मूलभूत मापदंडों के परीक्षण की सुविधा 28 जिला प्रयोगशालाओं में उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त, जिला प्रयोगशाला में बैक्टीरियोलॉजिकल मापदंडो के परीक्षण की सुविधा है।

जल जीवन मिशन दिशानिर्देशों (2020) में कहा गया है कि आर्सेनिक सहित 13 मूलभूत मापदंडों के परीक्षण की सुविधा राज्य, जिला एवं विकासखंड सभी स्तर की प्रयोगशालाओं में उपलब्ध होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, अक्टूबर 2024 तक राज्य स्तरीय प्रयोगशाला में आर्सेनिक परीक्षण सुविधा उपलब्ध नहीं थी, जो जल जीवन मिशन दिशानिर्देशों (2020) का उल्लंघन है। 28 में से केवल तीन जिला स्तरीय प्रयोगशालाओं में सभी 13 मूलभूत मापदंडों का परीक्षण करने की सुविधा थी, जैसा कि कंडिका में वर्णित किया गया है तथा वही जल गुणवत्ता प्रबंधन सूचना प्रणाली पोर्टल पर भी प्रतिबिंबित हो रहा है।

5.3 प्रयोगशालाओं की राष्ट्रीय परीक्षण एवं अंशांकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड से मान्यता

समान पेयजल गुणवत्ता निगरानी प्रोटोकॉल (फरवरी 2013) एवं जल जीवन मिशन दिशानिर्देशों के अनुच्छेद 10 (xii) के अनुसार, सभी जल परीक्षण प्रयोगशालाओं को विशेष रूप से मूलभूत जल गुणवत्ता मापदंडों के परीक्षण के लिए भारतीय मानक/अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन/अंतर्राष्ट्रीय विद्युत तकनीकी आयोग:17025 के अनुसार राष्ट्रीय परीक्षण एवं अंशांकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल) से मान्यता प्राप्त करना आवश्यक है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य में 75 जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं में से केवल 47 प्रयोगशालाओं को राष्ट्रीय परीक्षण एवं अंशांकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड से मान्यता प्राप्त थी, जैसा कि **चार्ट 5.2** में विस्तृत है। पूरे राज्य में दूरदराज के क्षेत्रों में परीक्षण के लिए महत्वपूर्ण मोबाइल प्रयोगशालाओं में से कोई भी प्रयोगशाला राष्ट्रीय परीक्षण एवं अंशांकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं थी।

चार्ट 5.2: राज्य में राष्ट्रीय परीक्षण एवं अंशांकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड से मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं का विवरण

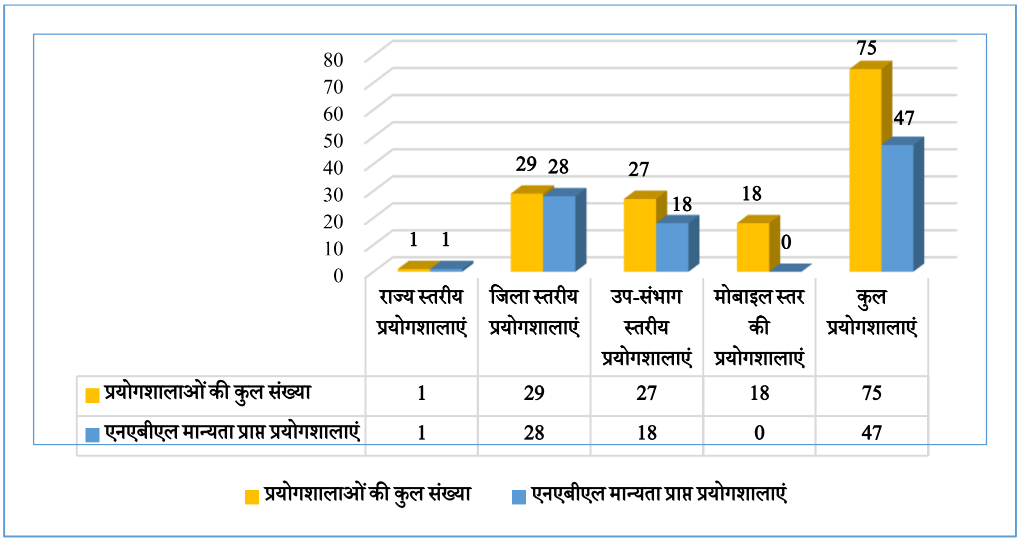

इसके अतिरिक्त, सभी छह नमूना जांच किये गए जिलों की जिला जल परीक्षण प्रयोगशालाओं को 13 आवश्यक मापदंडो में से केवल छह (50 प्रतिशत से कम) मूलभूत जल गुणवत्ता मापदंडो के लिए मान्यता दी गई थी नीचे जैसा कि **तालिका 5.3** में वर्णित किया गया हैं।

तालिका 5.3: नमूना-जांच की गई प्रयोगशालाओं में परीक्षण किए जा रहे जल गुणवत्ता मापदंडो की संख्या तथा राष्ट्रीय परीक्षण एवं अंशांकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड के साथ उनकी मान्यता दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं	जिला	जिला प्रयोगशालाएं (6)		पसंभागीय प्रयोगशालाएं (5)		मोबाइल प्रयोगशालाएं (2)	
		परीक्षण की जा रही मूल मापदंडो की संख्या	राष्ट्रीय परीक्षण एवं अंशांकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड से मान्यता प्राप्त मापदंड	परीक्षण की जा रही मूल मापदंडों की संख्या	राष्ट्रीय परीक्षण एवं अंशांकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड से मान्यता प्राप्त मापदंड	परीक्षण की जा रही मूल मापदंडों की संख्या	राष्ट्रीय परीक्षण एवं अंशांकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड से मान्यता प्राप्त मापदंड
1	धमतरी	12	6	6	मान्यता नहीं	प्रयोगशाला उपलब्ध नही	प्रयोगशाला उपलब्ध नही
2	गौरेला-पेंड्रा-मरवाही	6	6	प्रयोगशाला उपलब्ध नही	प्रयोगशाला उपलब्ध नही	प्रयोगशाला उपलब्ध नही	प्रयोगशाला उपलब्ध नही
3	कोंडागांव	12	6	6	6	कार्यशील नहीं	0
4	कोरबा	12	6	6	6	प्रयोगशाला उपलब्ध नही	प्रयोगशाला उपलब्ध नही
5	महासमुंद	12	6	7	6	प्रयोगशाला उपलब्ध नही	प्रयोगशाला उपलब्ध नही
6	सरगुजा	10	6	3	मान्यता नहीं	कार्यशील नहीं	0

(स्रोत: लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े एवं लेखापरीक्षा द्वारा संकलित)

जल परीक्षण प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय परीक्षण एवं अंशांकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड मान्यता के अभाव में, परीक्षण परिणामों के गुणवत्ता आश्वासन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है एवं इसके परिणामस्वरूप जल के नमूनों का गलत परीक्षण हो सकता है।

इसे इंगित किए जाने पर, शासन ने कहा (2025) कि 18 मोबाइल प्रयोगशालाओं के मान्यता के लिए कोई पहल नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त, 13 मूलभूत मापदंडो में से 11 को धमतरी, महासमुंद, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, कोंडागांव, सरगुजा एवं कोरबा जिला प्रयोगशालाओं में मान्यता प्राप्त थी। धमतरी एवं सरगुजा की उपसंभागीय प्रयोगशालाओं के मान्यता के लिए कार्रवाई की जा रही है।

नमूना जांच किए गए छह जिलों के राष्ट्रीय परीक्षण एवं अंशांकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड से मान्यता प्रमाण पत्र स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि 13 मूलभूत मापदंडो में से केवल छह मापदंडो के लिए राष्ट्रीय परीक्षण एवं अंशांकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड से मान्यता प्राप्त थे।

5.4 जल स्रोतों की गुणवत्ता परीक्षण करने में कमी

जल जीवन मिशन दिशानिर्देशों के अनुसार उपसंभागीय/विकासखंड स्तर की प्रयोगशालाओं को अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी जल स्रोतो की जांच करनी चाहिए जिसमे प्रत्येक

विकासखंड के सभी स्त्रोतो को सम्मिलित करते हुए कम से कम 13 मूलभूत जल गुणवत्ता मापदंडों की जांच वर्ष में रासायनिक मापदंडो के लिए एक बार एवं बैक्टीरियोलॉजिकल मापदंडो (मानसून पूर्व एवं मानसून बाद) के लिए दो बार परीक्षण सम्मिलित हैं। यह भी उल्लेखित थी कि जिला प्रयोगशाला को कम से कम 13 मूलभूत जल गुणवत्ता मापदंडो के लिए प्रति माह 250 अर्थात एक वर्ष में 3,000 जल स्त्रोतों का परीक्षण करना चाहिए। जिला प्रयोगशालाओं को भी संदूषित परीक्षण किए गए नमूनों को तुरंत राज्य प्रयोगशाला को भेजना चाहिए। इसके अतिरिक्त, जिला प्रयोगशालाओं द्वारा परीक्षण किए गए पांच प्रतिशत नमूनों का राज्य प्रयोगशालाओं में भी परीक्षण किया जाना था। जिला एवं उपसंभागीय प्रयोगशालाओं द्वारा नमूना जांच किए गए छह जिलों में परीक्षण किए गए जल स्त्रोतों का विवरण **तालिका 5.4** में दिया गया है।

तालिका 5.4: वर्ष 2019-24 के दौरान नमूना जांच किए गए जिलों में परीक्षण किए गए जल स्त्रोतों का विवरण

जिला	वर्ष	2021-22	2022-23	2023-24
धमतरी	जल स्त्रोतो की संख्या	1357	1446	1446
	परीक्षण किये गये जल स्त्रोतो की संख्या	818	1436	1357
	परीक्षण (प्रतिशत में)	60	99	94
गौरेला-पेंड्रा-मरवाही*	जल स्त्रोतो की संख्या	599	599	621
	परीक्षण किये गये जल स्त्रोतो की संख्या	138	150	308
	परीक्षण (प्रतिशत में)	23	25	50
कोंडागांव	जल स्त्रोतो की संख्या	8460	8460	8460
	परीक्षण किये गये जल स्त्रोतो की संख्या	704	3255	4441
	परीक्षण (प्रतिशत में)	8	38	52
कोरबा	जल स्त्रोतो की संख्या	1022	1573	2418
	परीक्षण किये गये जल स्त्रोतो की संख्या	145	1177	2416
	परीक्षण (प्रतिशत में)	14	75	100
महासमुंद	जल स्त्रोतो की संख्या	4246	4714	4790
	परीक्षण किये गये जल स्त्रोतो की संख्या	2200	2200	1851
	परीक्षण (प्रतिशत में)	51.81	46.67	38.64

(स्रोत: लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े एवं लेखापरीक्षा द्वारा संकलित)
**वर्ष 2022 में गठित जिला*

➢ **जल स्त्रोत परीक्षण लक्ष्यों का प्राप्त न किया जाना :** लेखापरीक्षा में पाया गया कि जिलों में जल स्त्रोतों का परीक्षण करने के लिए रोस्टर का लक्ष्य न तो लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा निर्धारित किया गया था एवं न ही यह एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली पोर्टल पर उपलब्ध था। जांच किए गए छह जिलों में से किसी ने भी जल जीवन मिशन दिशानिर्देशों के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया था। वर्ष 2021-24 के दौरान

धमतरी जिला 53 प्रतिशत के औसत के साथ जल स्रोतों का परीक्षण करने के लिए शीर्ष पर था।

- **जल परीक्षण गतिविधियों की कमजोर निगरानी:** कोरबा जिला वर्ष 2019-20 के लिए परीक्षण आंकड़े प्रदान नहीं कर सका तथा महासमुंद प्रारंभिक दो वर्षों अर्थात 2019-21 के लिए आंकड़े देने में असमर्थ था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि प्रयोगशाला में दूषित स्रोतों की पहचान एवं उपचार के लिए आवश्यक जल स्रोत पहचान वार परीक्षण अभिलेख नहीं रखे जा रहे थे। जल स्रोतों के परीक्षण आंकड़े न तो मानसून पूर्व एवं बाद के परीक्षण परिणामों के आधार पर बनाए रखा गया था तथा न ही ऐसे निर्णायक कारकों पर अभिलेखों में उपलब्ध जल स्रोतों का कोई विश्लेषण किया गया था।
- **मानसून पूर्व एवं मानसून बाद की अवधि के दौरान जल स्रोतों का बैक्टीरियोलॉजिकल परीक्षण न करना:** वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 के दौरान पाइप जलापूर्ति स्रोतों के मानसून पूर्व एवं मानसून बाद के परीक्षण से संबंधित आंकड़े न तो नमूना-जांच वाले जिलों मे उपलब्ध थे और न ही जल गुणवत्ता प्रबंधन सूचना प्रणाली पोर्टल पर उपलब्ध थे । वर्ष 2021-22 से 2023-24 के दौरान परीक्षण का विवरण **तालिका 5.5** में दिया गया है।

तालिका 5.5: नमूना-जांच वाले जिलों में पेयजल स्रोतों के मानसून पूर्व एवं मानसून बाद के परीक्षण का विवरण

जिला	वर्ष	पाइप जलापूर्ति स्रोत की संख्या	मानसून पूर्व		मानसून बाद	
			परिक्षण किये गए	कमी (प्रतिशत)	परिक्षण किये गए	कमी (प्रतिशत)
धमतरी	2021-22	1,357	185	1,172 (86%)	678	679 (50%)
	2022-23	1,446	813	633 (44%)	477	969 (67%)
	2023-24	1,446	397	1,049 (73%)	608	838 (58%)
गौरेला-पेंड्रा-मरवाही	2021-22	554	0	554 (73%)	0	554 (100%)
	2022-23	554	0	554 (100%)	0	554 (100%)
	2023-24	601	0	601 (100%)	0	601 (100%)
कोंडागांव	2021-22	848	0	848 (100%)	0	848 (100%)
	2022-23	848	0	848 (100%)	0	848 (100%)
	2023-24	874	265	609 (70%)	825	49 (6%)
कोरबा	2021-22	1,022	80	942 (92%)	22	1000 (98%)
	2022-23	1,573	528	1,045 (66%)	220	1353 (86%)
	2023-24	2,418	2100	318 (13%)	90	2328 (96%)
महासमुंद	2021-22	2,046	0	2,046 (100%)	0	2046 (100%)
	2022-23	2,514	0	2,514 (100%)	0	2514 (100%)
	2023-24	2,590	1	2,589 (100%)	2	2588 (100%)

(स्रोत: लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े एवं लेखापरीक्षा द्वारा संकलित)

उपरोक्त तालिका में यह देखा जा सकता है कि मानसून पूर्व परीक्षण में कमी 13 से 100 प्रतिशत तक थी तथा मानसून बाद के मामले में यह छह से 100 प्रतिशत तक थी।

➢ **स्कूलों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में जल की गुणवत्ता की जांच में कमी :** नमूना-जांच किये गए जिलों में, यह देखा गया कि जिला जल और स्वच्छता मिशन स्कूलों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों की जल की गुणवत्ता की जांच के बारे में गंभीर नहीं था। जल जीवन मिशन अवधि के प्रथम तीन वर्षों के दौरान अर्थात वर्ष 2019-20 से 2021-22 तक जल गुणवत्ता का परीक्षण नगण्य था। नमूना-जांच किए गए जिलों में स्कूलों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में पेयजल के परीक्षण की जानकारी **तालिका 5.6** में संक्षेप में दी गई है।

तालिका 5.6 : वर्ष 2019-24 के दौरान नमूना-जांच किए गए जिलों में स्कूलों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में जल की गुणवत्ता की जांच का विवरण

जिला	वर्ष	स्कूल			आंगनवाड़ी केंद्र		
		कुल	परीक्षण किये गए	परीक्षण प्रतिशत	कुल	परीक्षण किये गए	परीक्षण प्रतिशत
धमतरी	2019-20	1,165	5	0.43	758	12	1.58
	2020-21	1,165	6	0.52	758	5	0.66
	2021-22	1,165	0	0.00	758	0	0.00
	2022-23	1,165	26	2.23	758	18	2.37
	2023-24	1,165	15	1.29	758	0	0.00
गौरेला-पेंड्रा-मरवाही	2019-20	-	-	-	-	-	-
	2020-21	-	-	-	-	-	-
	2021-22	197	4	2.03	160	7	4.38
	2022-23	197	10	5.08	160	7	4.38
	2023-24	197	128	64.97	160	106	66.25
कोंडागांव	2019-20	884	27	3.05	320	14	4.38
	2020-21	884	39	4.41	320	25	7.81
	2021-22	884	159	17.99	320	62	19.38
	2022-23	884	116	13.12	320	53	16.56
	2023-24	883	883	100.00	322	322	100.00
कोरबा	2019-20	-	-	-	-	-	-
	2020-21	-	-	-	-	-	-
	2021-22	356	332	93.26	202	189	93.56
	2022-23	356	353	99.16	202	197	97.52
	2023-24	356	294	82.58	202	192	95.05
महासमुंद	2019-20	-	-	-	-	-	-
	2020-21	-	-	-	-	-	-
	2021-22	902	160	17.74	329	80	24.32
	2022-23	902	471	52.22	329	237	72.04
	2023-24	899	462	51.39	329	91	27.66

(स्रोत: लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े एवं लेखापरीक्षा द्वारा संकलित)

तालिका में यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2023-24 में कोंडागांव को छोड़कर किसी भी जिले के स्कूलों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में आपूर्ति किए गए जल की गुणवत्ता का पूरी तरह से परीक्षण

नहीं किया गया था। धमतरी जिले का प्रदर्शन स्कूलों एवं आंगनवाड़ी के जल की गुणवत्ता के परीक्षण में बहुत खराब था।

इसे इंगित किए जाने पर, शासन ने उत्तर दिया (मई 2025) कि पाइप जलापूर्ति के स्रोतों की मानसून पूर्व एवं मानसून बाद परीक्षण किए जा रहे थे। इसके अतिरिक्त, फील्ड टेस्ट किट के माध्यम से स्कूलों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में जल स्रोत परीक्षण किए जा रहे थे।

शासन द्वारा दिया गया उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा के दौरान नमूना जांच किए गए जिले में मानसून पूर्व एवं मानसून के बाद के परीक्षण में भारी कमी थी। इसके अतिरिक्त, जल जीवन मिशन दिशानिर्देशों (2019) के अनुसार सभी उप-संभाग स्तरीय प्रयोगशालाओं को अपने अधिकार क्षेत्र के सभी पेयजल स्रोतों का परीक्षण करना था जिसमें स्कूलों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में पेयजल स्रोत भी सम्मिलित थे।

5.5 फील्ड टेस्ट किट एवं बैक्टीरियोलॉजिकल डिटेक्शन किट के माध्यम से किए गए परीक्षण

जल जीवन मिशन दिशानिर्देशों के अध्याय 10 में यह कहा गया है कि प्रत्येक ग्राम में प्रत्येक ग्राम जल और स्वच्छता समिति द्वारा पांच महिलाओं (निगरानी समूह) की पहचान कर उन्हें प्रशिक्षण दिया जायेगा ताकि वे फील्ड टेस्ट किट के माध्यम से जल परीक्षण एवं स्वच्छता निरीक्षण सहित निगरानी संबंधी गतिविधियों संपादित कर सकें।

इसके अतिरिक्त, जल जीवन मिशन- जल गुणवत्ता निगरानी एवं चौकसी फ्रेमवर्क के अनुच्छेद 4.3 (v) एवं 6.3.6 में उल्लेखित है कि निगरानी समूहों को फील्ड टेस्ट किट/बैक्टीरियोलॉजिकल डिटेक्शन किट का उपयोग करके अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों में निजी स्रोतों एवं जल की आपूर्ति सहित 100 प्रतिशत पेयजल स्रोतों का परीक्षण करना सुनिश्चित करना चाहिए, साथ ही प्रत्येक बस्ती में अंतिम छोर पर स्थित कम से कम दो नमूना आपूर्ति नलों/स्थल का भी मासिक रूप से कम से कम एक बार परीक्षण किया जाना अनिवार्य था। मासिक परीक्षण परिणामों को जल गुणवत्ता प्रबंधन सूचना प्रणाली पोर्टल पर अपलोड किए जाना था। छत्तीसगढ़ राज्य में इन निगरानी समूहों का गठन 'जल बाहनी' के नाम से किया गया था।

चित्र 5.1: जल परीक्षण के लिये निगरानी समूह के सदस्य द्वारा फील्ड टेस्ट किट का उपयोग

लेखापरीक्षा के दौरान पाया कि जांच किए गए 24 ग्रामों में से तीन[3] में निगरानी समूहों का गठन नहीं किया गया था। परीक्षण के परिणामों को किसी भी नमूना-जांच वाले ग्राम में नहीं रखा गया था, तथा न ही वे जल जीवन मिशन के जल गुणवत्ता प्रबंधन सूचना प्रणाली पोर्टल पर उपलब्ध थे।

सभी स्तरों पर वार्षिक अपेक्षित परीक्षण आवृत्ति अर्थात जल गुणवत्ता निगरानी एवं चौकसी फ्रेमवर्क के अनुसार

[3] पंडरीपानी (महासमुंद), बुंदेली (कोरबा) एवं छिंदलीबेडा (कोंडागांव)

पूरे राज्य में जल स्रोत, स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र एवं परिवारों की 2023-24 के दौरान परीक्षण किए गए नमूनों की संख्या **तालिका 5.7** में दर्शाई गई है।

तालिका 5.7: फील्ड टेस्ट किट/बैक्टीरियोलॉजिकल डिटेक्शन किट नमूना लक्ष्य का विवरण एवं 2023-24 के दौरान किए गए परीक्षणों की संख्या

जल परीक्षण स्तर	जल जीवन मिशन–जल गुणवत्ता निगरानी एवं चौकसी दिशानिर्देश के अनुसार नमूनाकरण आवृत्ति	कुल संख्या	वार्षिक परीक्षण लक्ष्य	जांच की गई नमूनों की संख्या
1	**2**	**3**	**4 (2×3)**	**5**
जल स्रोत (पाइप से जलापूर्ति योजना + गैर- पाइप से जलापूर्ति योजना*)	एक बार रासायनिक मापदंडों के लिए एवं दो बार बैक्टीरियोलॉजिकल मापदंडो के लिए (मानसून पूर्व एवं मानसून के बाद)	60,211	1,80,633	-
स्कूल	हर महीने में एक बार	46,280	5,55,360	
आंगनबाड़ी	हर महीने में एक बार	45,731	5,48,772	
नमूना परिवार (निवासियों की संख्या =75,207)	प्रत्येक निवास स्थान में हर महीने दो परिवार	75,207*2 = 1,50,414	18,04,968	
कुल			**30,89,733**	**7,10,584 (23%)**

(स्रोतः एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली एवं जल गुणवत्ता प्रबंधन सूचना प्रणाली पोर्टल का प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा द्वारा संकलित)

(*गैर- पाइप जलापूर्ति स्रोत में हैंडपंप, बोरवेल, ट्यूबवेल आदि सम्मिलित हैं)

लेखापरीक्षा में पाया गया किः

- फील्ड टेस्ट किट/बैक्टीरियोलॉजिकल डिटेक्शन किट का उपयोग करके 30,89,733 नमूनों के लक्ष्य के विरुद्ध केवल 23 प्रतिशत नमूनों (7,10,584) का परीक्षण किया गया था।
- जल गुणवत्ता प्रबंधन सूचना प्रणाली के अनुसार, फील्ड टेस्ट किट/बैक्टीरियोलॉजिकल डिटेक्शन किट के माध्यम से परीक्षण किए गए 7,10,584 नमूनों में से 3,060 नमूने दूषित पाए गए, जिनमें से केवल चार का जिला प्रयोगशालाओं में परीक्षण किया गया तथा उन चार के परीक्षण के परिणाम जल गुणवत्ता प्रबंधन सूचना प्रणाली पर अपलोड नहीं किए गए थे। जिला प्रयोगशालाओं में दूषित नमूनों का पुनः परीक्षण नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप ग्रामीणों के स्वास्थ्य को खतरा हैं।
- फील्ड टेस्ट किट/बैक्टीरियोलॉजिकल डिटेक्शन किट के माध्यम से नमूना-जांच किये गये जिलों में किये गये जल परीक्षण के आंकड़ो के विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि वर्ष 2021-22 से 2023-24 के दौरान उपलब्धि अत्यंत कम थी, जोकि निर्धारित लक्ष्य की केवल 2 से 28 प्रतिशत तक रही, जैसा कि **तालिका 5.8** वर्णित हैं।

तालिका 5.8: फील्ड टेस्ट किट/बैक्टीरियोलॉजिकल डिटेक्शन किट नमूना लक्ष्य एवं नमूना जांच किए गए जिलों में किए गए परीक्षणों की संख्या का विवरण

जिला	2021-22			2022-23			2023-24		
	लक्ष्य	किये गए परीक्षणों की संख्या	प्रतिशत	लक्ष्य	किये गए परीक्षणों की संख्या	प्रतिशत	किये गए परीक्षणों की संख्या	प्रतिशत	लक्ष्य
धमतरी	1,05,507	23,526	22	1,05,774	4097	4	1,05,774	7,602	7
गौरेला-पेंड्रा-मरवाही	32,097	1467	5	32,121	1,469	5	32,187	4,279	13
कोंडागांव	1,37,748	28,998	26	1,38,564	28,992	21	1,38,408	27,533	20
कोरबा	71,634	1,104	2	73,287	2,382	3	75,822	5,153	7
महासमुंद	88,086	23,001	26	89,490	25,358	28	89,658	22,036	25

(स्रोत: लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े एवं लेखापरीक्षा द्वारा संकलित)

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि 2023-24 के दौरान लक्ष्य के विपरीत, वास्तविक परीक्षण 7 से 25 प्रतिशत के बीच किए गए थे।

इसे इंगित किए जाने पर, शासन ने सूचित किया (मई 2025) कि संबंधित जिलों से जानकारी एकत्र की जा रही थी।

5.6 फील्ड टेस्ट किट / H_2S शीशियों के उपयोग की निगरानी

जल जीवन मिशन के दिशानिर्देशों के अध्याय 10 के अनुसार, जल गुणवत्ता प्रबंधन निगरानी एवं चौकसी के अंतर्गत गतिविधियों में से एक गतिविधि समुदायों को फील्ड टेस्ट किट का उपयोग करके जल गुणवत्ता का अनुमानित परीक्षण करने में सक्षम बनाना एवं फील्ड टेस्ट किट/ H_2S शीशियों परीक्षण की शीशियों की खरीद/पुनःपूर्ति के लिए एक प्रणाली स्थापित करना एवं उनके उपयोग की निगरानी करना है।

चित्र 5.2: जल गुणवत्ता परीक्षण के लिए फील्ड टेस्ट किट

लेखापरीक्षा में पाया कि वर्ष 2019-20 से 2022-23 के दौरान फील्ड टेस्ट किट एवं H_2S शीशियों की खरीद जिला जल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा की गई थी।

इसके अतिरिक्त, मिशन निदेशक, जल जीवन मिशन (मई 2023) ने उच्च दरों पर घटिया गुणवत्ता वाली किट खरीदे जाने के कारण सभी जिला जल एवं स्वच्छता मिशन को फील्ड टेस्ट किट, फील्ड टेस्ट किट रिफिल एवं बैक्टीरियोलॉजिकल डिटेक्शन किट के लिए H_2S शीशियाँ खरीद न करने के निर्देश जारी किए थे। किटों की केंद्रीकृत खरीद के लिए फील्ड टेस्ट किट/बैक्टीरियोलॉजिकल डिटेक्शन किट के निर्माताओं एवं आपूर्तिकर्ताओं को पैनल में

सम्मिलित करने हेतु राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन ने रूचि की अभिव्यक्ति (सितंबर 2023) जारी की थी।

तथापि, 2023-24 से लेकर लेखापरीक्षा की तिथि (सितंबर 2024) तक सभी छह नमूना जांच किए गए जिलों में ग्रामों में निगरानी समूहों को कोई भी फील्ड टेस्ट किट एवं H_2S शीशियाँ खरीद कर वितरित नहीं की गईं, जिससे गाँवों में जल परीक्षण में बाधा उत्पन्न हुई थी। उपरोक्त उल्लिखित जिलों ने 2023-24 एवं 2024-25 के दौरान पहले से खरीदे गए फील्ड टेस्ट किट एवं H_2S शीशियों का उपयोग करके परीक्षण करने की सूचना दी, जो अप्रभावी परीक्षण को इंगित करता है।

चूंकि फील्ड टेस्ट किट एवं H_2S शीशियों की सर्वोत्तम जीवन अवधि केवल दो वर्ष की होती है, अतः इन्हें समय पर खरीदा जाना चाहिए एवं सभी निगरानी समूहो को जारी किया जाना चाहिए तथा इनके उचित उपयोग को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। यह देखा गया कि जिला जल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा निगरानी समूहों द्वारा फील्ड टेस्ट किट एवं H_2S शीशियों के उपयोग की निगरानी के लिए कोई प्रणाली विकसित नहीं की गई थी।

इसे इंगित किए जाने पर, शासन ने कहा (मई 2025) कि जल की गुणवत्ता के परीक्षण के लिए फील्ड टेस्ट किट एवं H_2S शीशियाँ खरीदी जा रही हैं एवं उपलब्ध कराई जा रही है।

उत्तर लेखापरीक्षा के दौरान मिले निष्कर्षों के अनुरूप नहीं है।

5.7 जल गुणवत्ता 'हॉट स्पॉट्स'

जल जीवन मिशन दिशानिर्देशों का अनुच्छेद 10.3 यह बताता है कि जिन जल स्रोतों में रासायनिक संदूषकों की सांद्रता सीमावर्ती पाई जाती है, अर्थात् भारत मानक ब्यूरो:10500 में निर्धारित स्वीकार्य सीमा से थोड़ा कम, उन्हें 'हॉट स्पॉट्स' के रूप में कहा जाना चाहिए। ऐसे 'हॉट स्पॉट्स' की सूची लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन, जिला जल एवं स्वच्छता मिशन एवं ग्राम पंचायतों के साथ साझा की जानी है। ऐसे जल स्रोतों की जल गुणवत्ता की नियमित निगरानी करना भी लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की जिम्मेदारी है तथा ग्राम पंचायतों द्वारा आवश्यक सुधारात्मक उपाय करने के लिए जल गुणवत्ता निगरानी की जानी चाहिए।

लेखापरीक्षा ने देखा कि 'हॉट स्पॉट्स' की न तो पहचान की गई एवं न ही राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन या जिला जल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा 'हॉट स्पॉट्स' को परिभाषित करने के लिए मापदंड निर्धारित किए गए थे।

इसे इंगित किए जाने पर, शासन ने (मई 2025) कहा कि सीमावर्ती परिणामों वाले नमूनों का राज्य स्तरीय प्रयोगशाला में पुनः परीक्षण एवं पुनः जांच की जा रही है।

यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि राज्य स्तरीय प्रयोगशाला को नमूने भेजने के संबंध में परीक्षण किए गए जिलों में ऐसे कोई अभिलेख नहीं पाए गए।

5.8 जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं में जनशक्ति की कमी

भारत सरकार द्वारा जारी जल गुणवत्ता निगरानी एवं चौकसी फ्रेमवर्क (अक्टूबर 2021) की अनुच्छेद 4.3 राज्यों को जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं के संचालन एवं जल गुणवत्ता निगरानी गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने के लिए पर्याप्त मानव संसाधन की योजना बनाने का निर्देश देता है। सभी स्तरों पर, प्रयोगशालाओं के लिए निर्धारित जनशक्ति के सापेक्ष कर्मचारियों की उपलब्धता को **तालिका 5.9** में दिखाया गया है।

तालिका 5.9: विभिन्न जल गुणवत्ता प्रयोगशालाओं में जनशक्ति की स्थिति का विवरण

प्रयोगशाला का प्रकार	निर्धारित		प्रयोगशालाओं की संख्या	आवश्यक कर्मचारी	कार्यरत व्यक्ति	कमी
	पदनाम	संख्या				
राज्य प्रयोगशाला	मुख्य रसायनज्ञ/मुख्य जल विश्लेषक	1	1	1x1=1	1	0
	वरिष्ठ रसायनज्ञ/वरिष्ठ जल विश्लेषक/वरिष्ठ सूक्ष्मजीवविज्ञानी	1		1x1=1	0	1
	रसायनज्ञ/जल विश्लेषक	2		2x1=2	1	1
	सूक्ष्मजीवविज्ञानी/जीवाणुविज्ञानी	1		1x1=1	0	1
	प्रयोगशाला सहायक	3		3x1=3	0	3
	डाटा एंट्री ऑपरेटर	2		2x1=2	0	2
	प्रयोगशाला परिचारक	2		2x1=2	0	2
	फील्ड सहायक	2		2x1=2	0	2
योग		**14**		**14**	**2**	**12**
जिला प्रयोगशालाएं	रसायनज्ञ/जल विश्लेषक	1	29	1x29=29	17	12
	सूक्ष्मजीवविज्ञानी/जीवाणुविज्ञानी	1		1x29=29	0	29
	प्रयोगशाला सहायक	2		2x29=58	11	47
	डाटा एंट्री ऑपरेटर	1		1x29=29	0	29
	प्रयोगशाला परिचारक	1		1x29=29	0	29
	फील्ड सहायक	2		2x29=58	0	58
योग		**8**		**232**	**28**	**204**
उप-संभागीय प्रयोगशालाएं	कनिष्ठ रसायनज्ञ	1	27	1x27=27	0	27
	कनिष्ठ सूक्ष्मजीवविज्ञानी	1		1x27=27	0	27
	प्रयोगशाला सहायक	1		1x27=27	0	27
	डाटा एंट्री ऑपरेटर	1		1x27=27	0	27
	प्रयोगशाला परिचारक	1		1x27=27	0	27
	फील्ड सहायक	1		1x27=27	0	27
योग		**6**		**162**	**0**	**162**
मोबाइल प्रयोगशालाएं	कनिष्ठ रसायनज्ञ/सूक्ष्मजीवविज्ञानी	1	18	1x18=18	0	18
	फील्ड सहायक	1		1x18=18	0	18
	चालक	1		1x18=18	0	18
योग		**3**		**54**	**0**	**54**
कुल योग			**75**	**462**	**30**	**432 (94%)**

(स्रोत: लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े एवं लेखापरीक्षा द्वारा संकलित)

जैसा कि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है, सभी स्तरों पर प्रयोगशालाओं में 432 अर्थात् 94 प्रतिशत कर्मचारियों की कमी थी। आगे यह भी देखा गया कि राज्य में उपसंभागीय तथा मोबाइल प्रयोगशालाओं के लिए स्वीकृत पद का कोई प्रावधान नहीं था। परिणामस्वरूप, निर्धारित प्रयोगशाला कर्मचारियों की कमी के कारण न केवल किए जाने वाले जल गुणवत्ता परीक्षणों की संख्या प्रभावित हुई, अपितु प्रयोगशालाओं में किए गए परीक्षणों की गुणवत्ता भी प्रभावित हुई।

इसे इंगित किए जाने पर, शासन ने (मई 2025) कहा कि प्रयोगशालाओं में जल परीक्षण के लिए अस्थायी कर्मचारियों को उचित प्रशिक्षण प्रदान करने के बाद कलेक्टर दर पर नियुक्त किया गया था।

सरकार द्वारा दिया गया यह उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि, छह नमूना जांच किए गए जिलों में, स्वीकृत पदों की संख्या जल जीवन मिशन के अंतर्गत सुझाए गए निर्धारित मापदंडों से कम थी।

अध्याय - VI

कार्यक्रम उपलब्धियां एवं परिणाम की प्राप्ति

अध्याय-VI

कार्यक्रम उपलब्धियाँ एवं परिणाम की प्राप्ति

6 कार्यक्रम उपलब्धियाँ एवं परिणाम की प्राप्ति

जल जीवन मिशन की मुख्य उपलब्धि वर्ष 2024 तक सभी ग्रामीण परिवारों को कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन प्रदान किया जाना है। यह मिशन चार प्रमुख मापने योग्य परिणामों अर्थात, ग्रामीण समुदायों की बेहतर स्वास्थ्य स्थिति, महिलाओं एवं बालिकाओं द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाईयों में कमी तथा महिलाओं का सशक्तिकरण, उच्च प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं के स्कूल छोड़ने की दरों में कमी एवं ग्रामीण समुदायों के लिए रोजगार के अवसरों में वृद्धि, प्राप्त करने का भी प्रयास करता है। जल जीवन मिशन की सफलता का मूल्यांकन उपलब्धियों एवं परिणामों की प्राप्ति के स्तर को मापकर किया जा सकता है, जो उपलब्धि की समयबद्ध आपूर्ति पर निर्भर करता है।

6.1 प्राथमिक उपलब्धि की प्राप्ति नहीं होना

छत्तीसगढ़ लक्ष्य प्राप्त करने में पीछे चल रहा था, मार्च 2024 तक कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन की उपलब्धि 78 प्रतिशत थी, योजनायें अभी प्रगति पर थीं तथा पूरी नहीं हुई थीं। अतः कार्यक्रम का उद्देश्य अर्थात् प्रत्येक ग्रामीण परिवार के द्वार तक पेयजल पहुँचाने की मुख्य उपलब्धि पूरी तरह से प्राप्त नहीं हुई थी। 24 गाँवों में 35 योजनाओं के नमूना जाँच के दौरान, केवल तीन योजनायें पूर्ण थी, 30 योजनायें प्रगति पर थीं तथा शेष दो योजनायें अभी प्रारंभ नहीं हुई थीं। अतः, परिणाम का आकलन, 24 गाँवों[1] के संयुक्त भौतिक सत्यापन साथ 475 लाभार्थियों के लाभार्थी सर्वेक्षण (अगस्त-सितंबर 2024) से प्राप्त परिणामों के आधार पर किया गया, ताकि कार्यशील घरेलु नल कनेक्शन की कार्यशीलता का पता बताया जा सके एवं जल जीवन मिशन के लक्ष्यों की तरफ हुई प्रगति का मूल्यांकन किया जा सके।

यह पाया गया कि केवल 12 गाँवों में 16 योजनाओं के माध्यम से जल आपूर्ति प्रदान की जा रही थी। 475 परिवारों के भौतिक रूप से सत्यापित कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन में से, केवल 172 कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन क्रियाशील पाए गए एवं शेष 303 कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन सूखे पाए गए। 172 क्रियाशील कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन में से, 14 परिवारों ने सूचित किया कि उन्हें कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से पर्याप्त जल नहीं मिल रहा था। संयुक्त भौतिक निरीक्षण की स्थिति **चार्ट 6.1** में दर्शाई गई है।

[1] एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली के अनुसार, 5 नवंबर 2024 तक इन 24 गावों में 4,404 कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन थे।

चार्ट 6.1: सर्वेक्षण किए गए 475 लाभार्थियों में जल आपूर्ति की स्थिति

उपलब्धियाँ: दैनिक आधार पर प्रति व्यक्ति प्रति दिन 55 लीटर जल की आपूर्ति	24 गांवों में सर्वेक्षण किए गए 475 लाभार्थियों की प्रतिक्रिया	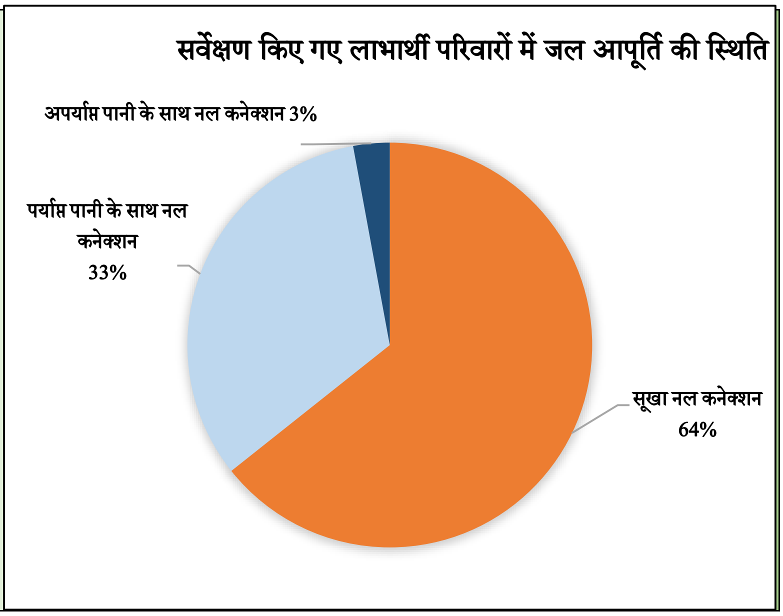

(स्रोत: लाभार्थी द्वारा प्रदान की गई जानकारी एवं लेखापरीक्षा द्वारा संकलित)

ये निष्कर्ष दर्शाते हैं कि कार्यक्रम का उद्देश्य अर्थात् प्रत्येक ग्रामीण परिवार के द्वार तक पेयजल पहुँचाने की मुख्य उपलब्धि पूरी तरह से प्राप्त नहीं हुई है। आकड़े जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रारंभिक आधारभूत संरचना स्थापित किये जाने के बावजूद, जल कनेक्शनों की विश्वसनीयता एवं कार्यशीलता में महत्वपूर्ण मुद्दों को दर्शाते है।

6.2 परिणाम की प्राप्ति नहीं होना

परिणामों को आम तौर पर किसी परियोजना के दीर्घकालिक लक्ष्यों की उपलब्धि के संदर्भ में मापा जाता है। मार्च 2024 तक, जल जीवन मिशन छत्तीसगढ़ ने 50 लाख कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन के लक्ष्य में से 38.97 लाख कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन (78 प्रतिशत) प्राप्त किए थे, जिसमें जल जीवन मिशन से पहले के 3.20 लाख मौजूदा कनेक्शन एवं 1.48 लाख निजी कनेक्शन सम्मिलित थे। लेखापरीक्षा ने आगे यह देखा कि राज्य में 29,178 योजनाओं में से, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग केवल 172 योजनाओं को भौतिक रूप से पूरा कर सका एवं 32 योजनाओं को ग्राम पंचायतों/समुदाय को सौंप सका था (मई 2024)। अतः, परिणामों का मूल्यांकन करना शायद असामयिक हैं। लेखापरीक्षा के दौरान पाये गए जल जीवन मिशन आधारभूत संरचना का परिणामों पर प्रभाव की चर्चा नीचे की गई है:

(i) जल जनित रोगों की कमी पर परिणाम

जल जनित रोगों (तीव्र दस्त/जाठरांत्रशोथ, वायरल हेपेटाइटिस, आदि) से संबंधित जानकारी छह नमूना जांच जिलों में से पाँच[2] जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से एकत्र की गई थी। छह नमूना जांच जिलों में से पाँच जिलों की

[2] धमतरी, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, कोंडागांव, कोरबा, महासमुंद

जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारीयों से एकत्र किए गए वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक जल जनित रोगों की स्थिति **चार्ट 6.2** में दर्शाई गई है।

चार्ट 6.2: परीक्षण जांच किए गए जिलों में प्रतिवेदित किए गए जलजनित रोग की स्थिति

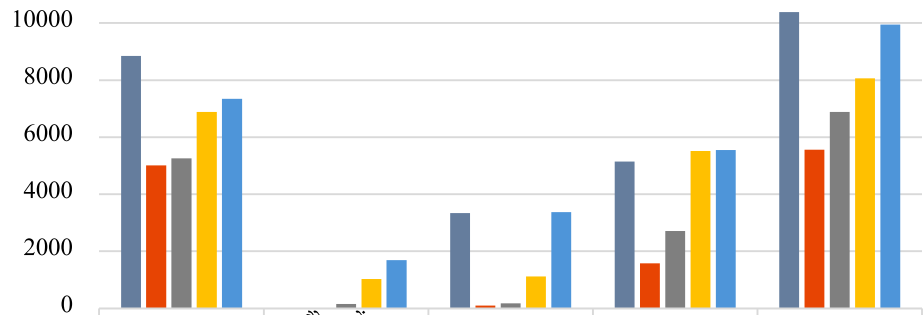

	धमतरी	गौरेला-पेंड्रा-मरवाही	कोंडागांव	कोरबा	महासमुंद
2019-20	8852	0	3336	5143	10382
2020-21	5014	0	94	1579	5565
2021-22	5262	151	181	2713	6889
2022-23	6882	1026	1116	5518	8064
2023-24	7348	1687	3374	5548	9943

2019-20 2020-21 2021-22 2022-23 2023-24

उपरोक्त से स्पष्ट है कि, 2023-24 के दौरान धमतरी जिले में तीव्र दस्त/जाठरांत्रशोथ के सबसे अधिक मामले सामने आए, जिसके बाद क्रमशः कोंडागाँव एवं कोरबा का स्थान रहा। महासमुंद जिले में टाइफाइड के सबसे अधिक मामले सामने आए, जिसके बाद कोरबा एवं गौरेला-पेंड्रा-मरवाही का स्थान रहा। समग्र प्रवृत्ति यह दर्शाता है कि वर्ष 2021 से 2024 के दौरान जलजनित रोगों के मामलों की संख्या में वृद्धि हुई है।

इसे इंगित किये जाने पर शासन ने कहा (मई 2025) कि विभाग द्वारा पेयजल स्रोतों का समय-समय पर परीक्षण किया जा रहा था। ग्रामीण क्षेत्रों के परिवारों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है, अतः जलजनित रोगों की कोई संभावना नहीं है।

जल जीवन मिशन के अपेक्षित परिणाम अनेक कारकों से प्रभावित हो सकते हैं। अतः, यह निर्धारित करना कठिन है कि परिणाम सीधे योजना के कारण हुए थे अथवा अन्य बाह्य कारकों के कारण। इसके अतिरिक्त, जल जीवन मिशन एक सतत कार्यक्रम है जिसका अभी पूर्ण होना शेष है। तत्काल परिणामों का मूल्यांकन करने से जल जीवन मिशन की प्रभावशीलता की स्पष्ट तस्वीर नहीं मिल सकती है। दीर्घकालिक प्रभाव प्रकट होने में समय लग सकता है तथा अल्पकालिक मूल्यांकन में नहीं पकड़ा जा सकता है।

अध्याय - VII

निष्कर्ष एवं अनुशंसाएं

अध्याय-VII

निष्कर्ष एवं अनुशंसाएं

7.1 निष्कर्ष

जल जीवन मिशन की परिकल्पना 2024 तक राज्य के 50 लाख घरों को सुरक्षित एवं पर्याप्त पेयजल प्रदान करना है। राज्य मार्च 2024 तक 38.97 लाख घरों को कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन प्रदान कर सका।

लेखापरीक्षा ने पाया कि ग्राम कार्य योजनाओं एवं जिला कार्य योजनाओं की तैयारी में बॉटम-अप दृष्टिकोण का अभाव था। राज्य कार्य योजना तैयार नहीं की गई थी। वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान तैयार की गई वार्षिक कार्य योजनाएँ अवास्तविक एवं त्रुटिपूर्ण थीं, परिणामस्वरूप, राज्य मिशन अवधि के दौरान वार्षिक कार्य योजना में निर्धारित कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सका। मौजूदा योजनाओ का रेट्रोफिटिंग, तय समय पर आकांक्षी जिलों को कवर करने जैसी योजनाओ को प्राथमिकता नहीं दी गई।

बहु ग्राम योजना के अंतर्गत कवर किए जाने के लिए पहचाने गए गाँवों को बहु ग्राम योजना के अंतिम रूप न दिए जाने एवं विलंब से प्रारंभ करने के कारण, गैर-स्थायी भूजल स्रोत आधारित एकल ग्राम योजना एवं रेट्रोफिटिंग योजनाओं के साथ कार्य निष्पादित किया जा रहा था। जल के कम आबंटन से जल जीवन मिशन मानदंडो के अनुसार पेयजल की न्यूनतम मात्रा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर से वंचित कर सकता है, जिससे संपूर्ण बहु ग्राम योजना की स्थिरता प्रभावित हो सकती हैं।

सौर फोटोवोल्टिक सिस्टम से अधिक क्षमता से अधिक जुड़े अतिरिक्त कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन पेयजल के 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन के निर्धारित न्यूनतम सेवा स्तर को प्रदान करने में विफल रहे। वार्षिक लक्ष्यों को प्राप्त न कर पाने के कारण, राज्य मिशन को ₹ 3,285.38 करोड़ का केंद्राश एवं ₹ 3,194.66 करोड़ का संबंधित राज्यांश प्राप्त नहीं हो सका। विस्तृत, मद-वार दर विश्लेषण किए बिना एकीकृत दर अनुसूची का संशोधन करने से अविश्वसनीय लागत अनुमान तैयार किये गये। राज्य मिशन द्वारा सामुदायिक अंशदान तथा अन्य केंद्रीय व राज्य योजनाओं के अभिसरण से धनराशि एकत्र नहीं की थी। गाँवों में क्षमता निर्माण, कौशल विकास एवं सूचना, शिक्षा एवं संचार गतिविधियों में कमी पायी गई।

जल गुणवत्ता परीक्षण के आधारभूत संरचना, राष्ट्रीय परीक्षण एवं अंशांकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड से मान्यता एवं निधियों के कम उपयोग में महत्वपूर्ण कमियाँ थी। जल गुणवत्ता परीक्षण के लक्ष्य को प्राप्त न करना, मानसून से पहले एवं बाद की अवधि के दौरान बैक्टीरियोलॉजिकल परीक्षण न करना, दूषित नमूनों का पुनः परीक्षण न करना, कर्मचारियों की भारी कमी एवं कर्मचारियों को अपर्याप्त प्रशिक्षण देना पाए गए।

छत्तीसगढ़ शासन का लक्ष्य 2024 तक 19,656 गाँवों को 'हर घर जल' प्रमाणित करना था, जिसके सापेक्ष 716 गाँवों को हर घर जल के रूप में प्रमाणित किया गया था। लेखापरीक्षा द्वारा संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान अधूरे योजनाओं वाले गांवों की 'हर घर जल' प्रतिवेदित करने एवं प्रमाणन के उदाहरण देखे गए थे। छत्तीसगढ़ राज्य मार्च 2024 तक सभी ग्रामीण परिवारों को कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करने के मुख्य लक्ष्य को प्राप्त करने में पीछे चल रहा था, एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली के अनुसार उपलब्धि 78 प्रतिशत थी, लेकिन आंकड़े जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रारंभिक बुनियादी ढांचे की स्थापना होने के बावजूद, जल कनेक्शनों की विश्वसनीयता एवं कार्यशीलता के साथ महत्वपूर्ण मुद्दों को दर्शाते है।

जल जीवन मिशन के अंतर्गत निष्पादित जलापूर्ति प्रणालियों को अपर्याप्त योजना सौर-आधारित प्रणालियों का खराब डिजाइन, स्थायी जल स्रोतों की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना योजनाओं का निष्पादन, जल गुणवत्ता परीक्षण सुविधाओं की कमी, अपर्याप्त परीक्षण, वित्तीय संसाधनों एवं सामुदायिक भागीदारी में कमी एवं कमजोर संस्थागत निगरानी के कारण स्थिरता संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। योजना पूरी किए बिना एवं उसकी कार्यक्षमता सुनिश्चित किए बिना कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन को अधिक प्रतिवेदित करने एवं गलत 'हर घर जल' प्रमाणन ने योजना को और अधिक नुकसान पहुँचाया अतः ग्रामीण आबादी को दीर्घकालिक स्थायी पेयजल आपूर्ति प्रदान करने में विफलता का जोखिम उच्च बना हुआ है।

7.2 अनुशंसाएं

लेखापरीक्षा निष्कर्षों के आधार पर, हम सिफारिश करते हैं कि राज्य सरकार को चाहिए कि :

- ***निधियों की वास्तविक स्थिति एवं अपूर्ण कार्यों का आकलन करना एवं जलापूर्ति योजनाओं को यथासमय पूर्ण किया जाए विशेषकर प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में।***
- ***शीर्ष स्तर पर निधियों के अभिसरण के लिए अंतर-विभागीय समन्वय हेतु सुव्यवस्थित प्रक्रियाएं अपनाई जाए।***

- ***लेखापरीक्षा द्वारा इंगित गलत प्रमाणीकरण के मुद्दों को सुलझाने हेतु 'हर घर जल' को प्रतिवेदित करने एवं प्रमाणीकरण की प्रक्रिया की समीक्षा कराई जाए।***
- ***पर्याप्त जनशक्ति एवं उपकरणों के साथ राष्ट्रीय परीक्षण एवं अंशांकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड से मान्यता प्राप्त क्रियाशील जल परीक्षण प्रयोगशालाएं सुनिश्चित किया जाए।***
- ***योजनाओं की स्थिरता हेतु समीक्षा की जाए जिसमें सामुदायिक स्वामित्व, जल स्रोत पहचान पर विशेष ध्यान दिया जावे जिससे भविष्य की पीढ़ियों के लिए जल सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।***

रायपुर — **(मो. फ़ैज़ान नैय्यर)**

दिनांक : 30 मार्च 2026 — **महालेखाकार (लेखापरीक्षा)**

छत्तीसगढ़

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली — **(के. संजय मूर्ति)**

दिनांक : 06 अप्रैल 2026 — **भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक**

परिशिष्ट

परिशिष्ट 1.1

(कंडिका 1.8 में संदर्भित)

नमूना जांच किये गये जिलों एवं ग्रामों को दर्शाने वाला विवरण

जिलें का नाम	ब्लॉक का नाम	ग्राम का नाम
1.धमतरी	1. धमतरी	1- भिड़ावर
		2- गंगरैल
	2. कुरूद	3- बोथली (खुर्द)
		4- सिरसिदा
2. गौरेला-पेण्ड्रा-मारवाही	3. गौरेला-II	5- अडभार
		6- पंडरिया
	4. मारवाही	7- देवरीडांड
		8- साल्हेकोटा
3. कोंडागांव	5. कोंडागांव	9- झारा
		10- कोरहोबेड़ा
	6. फरसगांव	11- बंजोदा
		12- छिन्दिलीबेड़ा
4. कोरबा	7. कटघोड़ा	13- बुंदेली
		14- गमोता
	8. कोरबा	15- डुमरडीह
		16- केसला
5. महासमुंद	9. महासमुंद	17- झाखरमुंडा
		18- पंडरीपानी (पचरी)
	10. पिथोरा	19- भिथीडीह
		20- ठाकुरदया कला
6. सरगुजा	11. अंबिकापुर	21- श्रीगढ़
		22- तिहपातरा
	12. उदयपुर	23- बड़ेगांव (लाभार्थी सर्वेक्षण हेतु ग्राम पहुंच विहीन होने के कारण ग्राम पंगोटी के स्थान पर)
		24- तोलगा

परिशिष्ट 3.1

(कंडिका 3.7 में संदर्भित)

कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन के प्राक्कलन में त्रुटियां दर्शाने वाला विवरण

स.क्र.	एकीकृत दर अनुसूची संशोधन मद संख्या	विवरण (एकीकृत दर अनुसूची मद संख्या)	लेखापरीक्षा टिप्पणी	गणना	मात्रा	इकाई	दर	अधिक राशि
1	अनुलग्नक VI(ब) की मद संख्या 4	शटरिंग (स्टैंड)	स्टैंड पोस्ट के लिए उपयोग होने वाले यूपीवीसी पाइप को शटरिंग की आवश्यकता नहीं होती	0.785*0.20*0.80 मी	0.5*	घन मी.	185	92.50
2	अनुलग्नक VI(अ) की मद संख्या 8 एवं अनुलग्नक VI(ब) की मद संख्या 3	एम-15 स्टैंड पोस्ट का दोहरीकरण	स्टैंड पोस्ट के लिए पीसीसी एम-15 को दर विश्लेषण में दो बार लिया गया है। एक बार मद संख्या 8, अनुलग्नक- VI(अ) के रूप में लिया गया है एवं पुनः मद संख्या 3, अनुलग्नक- VI(ब) के रूप में लिया गया है।	0.785*0.20* 0.20*0.80 मी	0.025	घन मी.	4,774	119.35
3	अनुलग्नक VI(अ) की मद संख्या 9	बड़े आकार के स्टील के जल का नल	अनुलग्नक- VI(ए) की मद संख्या 7 के अनुसार 15 मिमी व्यास के जीआई पाइप एवं सॉकेट का उपयोग किया गया था, जबकि मद संख्या 9 में 20 मिमी के स्टील नल का प्रावधान किया गया था। 15 मिमी जीआई पाइप के लिये 15 मिमी के स्टीप नल का प्रावधान किया जाना चाहिए।	(₹254 - ₹198)	1.00	प्रति	56	56.00
4	अनुलग्नक VI(अ) की मद संख्या 3	कम्पोजिट पाइप के लिए खुदाई हेतु अलग से भुगतान	पीई-एएल-पीई पाइपों एवं फिटिंग्स के सामान्य नोट्स में यह निर्दिष्ट किया गया है कि स्टैंडपोस्ट को वितरण लाइन से जोड़ने के लिए उपयोग किए जाने वाले मिश्रित पाइपों की दरों में सिविल कार्यों (जैसे खाइयों की खुदाई एवं खाइयों को फिर से भरना) के शुल्क सम्मिलित हैं। जबकि यह देखा गया कि मिश्रित पाइप बिछाने के लिए खाइयों की खुदाई एवं फिर से भरने को अलग से माना गया था, जबकि गणना के परिणामस्वरूप प्रति कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन ₹212.85 (₹150.94+₹61.91) का अनुचित लाभ हुआ।	6.25*0.30*0.50 मी	0.938	घन मी.	161	150.94
5	अनुलग्नक VI(अ) की मद संख्या 10	कम्पोजिट पाइप के लिए खुदाई की गई मिट्टी को फिर से भरने हेतु अलग से भुगतान		6.25*0.30*0.50 मी	0.938	घन मी.	66	61.91
6	अनुलग्नक VI(अ) की मद संख्या 1	सीसी का विघटन (18.29.1)	प्राक्कलन में सीसी एवं मिट्टी की खुदाई, सीसी की मरम्मत एवं मिट्टी की पुनः भराई का प्रावधान किया गया था। हालाँकि, ये मदें केवल मौजूदा वितरण लाइन से जुड़े कनेक्शन के लिए आवश्यक हैं। नए कनेक्शन के लिए, वितरण लाइन के लिए खुदाई एवं पुनः भराई का कार्य पहले ही	1*1*0.15 मी	0.15	घन मी.	758	113.70
7	अनुलग्नक VI(अ) की मद संख्या 8	सीसी का जीर्णोद्धार (18.41.1.2)		1*1*0.15 मी	0.15	घन मी.	4,774	716.10

स.क्र.	एकीकृत दर अनुसूची संशोधन मद संख्या	विवरण (एकीकृत दर अनुसूची मद संख्या)	लेखापरीक्षा टिप्पणी	गणना	मात्रा	इकाई	दर	अधिक राशि
8	अनुलग्नक VI(अ) की मद संख्या 2	मिट्टी की खुदाई (18.15)	किया जा चुका है। अतः , प्रत्येक कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन में इन कार्यों की आवश्यकता नहीं थी एवं इनका भुगतान केवल माप पुस्तिका में दर्ज विस्तृत माप के मामले में ही किया जाना चाहिए।	1*1*0.85 मी	0.85	घन मी.	161	136.85
9	अनुलग्नक VI(अ) की मद संख्या 10	मिट्टी की पुनः भराई (18.22)		1*1*1 मी	1.00	घन मी.	66	66.00
10	अनुलग्नक VI(अ) की मद संख्या 8	बेड ब्लॉक में एम-15 का ओवरलैपिंग	बेड ब्लॉक में अंतर्निहित यूपीवीसी पाइप का क्षेत्रफल सीसी की मात्रा गणना में नहीं घटाया गया	$0.785*0.16^{2}*0.15$ मी	0.003	घन मी.	4,774	14.32
11	ड्राइंग के अनुसार	प्लेटफॉर्म में एम-15 का ओवरलैपिंग	प्लेट फॉर्म में अंतर्निहित यूपीवीसी पाइप का क्षेत्र सीसी की मात्रा गणना में नहीं घटाया गया	$0.785*0.16^{2}*0.17$ मी	0.003	घन मी.	4,774	14.32
12	ड्राइंग के अनुसार	पीएफ में नाली का एम-15 का ओवरलैपिंग	नाली के अंतराल की मात्रा नहीं काटी गई	0.3*0.1*0.1 मी	0.003	घन मी.	4,774	14.32
		योग						**1,556.31**

(स्रोत: एकीकृत दरों की अनुसूची से लिये गए आंकड़े एवं लेखापरीक्षा द्वारा संकलित)

टीप :* विस्तृत अनुमान अनुलग्नक- VI(ब) के अनुसार, मद संख्या 4, स्टैंड पोस्ट (0.785×0.20×0.80 मीटर) = 0.125, विभाग ने योग 0.5 लिया, अतः लेखापरीक्षा द्वारा भी इसे 0.5 लिया गया।

परिशिष्ट 4.1

(कंडिका 4.3.2 में संदर्भित)

बहु ग्राम योजना के लिए जल के कम आबंटन को दर्शाने वाला विवरण

स.क्र.	जिले का नाम	बहु ग्राम योजना का नाम	योजना की अनुमानित लागत	राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन स्रोत खोज समिति के रूप में जल की मांग		जलापूर्ति			कम आबंटन		कम आबंटन के कारण जल से वंचित होने की संभावना	
				(मिलियन घनमीटर में)	(मिलियन लीटर प्रतिदिन में)	आवंटित जल (मिलियन घनमीटर में)	कम आबंटन मिलियन घनमीटर में	प्रतिशत में कम आबंटन	कम आबंटन मिलियन लीटर प्रतिदिन में	कम आबंटन लीटर प्रतिदिन में	व्यक्तियों की संख्या	परिवार
1	2	3	4	5	6 (कॉलम 5* 1000/365)	7	8 (कॉलम 5- कॉलम 7)	9 (कॉलम 8/ कॉलम 5* 100)	10 (कॉलम 8*1000/ 365	11 (कॉलम 10* 10,00,000)	12 (कॉलम 11/67.80 अर्थात 65.19+ 4 प्रतिशत प्रेषण हानि)	13 (कॉलम 12/ 5 व्यक्ति)
1	बलोदाबाजार	अहिलदा पंडरिया बहु ग्राम योजना	6127.6	9.41	25.781	3.009	6.401	68	17.537	17537000	258658	51732
2	बैकुंठपुर	बरदर बहु ग्राम योजना	3224.19	1.23	3.37	0.8	0.43	35	1.178	1178000	17375	3475
3	बलोदाबाजार	अगमधाम बहु ग्राम योजना	6722.24	2.74	7.507	2.517	0.223	8	0.610	610000	8997	1799
4	धमतरी	घाटुला बहु ग्राम योजना	2957.83	1.373	3.762	1.3	0.073	5	0.117	117000	1726	345
5	राजनंदगांव	माथलडबरी बहु ग्राम योजना	1374.27	0.5	1.37	0.456	0.044	9	0.120	120000	1770	354

स.क्र.	जिले का नाम	बहु ग्राम योजना का नाम	योजना की अनुमानित लागत	राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन स्रोत खोज समिति के रूप में जल की मांग		जलापूर्ति			कम आबंटन		कम आबंटन के कारण जल से वंचित होने की संभावना	
				(मिलियन घनमीटर में)	(मिलियन लीटर प्रतिदिन में)	आवंटित जल (मिलियन घनमीटर में)	कम आबंटन मिलियन घनमीटर में	प्रतिशत में कम आबंटन	कम आबंटन मिलियन लीटर प्रतिदिन में	कम आबंटन लीटर प्रतिदिन में	व्यक्तियों की संख्या	परिवार
1	2	3	4	5	6 (कॉलम 5* 1000/365)	7	8 (कॉलम 5- कॉलम 7)	9 (कॉलम 8/ कॉलम 5* 100)	10 (कॉलम 8*1000/ 365	11 (कॉलम 10* 10,00,000)	12 (कॉलम 11/67.80 अर्थात 65.19+ 4 प्रतिशत प्रेषण हानि)	13 (कॉलम 12/ 5 व्यक्ति)
6	बिलासपुर	छपोरा बाराधिल बनबेल बहु ग्राम योजना	2322.97	1.11	3.041	1.103	0.007	1	0.018	18000	265	53
योग			**22729.10**	**16.363**	**44.831**	**9.185**	**7.178**	**44**	**19.580**	**19580000**	**288791**	**57758**

(स्रोतः लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े एवं लेखापरीक्षा द्वारा संकलित)

परिशिष्ट 4.2

(कंडिका 4.3.2 में संदर्भित)

बहु ग्राम योजना के स्रोत जल निकायों में जल की अनुपलब्धता दर्शाने वाला विवरण

(मात्रा मिलियन घनमीटर में)

स. क्र.	बहु ग्राम योजना का नाम	जल निकाय एवं जल संसाधन विभाग का नाम	जल निकायों की क्षमता	जल आबंटन			जल उपलब्धता {4-(5+6+7)}	बहु ग्राम योजना हेतु वांछित जल	जल की उपलब्धता में कमी	
				निस्तारी, वाष्पीकरण, ई-प्रवाह आदि के लिए कटौती	सिंचाई	अन्य			मात्रा मिलियन घनमीटर में	मात्रा किलो लीटर में
1	2	3	4	5	6	7	8 कॉलम 4-(कॉलम 5+ कॉलम 6+कॉलम 7)	9	10 (कॉलम 9- कॉलम 8)	11 (कॉलम 10* 10,00,000)
1	मोंगरा बहु ग्राम योजना	मोंगरा बांध, मोहला	32.05	9.62	12.82	2.63	6.98	10.929	3.949	39,49,000
2	एलबी नगर बहु ग्राम योजना	खाटूटोला बांध, मोहला	2.90	0.71	2.1	0	0.09	1.01	0.92	9,20,000
3	ज्योरा-सिरसा भटगांव बहु ग्राम योजना	भटगांव एनीकट (शिवनाथ नदी), दुर्ग	1.76	0.042	0.236	0.6	0.88	0.919	0.04	37,000
4	ओद्रागहन-सुरपा बहु ग्राम योजना	ओद्रगहन एनीकट (खारुन नदी), दुर्ग	0.36	0.025	0.141	0	0.19	0.449	0.26	2,55,000
5	कोही-रानीतराई बहु ग्राम योजना	रानीतराई एनीकट (खारुन नदी), दुर्ग	0.51	0.045	0.183	0	0.28	0.51	0.23	2,28,000
योग			**37.58**	**10.442**	**15.48**	**3.23**	**8.43**	**13.82**	**5.39**	**53,89,000**

(स्रोतः लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े एवं लेखापरीक्षा द्वारा संकलित)

परिशिष्ट 4.3

(कंडिका 4.6.2 में संदर्भित)

अपूर्ण ओवरहेड टैंक से सम्बंधित अकार्यशील घरेलु नल कनेक्शन को कार्यशील घोषित करने वाला विवरण

स.क्र	नाम				योजना का प्रकार	विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन का आंकड़ा		क्या ओवरहेड टैंक का प्रावधान किया गया	नियोजित कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन		संयुक्त भौतिक निरिक्षण के दौरान ओवरहेड टैंक की स्थिति	कार्यान्वयन
	जिला	विकासखंड	ग्राम	योजना		मौजूदा						
						ओवरहेड टैंक	घर		कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन	सार्वजनिक संस्था के लिए	ओवरहेड टैंक पूर्ण (हां/नहीं)	निष्पादित कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
(अ) योजनायें जहाँ संयुक्त भौतिक निरिक्षण के दौरान ओवरहेड टैंक पूर्ण पाई गई												
1	महासमुंद	पिथौरा	भीथीडीह	भीथीडीह रेट्रोफिटिंग	रेट्रो	0	381	हां	366	0	हां	214
2	महासमुंद	पिथौरा	ठाकुरदयाकला	ठाकुरदयाकला रेट्रोफिटिंग	रेट्रो	0	215	हां	215	6	हां	180
3	कोरबा	कोरबा	डुमरडीह	डुमरडीह एकल ग्राम योजना	एकल ग्राम योजना	0	178	हां	177	0	हां	177
4	गौरेला-पेंड्रा-मरवाही	मारवाही	देवरीडांड (157डीएल/2021-22) एवं देवरीडांड (04डीएल/2023-24)	देवरीडांड एकल ग्राम योजना	एकल ग्राम योजना	0	209 (137+72)	हां	209	0	हां	110 (67+43)
5	गौरेला-पेंड्रा-मरवाही	मारवाही	साल्हेकोटा	साल्हेकोटा एकल ग्राम योजना	एकल ग्राम योजना	0	375	हां	375	0	हां	298
6	गौरेला-पेंड्रा-मरवाही	गौरेला-II	अड़भार	अड़भार एकल ग्राम योजना	एकल ग्राम योजना	0	420	हां	420	0	हां	341
योग (अ)									**1,762**	**6**		**1,320**

स.क्र	नाम				योजना का प्रकार	विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन का आंकड़ा		क्या ओवरहेड टैंक का प्रावधान किया गया	नियोजित कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन		संयुक्त भौतिक निरिक्षण के दौरान ओवरहेड टैंक की स्थिति	कार्यान्वयन
	जिला	विकासखंड	ग्राम	योजना		मौजूदा						
						ओवरहेड टैंक	घर		कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन	सार्वजनिक संस्था के लिए	ओवरहेड टैंक पूर्ण (हां/नहीं)	निष्पादित कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन
(ब) योजनायें जहाँ संयुक्त भौतिक निरिक्षण के दौरान ओवरहेड टैंक अपूर्ण पाई गई												
7	महासमुंद	महासमुंद	झाखरमुंडा	झाखरमुंडा एकल ग्राम योजना	एकल ग्राम योजना	0	82	हां	80	5	नहीं	80
8	महासमुंद	महासमुंद	पड़रीपानी (पचरी)	पड़रीपानी (पचरी) बहु ग्राम योजना	स्टील संरचना के साथ एकल ग्राम योजना	0	19	हां	19	4	नहीं	माप दर्ज नहीं किया गया
9	कोरबा	कोरबा	केसला	केसला एकल ग्राम योजना	एकल ग्राम योजना	0	208	हां	208	0	नहीं	168
10	गौरेला-पेंड्रा-मरवाही	गौरेला-।।	पड़रिया (127डीएल/2021-22) एवं (47डीएल/2023-24)	पड़रिया एकल ग्राम योजना	एकल ग्राम योजना	0	211	हां	211	0	नहीं	214 (95+119)
11	कोंडागांव	फरसगांव	बनजोड़ा	एकल ग्राम योजना एवं सौर	एकल ग्राम योजना	0	325	हां	325	10	नहीं	335
12	कोंडागांव	फरसगांव	छिंदलीबेड़ा	एकल ग्राम योजना एवं इस्पात संरचना के साथ एकल ग्राम योजना	एकल ग्राम योजना	0	178	हां	178	0	नहीं	174
13	कोंडागांव	कोंडागांव	झारा	एकल ग्राम योजना एवं सौर	एकल ग्राम योजना	0	133	हां	133	5	नहीं	183
14	सरगुजा	अंबिकापुर	तिहपतरा	बांसपारा एवं खालपारा	एकल ग्राम योजना	0	60	हां	60	0	नहीं	0
15	सरगुजा	अंबिकापुर	तिहपतरा	स्कूलपारा	एकल ग्राम योजना	0	20	हां	20	0	नहीं	कार्य प्रारंभ नहीं हुआ
16	सरगुजा	अंबिकापुर	श्रीगढ़	खसपारा	एकल ग्राम योजना	0	77	हां	77	0	नहीं	44
17	सरगुजा	अंबिकापुर	श्रीगढ़	महादेवपारा	एकल ग्राम योजना	0	98	हां	98	0	नहीं	85

स.क्र	नाम				योजना का प्रकार	विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन का आंकड़ा		क्या ओवरहेड टैंक का प्रावधान किया गया	नियोजित कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन		संयुक्त भौतिक निरिक्षण के दौरान ओवरहेड टैंक की स्थिति	कार्यान्वयन
	जिला	विकासखंड	ग्राम	योजना		मौजूदा						
						ओवरहेड टैंक	घर		कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन	सार्वजनिक संस्था के लिए	ओवरहेड टैंक पूर्ण (हां/नहीं)	निष्पादित कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन
18	सरगुजा	अंबिकापुर	श्रीगढ़	मरघटियापारा	एकल ग्राम योजना	0	92	हां	92	0	नहीं	75
19	सरगुजा	अंबिकापुर	श्रीगढ़	पंडोपारा	एकल ग्राम योजना	0	69	हां	69	0	नहीं	43
20	सरगुजा	अंबिकापुर	श्रीगढ़	सरपंचपारा	एकल ग्राम योजना	0	19	हां	19	0	नहीं	18
21	सरगुजा	उदयपुर	तोलगा	बंचरपारा, चिल्कापारा, डिग्गीपारा, घसियापारा, पंडोपारा, पटेलपारा, स्कूलपारा	एकल ग्राम योजना-बहु ग्राम योजना	0	343	हां	343	0	नहीं	229
योग (ब)									**1,932**	**24**		**1,648**

(स्रोतः लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े एवं लेखापरीक्षा द्वारा संकलित)

© भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

https://cag.gov.in/ag/chhattisgarh/hi